लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10—सोमवार, 30 अगस्त, 1965/8 भाद्र, 1887 (शक)

No. 10—*Monday, August* 30, 1965/*Bhadra* 8, 1887 (*Saka*),

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
269	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के निकट विदेशी जहाजों का देखा जाना	Foreign Ships sighted near Andaman and Nicobar Islands	1019–21
270	नागालैंड	Nagaland	1021–23
271	बहुदेशीय अणशक्ति दल संबंधी ब्रिटेन का प्रस्ताव	British proposal regarding Multilateral Nuclear Force	1024–28
272	कच्छ आक्रमण के पाकिस्तानी युद्ध-बन्दी	Pak P. O. Ws. captured during Kutch Invasion	1028–30
273	गोआ का नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास	Development of Goa as Naval Base	1030–32
274	पाकिस्तानी विमानों की श्रीलंका में उतरने की सुविधा	Facilities by Ceylon Government for Pakistan Planes	1032–33
275	राज्य सूचना मंत्री सम्मेलन	State Information Ministers' Conference	1033–37
276	दिवाकर समिति का प्रतिवेदन	Diwakar Committee Report	1037–38
277	वियत कांग को मान्यता देना	Recognition of Viet Cong	1038–40

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
278	दिल्ली टैलीविजन केन्द्र का विस्तार	Expansion of Delhi T. V. Centre	1040
279	श्रीलंका में भारतियों को नौकरी पर लगाने के बारे में प्रतिबन्ध	Restrictions on Employment of Indians in Ceylon	1040–41
280	दिल्ली में हुए उर्दू सम्मेलन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त की उपस्थिति	Pak High Commissioner at Urdu Conference held in Delhi	1041
281	भारत-पाक सीमा पर चीनी	Chinese on Indo-Pak Border	1041

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बातका द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
282	झरिया-रानीगंज कोयला खानों में दुर्घटना	Accidents in Jharia-Raniganj Coal Mines	1042
283	पत्रकारों तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी-बोर्ड	Wage Board for Journalists and Non-working Journalists	1042
284	"परिणाम के आधार पर भुगतान" योजना	Payment by Result Scheme	1043
285	जंजीबार में भारतीयों को पेंशन का भुगतान	Payment of Pensions to Indian in Zanzibar	1043
286	काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक	U. N. Observers in Kashmir	1043–44
287	आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकार	A. I. R. Staff Artistes	1044
288	पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	Air Space Violation by Pakistan	1045
289	भारत-लंका करार की कार्यान्विति	Implementation of Indo-Ceylon Agreement	1045–46
290	परमाणु शक्ति का विकास	Development of Nuclear Power	1046
291	लन्दन में भारतियों के विरुद्ध कू क्लक्सक्लान संस्था की कार्य-वाहियाँ	Activities of Ku Klux Klan against Indian community in London	1046–47
292	पाक द्वारा भारतीय अधिकारियों को वीजा देने से इन्कार	Pak refusal to grant visas for Indian officials	1047
293	प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब की भेंट	Meeting between the Prime Minister and President Ayub of Pakistan	1047–48
294	चीन पाकिस्तान सीमा समझौता	Sino-Pak Border Agreement	1048
295	भारतीय नौसेना तथा वायु सेना	Indian Navy and I.A.F.	104
296	लड़ाकू विमान के लिये अमरीकी सहायता	U. S. Assistance for Fighter Aircraft	1048–49
297	खान अब्दुल गफ्फार खां	Khan Abdul Ghaffar Khan	1049
298	अल्जीरिया की सरकार को मान्यता	Recognition of Algerian Government	1049–50

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
992	दिल्ली में बेरोजगारी	Unemployment in Delhi	1
993	डाक के फार्मों की कमी	Shortage of Postal Forms	1050–51
994	पंजाब में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges in Punjab	1051
995	पंजाब में टेलीफोन	Telephones in Punjab	1051
996	कन्नानूर जिले (केरल) में तार और टेलीफोन की सुविधायें	Telegraph and Telephone Facilities in Cannanore District (Kerala)	1052

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
997	केरल के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	Kerala P.W.D. Workers	1052
998	इलाहाबाद में आकाशवाणी केन्द्र	A.I.R. Station at Allahabad	1052-53
999	भूतपूर्व सैनिकों को सनिक भूमि का पट्टे पर दिया जाना	Lease of Military Lands to Ex-Servicemen	1053
1000	सेनफ्रांसिस्को में फिल्मी समारोह	San-Fransisco Film Festival	1054
1001	भारतीय नौसेना पोत "व्यास" द्वारा विदेशी जहाज़ को बचाना	Foreign Ship Rescued by I. N. S. "Beas"	1054-55
1002	उत्तरी बिहार का विकास	Development of North Bihar	1055
1003	पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दी	Indian P.O.Ws. in Pakistan	1055
1004	महाराष्ट्र में तारघर और टेलीफोन केन्द्र	Telegraph Offices and Telephone Exchanges in Maharashtra	1055-56
1005	बिजली का उत्पादन	Generation of Electricity	1056
1006	खनिज पदार्थ विभाग का सर्वेक्षण	Survey of Minerals Division	1056
1007	फरीदाबाद टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange, Faridabad	1057
1008	टेलीफोन केन्द्र, सुन्दरनगर-टाटा-नगर	Telephone Exchange, Sundernagar Tatanagar	1057
1009	ठेके पर काम करने वाले मजदूर	Contract Labour	1058
1010	घरेलू नोकर	Domestic Servants	1058
1011	उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रान्त के कबालियों द्वारा काश्मीर में अतिक्रमण	N.W.F.P. Tribals' Rampage in Kashmir	1059
1012	भारत-कुवैत आर्थिक सहयोग	Indo-Kuwait Economic Collaboration	1059
1013	मौरीशस में दंगे	Riots in Mauritius	1059-60
1014	व्यावहारिक प्रशिक्षण	Implant Training	1060
1015	लोहे तथा इस्पात उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड	Central Wage Board for Iron and Steel Industry	1060-61
1016	सैनिक फार्मों में खच्चर पालन	Breeding of Mules in Military farms	1061
1017	निःशस्त्रीकरण चर्चा में चीन को शामिल करना	China's Association with Disarmament Discussions	1061
1018	दूसरा सीमेंट मजूरी बोर्ड	Second Cement Wage Board	1061-62
1019	कच्छ के बारे में ईरान के प्रधान मन्त्री का वक्तव्य	Iranian Prime Minister's Statement regarding Kutch	1062
1020	कीनीया में एशियावासी	Asians in Kenya	1062
1021	"स्पेस व्हिस्लर्स"	Space Whistlers	1062-63
1022	कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड	Calcutta Dock Labour Board	1063

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1023	राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेटों का प्रशिक्षण	Training of N.C.C. Cadets .	1064
1024	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund . .	1064–65
1025	संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक पर पाकिस्तानियों का गोली चलाना	Pak Firing on U. N. Observer .	1065
1026	उत्तर प्रदेश में हैलीकोप्टर दुर्घटना	Helicopter Crash in U. P. . .	1065
1027	सशस्त्र सेना को सप्लाई किये गये जूते	Shoes Supplied to Armed Forces .	1066
1028	उत्तर प्रदेश के डाकखानों में जमा धन	Deposits in Post Offices in U. P. .	1066
1029	अरब दशों में पाकिस्तान द्वारा प्रचार	Pak Propaganda in Arab Countries	1066
1030	भारत से मुसलमानों का बिना परमिट के पाकिस्तान जाना	Migration of Muslims from India to Pakistan without Permits .	1066–67
1031	कोयला खान श्रमिकों को जूतों की सप्लाई	Supply of Footwear to Coal Mine Workers	1067
1032	कोयला खनिकों का आसनसोल स्थित केन्द्रीय अस्पताल	Central Hospital for Coal Miners at Assansol	1068
1033	रूस से मिग विमान	MIGS from USSR . .	1068
1034	थर्मो-इलेक्ट्रिक कूलर	Thermo-Electric Cooler. . .	1068–69
1035	सिखों के बारे में पाकिस्तानी प्रसारण	Pak Broadcasts regarding Sikhs .	1069
1036	पाकिस्तानियों द्वारा राजस्थान में धावा	Pak Raid in Rajasthan . .	1069–70
1037	जोधपुर में रेडियो प्रसारण सुविधायें	Broadcasting Facilities in Jodhpur .	1070
1038	कोयला खानों में दुर्घटनायें	Accidents in Coal Mines . .	1070–71
1039	डाक तथा तार विभाग में चौकीदारों के काम के घंटे	Working Hours for Chowkidars of the P. & T. Department . .	1071–72
1040	योजना प्रचार	Plan Publicity	1072
1041	दिल्ली व पटना के बीच ट्रंक काल की सीधी व्यवस्था	Delhi-Patna Direct Dialling System	1072–73
1042	नागपुर के निकट सैनिक स्कूल	Sainik School near Nagpur . .	1073
1043	पूर्वी पाकिस्तान स्थित भारतीय बस्तियों में भारतीय पुलिस	Indian Police Personnel in Indian Enclaves in East Pakistan .	1073
1044	गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता	Garden Reach Workshop, Calcutta	1074
1045	इण्डोनेशिया में भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian Campaign in Indonesia	1074
1046	मिलों में उपभोक्ता स्टोर	Consumer Stores in Mills . .	1075

अता०प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1047	बुचुनगई कोयला खान	Buchungaih Colliery . . .	1075
1048	न्यू घूसिक कोयला खान	New Ghusik Colliery . . .	1075
1049	न्यू डगरिया कोयला खान में दुर्घटना	Accident in New Dagoria Colliery	1076
1050	प्रादेशिक सेना	Territorial Army	1076-77
1051	अन्तर्राष्ट्रीय तारघर	International Telegraph Office .	1077
1052	प्रेस सूचना ब्यूरो	Press Information Bureau . .	1078
1053	तार	Telegrams	1078
1054	मंत्रीयों के भाषण	Speeches of Ministers . . .	1078
1055	"तास" और "पी० टी० आई०" के बीच समाचारों का आदान-प्रदान	Exchange of News between "TASS" and "PTI"	1079
1056	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	Press Trust of India . . .	1079
1057	अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति आयोग के अधीन अणु-शक्ति केन्द्र	Atomic Power Station under International Atomic Energy Commission	1080
1058	तारापुर का अणुशक्ति केन्द्र	Atomic Station at Tarapur . .	1080
1059	देहरादून में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडिटों की दुर्घटना की जांच	Enquiry into an accident of N.C.C. Cadets at Dehra Dun . .	1080-81
1060	खेतिहर मजदूरों पर गोष्ठी	Seminar on Agricultural Labour .	1081
1061	उपगृहों के माध्यम से संचार	Communications via Satellites .	1081
1062	मंगोलिया में भारतीय मिशन	Indian Mission in Mongolia . .	1081-82
1063	नई दिल्ली में थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग में स्थित डाकखाने में चोरी	Theft in Post Office in Theatre Communications Building, New Delhi	1082
1064	हवाई अड्डों के लिये चेकोस्लोवाकिया से सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण की खरीद	Purchase of Czech Safety Equipment for Aerodromes . . .	1082
1065	भारतीय फिल्मों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार	International Awards for Indian Films	1083
1066	योल छावनी (पंजाब) में भूमि अर्जन	Acquisition of Land in Yol Cantonment (Punjab)	1083-84
1068	स्वतन्त्रता दिवस समारोह के लिये भेजे गये निमन्त्रण पत्र	Invitation cards issued for Independence Day Celebration . .	1084
1069	जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल	Indian Delegation to Geneva Disarmament Conference . .	1084-85
1070	रूस में भारतीय फिल्म सप्ताह	Indian Films Week in U. S. S. R. .	1085

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सुचनाओं के बारे में—	Re: Motions for Adjournment and calling Attention Notices—	
इम्फाल में खाद्य स्थिति तथा वहां पर गोली चलाया जाना	Food situation in Imphal and the firing there	1085-86
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	1086
नियमों के उल्लंघन के बारे में—	Re: Breach of Rules—	
सदस्यों की रिहाई के बारे में सूचना	Intimation re: Release of Members	1086-87
विशेषाधिकार समिति —	Committee of Privileges—	
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	1087
काश्मीर की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	Situation in Kashmir (Statement)—	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan . . .	1087
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1965—	Finance (No. 2) Bill, 1965—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	Shri T. T. Krishnamachari	1087-89
श्री रंगा	,, Ranga	1089-90
श्री दाजी	,, Daji	1090-92
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha .	1092-94
श्री रामेश्वर टांटिया	Shri Rameshwar Tantia .	1094-95
श्री बड़े	,, Bade	1095-96
श्री शिव चरण गुप्त	,, Shiv Charan Gupta .	1096
श्री अल्वारेस	,, Alvares . . .	1097-98
श्री हेडा	,, Heda	1098
श्री काशी राम गुप्त	,, Kashi Ram Gupta. .	1099
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	1099-1100
श्री मुथिया	Shri Muthiah . . .	1100-01
श्री स० मो० बनर्जी	,, S. M. Banerjee . .	1101-02
श्री जोकिम आल्वा	,, Joachim Alva . . .	1102-03
श्री के० दे० मालवीय	,, K. D. Malaviya . .	1103-05
श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray . .	1105
राज्य परियोजनाओं के केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिये जानें के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour-Discussion Re : Central Take-over of State Projects—	
श्री मि० सू० मूर्ति	Shri M. S. Murti . . .	1105-07
श्री ब० रा० भगत	,, B. R. Bhagat . .	1107-08

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 30 अगस्त, 1965/8 भाद्र, 1887 (शक)

Monday, August 30, 1965/Bhadra 8, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS

Foreign Ships Sighted Near Andaman and Nicobar Islands

+

*269. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any evil designs of neighbouring countries have been revealed by the entry of certain foreign ships recently in the Indian territorial waters contiguous to Andaman and Nicobar Islands;

(b) if so, whether security arrangements in those areas have been further strengthened ; and

(c) whether any scheme to settle ex-servicemen in these islands by providing them necessary assistance is also under consideration ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : अण्डमान तथा निकोबर द्वीप समूह की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए गए हैं। द्वीप समूह के त्वरित विकास के लिए उपाय विचाराधीन हैं। तदपि, उन उपायों के विस्तार प्रकट करना लोकहित में न होगा।

Shri Prakash Vir Shastri : These news were reported in the newspapers. May I know whether Government have tried to ascertain the basis of these reports ? Whether neighbouring countries have violated our territorial waters in Andaman and Nicobar Islands ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सदस्यगण जानते है कि मैंने हाल ही में उस क्षेत्र में कुछ पनडुब्बियों का उल्लेख किया था। वह सूचना, अलबत्ता, हमारी जानकारी पर आधारित थी और यही कारण था कि हमें कुछ सावधानी के कार्य करने पड़े थे ....

श्री हरि विष्णु कामत : क्या कोई चीनी पनडुब्बी थी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं। यही कारण है कि हम ने कुछ सावधानी के कार्य करने आरम्भ कर दिये हैं और ये कार्य बराबर किये जा रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether Government have tried to know that who are those countries to whom those submarines belonged or who violated our territorial waters, if so, whether our Government have protested to those countries ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं। हम किसी देश से इस प्रश्न पर लिखा पढ़ी नहीं की है क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं था कि ये पनडुब्बियां किस देश की थी। परन्तु हमें कुछ इन कामों को रोकने के उपाय करने थे और हम उन्हें कर रह हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Have we taken any steps to strengthen the internal security arrangements in these Islands ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जी हां।

श्री कपूर सिंह : क्या इन्डोनेशिया ने अन्दमान द्वीप समूह पर कोई दावा किया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। यहां हम केवल अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं। अन्यथा मैंने इसका उत्तर दे दिया होता।

श्री कपूर सिंह : क्या इसका यह अर्थ है कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है या इस विशिष्ट प्रश्न से इसका संबंध नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इस विशिष्ट प्रश्न से इसका संबंध नहीं है। मैं मानता हूं कि वैसे यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को गुप्त सूचना विभाग अथवा देशी या विदेशी सूत्रों से यह खबर मिली है कि चीन सरकार इन्डोनेशिया सरकार की सहायता से हिन्द महासागर जिसे वह इन्डोनेशिया महासागर कहती है, क्षेत्र में एक नौसेना अड्डा बना रही है और यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में नौसेना प्रतिरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाते समय सरकार ने इस तथ्य को उचित महत्व दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

श्री हरि विष्णु कामत : इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी जाये क्योंकि इसका संबंध सुरक्षा व्यवस्था से है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह से ही संबंधित है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं उसी क्षेत्र की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु आपने अपने प्रश्न में किसी और चीज़ को पृष्ठ भूमि बना कर उसका उल्लेख किया है .....

श्री हरि विष्णु कामत : अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह हिन्द महासागर में ही हैं और उसी क्षेत्र का मैं ज़िक्र कर रहा हूं, और उस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है .....

श्री हरि विष्णु कामत : अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह इसी क्षेत्र में है। प्रश्न का भाग (ख) इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में है। मुझे मालूम हुआ है कि चीन वहां पर नौसेना का अड्डा बना रहा है। मैं यही जानना चाहता हूं कि सरकार इसके विरोध में क्या कोई कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में पूरे महासागर के बारे में नहीं पूछा गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : अन्दमान भी इसी क्षेत्र में है।

श्री कपूर सिंह : क्योंकि यह एक पड़ोसी देश है हम इस जानकारी में रुचि रखते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : आप मूल प्रश्न का (ख) भाग देखें . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले ही देख लिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : आपको इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिये। इस प्रकार तो प्रश्न मात्र का कोई महत्व ही नहीं रहेगा।

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Defence Minister has given information regarding the security of these Islands. Is it not a fact that in the recent past some fishing boats used to violate our territorial waters, but our Civilian Officers were unable to catch them because they did not have adequate means of catching them ? If it is a fact whether Government have given thought to this question ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न पर भी बहुत गौर किया गया था। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं मैंने मछली पकड़ने वाली नावों को पकड़ने के संबंध में भी कुछ जानकारी दी थी। उनको पकड़ा था और उन पर सवार व्यक्तियों से पूछताछ की गई थी और हमें कुछ जानकारी मिली थी।

यह बात नहीं है कि इस प्रश्न पर गौर नहीं किया जा रहा है, परन्तु मैं मानता हूं कि आगे और प्रयत्न करना भी आवश्यक है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या प्रतिरक्षा की दृष्टि से सरकार ने अपनी पनडुब्बियां बनाने पर भी विचार किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम पनडुब्बियां खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं।

+

नागालैंड

*270. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री बसुमतारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **प्रधान मंत्री** 17 दिसम्बर, 1964 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बीच नागालैंड की समस्याओं को वदेशिक-कार्य मंत्रालय के बजाय गृह मंत्रालय के जरिये सुलझाने का निश्चय किया है क्योंकि नागालैंड देश का अभिन्न अंग है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री ललित सेन) : सरकार ने सिद्धान्त रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि नागालैंड भारत का अभिन्न अंग होने के कारण इससे सम्बन्धित मामले वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कार्यों के सामान्य विषय-क्षेत्र से बाहर हैं। कुछ भी हो वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सरकार का विचार है कि विद्यमान व्यवस्था में परिवर्तन की बात को कुछ समय के लिए स्थगित रखना पड़ेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : इस सभा में कई बार जो मांग की गई है उसको क्रियान्वित करने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं कारणों में तो नहीं जाऊंगा। परन्तु जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कुछ बातचीत चल रही है। जैसा कि स्वयं उत्तर में दिया गया है, हमने सिद्धान्त रूप में इसको स्वीकार कर लिया है। यह केवल समय का प्रश्न है। हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या आयोग ने कोई अस्थायी प्रतिवेदन दिया है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कौनसा आयोग ?

श्रीमती सावित्री निगम : नागालैंड आयोग, श्री पाटस्कर जिसके सभापति हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : वह एक भिन्न चीज़ है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

Shri Raghunath Singh : May I know whether hostile activities are increased by hostile nagas after Michal Scott left that place ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नागालैंड की समस्याओं को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के बजाय गृह-मंत्रालय के जरिये सुलझाने के बारे में है।

श्री रघुनाथ सिंह : इसका उसी से संबंध है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात उसमें नहीं आती है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या नागालैंड के मामले को गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपने के बाद वहां की स्थिति में तुरन्त सुधार नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने से नागालैंड विदेशियों के लिये जो कि वहां पर सब तरह की बातें करना चाहते हैं प्रचार का क्षेत्र नहीं बनेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं नहीं समझता कि विदेशियों द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही है। मैं ठीक तरह नहीं समझ पाया। वह क्या पूछना चाहते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम ने यह स्वीकार कर लिया है कि इसको गृह मंत्रालय को दे दिया जाये। उचित समय पर ऐसा कर दिया जायेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री जय प्रकाश नारायण के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि नागालैंड के मसले को सुलझाने में अभी काफी समय लगेगा, क्या सरकार वास्तविक रवैया अपनाने के लिये तैयार है जैसा कि गतिशील समाज चाहता है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या विद्रोही नागाओं के साथ बातचीत जारी रखने के लिये यह शर्त मानी गई है कि नागालैंड का मामला वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के पास रहेगा ? यदि हां, तो क्या यही कारण है कि सरकार इसको कुछ और समय के लिये वदेशिक-कार्य मंत्रालय में रखने के लिये तयार है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ऐसा नहीं है ।

श्री हर्षल : नागालैंड का मामला जल्दी या देर में गृह मंत्रालय को दे दिया जायेगा । क्या सरकार ने इस मामले में नागालैंड सरकार की राय ले ली है ? यदि हां, तो उस सरकार की क्या राय है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने नागालैंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी । वह इसके विरुद्ध नहीं है, पर फिर भी वह चाहते हैं कि इस पर और विचार किया जाये और वह चाहते थे कि फिलहाल यह मामला जहां है वहीं रहे ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि चूंकि हमारी सरकार नागा फैडरल सरकार से राजनीतिक समझौते के लिये बातचीत कर रही है, नागालैंड के लोग यह समझते हैं कि दो बराबर की सरकारें हैं, एक तो वैदशिक-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत शिलो आओ की और दूसरी नागा विद्रोहियों की ; यदि हां, तो नागालैंड में अपना अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या सुनिश्चित करने के लिये ?

श्री हेम बरुआ : हमारी सरकार का अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिये । क्योंकि नागा संघ के लोगों की बराबर की एक सरकार है । मैं जानना चाहता हूं कि नागालैंड में अपना अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिये श्री लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कदम उठाये हैं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वहां की वास्तविक सरकार राज्य सरकार है जिसके प्रधान शिलो आओ हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई अन्य सरकार है जिसको हम मान्यता देते हैं ।

Shri Kashi Ram Gupta : The Prime Minister said the Nagaland affairs will be transferred to Home Ministry after some time. The Nagas are delying the transfer. Has any time limit been put for the transfer or whether it will remain with the External Affairs Ministry till the negotiations with Nagas continue ?

Shri Lal Bahadur Shastri : No time limit has been laid down but we hope to negotiate with them in the month of October.

Shri Yashpal Singh : The Naga leader Mr. Fizo has gone to Britain without our permission and without our passport and taken refuge there. Has this matter been taken up with the U. K. Government as to why they gave shelter to our thief ?

Mr. Speaker : From Nagaland he has shifted to Fizo. Next question.

बहुदेशीय अणु शक्ति दल संबन्धी ब्रिटेन का प्रस्ताव

+

*271. **श्री हेम बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसेवक यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वारका दास भंडारी :
श्री वसुमतारी :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के अणु बम बनाने के फलस्वरूप ब्रिटेन ने एशियाई देशों की सुरक्षा-योजना के एक अंग के रूप में स्वेज़ से पूर्व में एक बहुदेशीय अणु शक्ति सेना रखने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) सरकार ने इस तरह के प्रस्ताव की खबरें देखी हैं, परंतु इस विषय पर ब्रिटेन सरकार से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान फ्रांस के परमाणु युद्ध विशेषज्ञ लैफ्टनेंट जनरल गेंलोदस के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत जैसा देश परमाणु हथियारों का खर्च सरलता से सहन कर सकता है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन बहुत तेज़ी से परमाणु हथियार बना रहा है और इन्डोनेशिया और पाकिस्तान उसका अनुसरण कर रहे हैं, क्या सरकार ने परमाणु बम बनाने की वांछनीयता पर पुनः विचार किया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : परमाणु हथियारों के संबंध में हमारी नीति के बारे में प्रधान-मंत्री पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं ।

श्री हेम बरुआ : पहली बात मैं यह जानना चाहता था कि.....

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो कुछ कहा वह सब तो मुझे याद नहीं है, परन्तु अन्त में आपने यह पूछा था कि क्या सरकार ने परमाणु बम बनाने की अपनी नीति पर पुनः विचार किया है । उत्तर यह है कि सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है । इसका अर्थ है कि जो पहले कहा गया सरकार उस में परिवर्तन नहीं कर रही है ।

श्री हेम बरुआ : मैं सरकार का ध्यान हाल में हुई घटनाओं की ओर दिलाना चाहता था तथा बताना चाहता था कि फ्रांसीसी आण्विक विशेषज्ञोंने कहा है कि अणु हथियार बनाने में कम खर्च आता है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सब कुछ मालूम होने पर भी मंत्री महोदय बताते हैं कि सरकार की नीति वही है तो इस प्रश्न की क्या आवश्यकता है ।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने बताया कि सरकारने अपनी नीति की घोषणा कर दी है । मैं जानना चाहता था कि क्या इन घटनाओं के आधार पर सरकार नीति पर पुनः विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह दूसरा प्रश्न है ?

श्री हेम बरुआ : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : तब दूसरा प्रश्न पूछिए ।

श्री हेम बरूआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन घटनाओं के आधार पर सरकार अपनी नीति बदलेगी ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : कोई ऐसा कारण नहीं है कि सरकार इस बारे में विचार करे ।

श्री हेम बरुआ : स्वयं प्रधान मंत्री उत्तर देना चाहते हैं ।

प्रधान मंत्री वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): कई कारण हैं जिनकी वजह से हमने यह निर्णय किया । यह एक ऐसा मामला है जिस में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं पैदा होती हैं और हम यह महसूस करते हैं कि हमें परमाणु हथियारों के विस्तार को आगे रोकना चाहिये और इसके लिये यह जरूरी है कि हमें स्वयं परमाणु बम का निर्माण नहीं करना चाहिये । जैसा कि सभा को विदित है निःशस्त्रीकरण समिति इस मामले पर विचार कर रही है । उस समिति ने एक विशेष रुख अपनाया है और यह ऐसा मामला है जिसपर संसार में सब से ऊंचे स्तर पर विचार किया जाना चाहिये । हमें अपनी नीतियों का अनुसरण करना है; फिर बाद में यदि कोई नई स्थिति उत्पन्न होगी तो उस पर पुनः विचार करना होगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : भारत सरकार द्वारा औपचारिक प्रस्ताव किस संदर्भ में प्राप्त हुआ है और उसमें किन बातों का उल्लेख किया गया है और इस सेना में कौन कौन देश भाग लेने के लिये तैयार थे ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन: मैं पहले ही बता चुकी हूं कि ब्रिटिश सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या ब्रिटिश उच्च आयुक्त जुलाई में ब्रिटेन वापस चले गये थे, क्या वह भारत सरकार के लिये ब्रिटिश प्रधान मंत्री से कोई औपचारिक प्रस्ताव लाये थे क्योंकि श्री बौटमले से भी उनकी बातचीत हुई थी और जो प्रस्ताव वह लाये हैं उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन: मैं पहले ही बता चुकी हूं कि ब्रिटेन सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था ।

Shri Madhu Limye : Security schemes for West and (अग्नेय) 'Agney' Asia had been formulated by Britain on the basis of army and not on the basis of nuclear weapons. We see a definite partisan attitude here. In the Kashmir and Kutch affair Britain has sided with Pakistan. What is the reaction of the Government on the formal or informal proposal received from Britain ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): मंत्री महोदया पहले ही बता चुकी है कि ब्रिटेन की सरकार से भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । दूसरे मामले के संबंध में हम अपनी स्थिति समय समय पर स्पष्ट करते रहे हैं कि हम ऐसे किसी सैनिक समझौते में दिलचस्पी नहीं रखते ।

श्री रा० बरुआ : इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि उत्तर ऐटलांटिक संधि संगठन के उन देशों को जिन के पास परमाणु हथियार नहीं हैं परमाणु हथियार देने के प्रश्न पर अमरीका, ब्रिटेन और रूस में आपसी बातचीत द्वारा निर्णय किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो यह हमारी आणविक नीति संबंधी प्रस्तावों से कहां तक मेल खाता है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : 18-राष्ट्र निःशस्त्रीकरण समिति में हमारे प्रतिनिधि पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हम चाहेंगे कि अन्य देशों को अणु हथियारों संबंधी तकनीकी ज्ञान की सूचना देने के बारे में कोई वचन दिया जाये। हमने पांच प्रस्ताव रख हैं जिनका उद्देश्य अणु हथियारों के निर्माण तथा उनके बारे में तकनीकी ज्ञान की सूचना के बारे में कुछ वचन प्राप्त करना है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether any country has accepted this proposal and whether such a proposal has been put forward while negotiating test ban treaty at Geneva ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसको समिति में रखा जा रहा है; इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्णपाल सिंह : प्रधान मंत्री ने बताया है कि वह निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रतीरक्षा करेंगे। इसमें काफी समय लग सकता है। परन्तु हमारी आवश्यकताएं हमें इसके बारे में शीघ्र जानकारी हासिल करने के लिए बाध्य करती हैं। क्या नीति में परिवर्तन करने के लिये यह पर्याप्त कारण नहीं है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं। मेरी राय में इस समय नीति में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री दाजी : क्या राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में ऐसा कोई सुझाव दिया गया था और यदि हां, तो क्या उन्होंने सम्मेलन में यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारी दक्षिण-पूर्वी एशिया सनिक संगठन में कोई रुचि नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं। राष्ट्र मण्डल सम्मेलन में इस विषय के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया था। ब्रिटिश सरकार इस बारे में हमारा दृष्टिकोण भली भांति जानती है।

श्री पु० र० पटेल : हमारी नीति परमाणु हथियार नहीं बनाने की है। न ही हमारी नीति किसी परमाणु संधि में शामिल होने की है। यदि हमारे ऊपर परमाणु हथियारों से हमला किया जाता है तो उस स्थिति में हम देश की रक्षा कैसे करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक बहुत व्यापक प्रश्न है।

Shri Tulshidas Jadhav : We are not manufacturing nuclear weapons. Has it been decided that in case of nuclear attack on us nuclear powers would come to our aid?

Shri Swaran Singh : Nothing of this sort has been agreed upon. The country is not threatened with nuclear attack.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने ब्रिटेन की संसद् में तथा बाहर कई बार चीन द्वारा अणु विस्फोट के संदभ में भारत की रक्षा के बारे में बहुत अधिक चिंता प्रकट की है तथा ब्रिटेन की इस अधिक चिंता के अनुसार उन्होंने कहा है कि वह इस प्रकार का समझौता करने के लिये अग्रतर कार्यवाही आदि कर रहे हैं। मैं जानना चाहता

हूं कि नीति के इस महत्वपूर्ण विषय में इस सरकार से सलाह किये बिना ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को हमारी सुरक्षा की देखभाल करने का क्या अधिकार है तथा क्या मैं यह समझूं कि इस बात के बावजूद भी, कि वह हमारी प्रतिरक्षा नीति बनाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। भारत सरकार ब्रिटेन सरकार से विरोध प्रकट करने का इसे कोई कारण नहीं समझती है और हमें ब्रिटेन को कुछ नहीं कहना है अथवा हमने इस बात की ओर बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दिया है। इस के क्या कारण हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : एक विकासशील स्थिति के बारे में मत अथवा चिंता प्रकट करने का यह अर्थ नहीं है कि वह हमारी प्रतिरक्षा नीति बना रहे हैं। माननीय सदस्य ने इन दोनों बातों को मिला दिया है। हमने ब्रिटेन सरकार तथा कई अन्य मित्र देशों को इन बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। यह बात सभा को कई बार बताई जा चुकी है कि यदि आणविक राष्ट्र वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आणविक अस्त्रों में वृद्धि न हो तो उन्हें यदि आणविक अस्त्रों को बनाने की होड़ जारी रखी जाती है तो उन राष्ट्रों को, जिनके पास आणविक अस्त्र नहीं हैं, इन आणविक अस्त्रों से बचाव का पुनः आश्वासन देने के किसी तरीके पर विचार करना चाहिये। हमने इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। ब्रिटिश सरकार अथवा ब्रिटिश प्रधान मंत्री हमारी प्रतिरक्षा नीति का निर्माण करने के लिये न ही कोई कार्यवाही कर रहे हैं और न ही कोई हमें सुझाव दे रहे हैं। प्रतिरक्षा नीति का निर्माण करना इस देश तथा इस संसद का कार्य है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि कोई चिन्ता प्रकट करता है ....

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्होंने एक प्रश्न पूछने में चार मिनट लगाये ह। जो उत्तर दिया गया है वह पर्याप्त है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या केन्द्रीय सरकार इस सभा को यह आश्वासन देने की स्थिती में है कि आण्विक अस्त्रों को बनाने के बारें में अपनी नीति पर पुनर्विचार न करने के निर्णय के बावजूद देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमने पहले जो यह निर्णय किया है कि हम आणविक अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे उसको बदलने का अभी कोई कारण नहीं है। यदि कोई नई स्थिति उत्पन्न होती है तो देश निश्चय ही इस निर्णय पर पुनर्विलोकन कर सकता है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार अब सभा को निश्चित रूप से यह आश्वासन देने के लिये तैयार है कि आणविक अस्त्रों के न बनाने के निर्णय के बावजूद भी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जायेगा ? हम केवल यह आश्वासन चाहते हैं।

श्री बूटा सिंह : क्या सरकार यह महसूस करती है कि आणविक छाते का अर्थ दूसरों पर निर्भर रहना होगा। क्या हम अपनी सम्पूर्ण सत्ता का त्याग करने जा रहे हैं अथवा क्या हम अणु बम बनाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह उसी प्रश्न को पूछने का एक दूसरा तरीका है।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने किसी आणविक बचाव (अम्ब्रेला) को स्वीकार नहीं किया है अतः माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये भय की बिल्कुल कोई बात नहीं है। (**अंतर्बाधाएं**)

श्री भागवत झा आज़ाद : यद्यपि औपचारिक रूप से सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु हमने समाचारपत्रों में देखा है कि ब्रिटन एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान के लिये ब्रिटेन की सहानुभूति तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने केन्द्रीय सन्धि संगठन तथा दक्षिण-पूव एशिया सन्धि संगठन का हाल भी देखा है, क्या प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगे कि हमें तथाकथित प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों में दिलचस्पी नहीं है तथा ब्रिटेन इस दिशा में और कोई कायवाही न करे और ऐसे शरारतपूर्ण प्रचार को आरम्भ में ही दबा दिया जाना चाहिये ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया है तथा ब्रिटेन सरकार को हमारे विचारों और हमारे रवैये की जानकारी है। हम इसका विरोध करते रहे हैं तथा हम आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे।

कच्छ आक्रमण के पाकिस्तानी युद्ध-बन्दी

+

*272. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बसवन्त :
श्री नरेन्द्र सिंह पहीड़ा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कच्छ सीमा क्षेत्र पर पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान कितने पाकिस्तानी सैनिक बन्दी बनाये गये;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच युद्धबन्दियों की अदला-बदली के बारे में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मन्त्री (डा० द० स० राजू) : (क) 5।

(ख) तथा (ग) : दोनों देशों के बीच बन्दियों का तबादला 14 अगस्त, 1965 को हुआ था।

Shri Raghunath Singh: May I know whether there is any Indian prisoner now in Pakistan or not and whether it has been asked from those who have come back, that they were not maltreated ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : उन लोगों से जो वहां से लौट कर आये हैं, कई मामलों के बारे में पूछताछ की जा रही है। मैं इस अवस्था में कोई वक्तव्य नहीं दे सकता हूं। परन्तु जहां तक कच्छ में सैनिक कार्यवाही का सम्बन्ध है, वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे पास कोई युद्धबन्दी नहीं हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि फ्लाइट लेफ्टीनेंट सिक्का को, जिसके विमान को कहीं कच्छ क्षेत्र में मार गिराया गया था, जब अन्य युद्ध बन्दियों के साथ लौटाया गया था तो वह लकवा रोग से पीडित थे और यदि हां, तो उन से अथवा अन्य सूत्रों से यह पता लगाया गया है कि क्या इस बात का कारण यह था कि जब वह उनके बंदी थे तो पाकिस्तानी अधिकारियों न उन्हें विष अथवा और कोई औषधि दी थी जिससे उन्हें इस दयनीय दशा में लाया जाये ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : फ्लाईट लैफ्टीनेंट सिक्का के सम्बन्ध में सही बात यह है कि जब उन्हें पाकिस्तान से रिहा किया गया तो उनकी दशा यह थी कि वह चल फिर नहीं सकते थे। परन्तु तत्पश्चात जब उनका चिकित्सीय परीक्षण किया गया तो पता चला कि उन्हें लकवा नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : उनकी अब क्या दशा है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : उनकी दशा अब अच्छी तथा सामान्य है। मैंने स्वयं चिकित्सकों द्वारा किये गये परीक्षण की रिपोर्ट देखी है। अभी उनकी चिकित्सा की जा रही है।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि मैंने उन्हें ठीक प्रकार से सुना है तो उन्होंने अभी बताया कि उनकी दशा अब अच्छी तथा सामान्य है। परन्तु अभी उन्होंने बताया है कि उनकी चिकित्सा हो रही है। वह किस लिये ?

अध्यक्ष महोदय : वह कौन से रोग से पीड़ित थे ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैडिकल रिपोर्ट के अनुसार उन्हें शायद मनोवैज्ञानिक धक्का लगा था।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों से ऐसा बुरा व्यवहार किया गया है जोकि आचरण के सभी मान्य अन्तर्राष्ट्रीय संहिताओं के प्रतिकूल है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : श्रीमन्, जैसा कि मैंने बताया है कि पूछताछ आदि करने के पश्चात मुझे और सूचना मिल रही है। यदि कोई और सूचना मालूम हुई जिसको मैं समझूंगा कि यह सभा को दी जानी चाहिये तो मैं वह अवश्य दूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri : Once Defence Minister has stated in the house that so many of our Jawans killed, so many are P.O.W. and so many are missing on this basis, is it a fact that even now there are some Indian P.O.Ws. in Pakistan about which we have no knowledge and if so, the efforts being made by Government to get them back ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : ऐसे दो ही मामले हैं जिनके बारे में हमने सोचा था कि वह बन्दी हैं। अब पता चला है कि वह गुम हैं। उनके सम्बन्ध में हम अग्रेतर पूछताछ कर रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the number of our prisoners returned by Pakistan and whether those are still more there according to our calculations ?

Mr. Speaker : The answer has already been given.

Shri Onkar Lal Berwa : Figures have not been given.

Mr. Speaker: What is the total number ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : कच्छ सीमा में कुल 38 भारतीय कर्मचारी गुम थे जिनमें 19 सैनिक तथा 19 पुलिस कर्मचारी थे। इन में से 14 अगस्त 1965 को युद्धबन्दियों के विनिमय में 36 का हिसाब मिला है।

Shri Yash Pal Singh : Has Government found out whether the weight of our prisoners has gone down there or the weight of their prisoners has gone down here ? Has Government made any comparison in this regard ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जी, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहूंगा कि क्या कच्छ में आक्रमण के फलस्वरूप किसी पाकिस्तानी युद्धबन्दी ने काश्मीर में घुसपैठ तथा अतिक्रमण करने की उनकी योजना के बारे में कोई जानकारी दी थी ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले बताया है, पूछताछ करने के पश्चात् मुझे इस सम्बन्ध में अभी और जांच करनी है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने बन्दियों से ये पूछा है कि क्या उनमें से किसी ने कड़ी और परेशान करने वाली कार्यवाही किये जाने पर पाकिस्तान सरकार को कोई जानकारी दी थी ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : यही मामला तो विचाराधीन है। इस बात का निर्धारण केवल पूछताछ पूरी होने के पश्चात ही किया जा सकेगा।

Shri K. N. Tiwary : About the sickness of Flt. Lt. Sikka the Minister has just now stated that he had received a mental shock, whether Government has enquired as to what was the cause of that mental shock ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : यही तो मैंने मैडिकल रिपोर्ट के बारे में बताया है।

गोआ का नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास

+

*273. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री बागड़ी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 29 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 622 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाहकार फर्म ने गोआ का नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) उस फर्म का क्या नाम है तथा उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या उन सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है, और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या स्थान सम्बन्धी जांच पूरी हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां।

(ख) सर्वश्री रेण्डल, पामर तथा ट्रिटन। जहां तक नौसेना का संबंध है मुख्य सिफारिशें अल्बुकर्क बिन्दु के आसपास विकास के संबंध में हैं, क्योंकि वास्को खाड़ी के साथ लगता पूर्वी आधा भाग बड़े नौसैनिक जहाजों के ठहराने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और बडेम खाड़ी छोटे जहाजों के लिए।

(ग) रिपोर्ट विचाराधीन है।

(घ) तथा (ङ) : जी नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : पिछले आयव्ययक में 29 मार्च को इस विषय पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया था कि ब्रिटेन की सलाहकार फर्म भारतीय फर्मों की भी सहायता लेगी। अग्रेतर उन्होंने यह भी कहा था कि "जहां तक सलाहकारों का सम्बन्ध है मैं महसूस करता हूं कि उन्हें कार्य निश्चित कालावधि के भीतर करना होता है"। क्या मैं जान सकता हूं कि ब्रिटेन की सलाहकार फर्म ने किन भारतीय फर्मों को सहयोग अथवा सहायता के लिये चुना है तथा सलाहकारों को कार्य पूरा करने के लिये कितनी कालावधि निश्चित की गई है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : खेद है कि उस भारतीय फर्म के नाम का मुझे पता नहीं है। जहां तक कालावधि का सम्बन्ध है, उन्हें एक अन्तरिम प्रतिवेदन 1964 के पिछले भाग में प्रस्तुत करना चाहिये था जोकि उन्होंने सितम्बर, 1964 में किया। उन्होंने अन्तिम प्रतिवेदन इस वर्ष फरवरी अथवा मार्च में प्रस्तुत किया था जोकि सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या गोआ में इस नौसैनिक अड्डा परियोजना को नौसैनिक प्रतिरक्षा की एक एकीकृत योजना के एक भाग के रूप में अथवा एक पृथक परियोजना के रूप में लिया जा रहा है तथा यदि इसे नौसैनिक प्रतिरक्षा की एक एकीकृत योजना के एक भाग के रूप में लिया जा रहा है तो यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री यशवंतराव चव्हाण : वास्तव में समस्या यह है कि इस बन्दरगाह की प्राकृतिक सुविधाओं का उपयोग दोनों नौसैनिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये करना है। इस सारे मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार करना होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : वाणिज्यिक प्रयोजन?

श्री यशवंतराव चव्हाण : दोनों।

डा० सरोजनी महिषी : क्या मैं जान सकती हूं कि दक्षिण भारत में कई बन्दरगाहों का हाल में अपना दौरा करने के पश्चात जहाज़रानी बोर्ड के सभापति द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रतिवेदन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि मसूर में करवार का एक नौसैनिक अड्डे के रूप में तथा गोआ का एक वाणिज्यिक बन्दरगाह के रूप में विकास करना बहुत अच्छा रहेगा?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मुझे ऐसे किसी प्रतिवेदन का पता नहीं है क्योंकि मुझे और किसी बन्दरगाह की जानकारी नहीं है। मैं केवल इस बन्दरगाह तथा इस के बारे में प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहा हूं।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या भारतीय सरकार ने गोआ को केन्द्रीय सरकार के अधीन रखने के प्रश्न पर कभी विचार किया है जिससे इसका विकास एक कारगर नौसैनिक अड्डे के रूप में किया जा सके?

श्री यशवंतराव चव्हाण : इस प्रश्न पर मैं विचार नहीं कर रहा हूं।

श्री शिवजीराव शं० देशमुख : गोआ का नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास करने में कितना खर्च आने की सम्भावना है।

श्री यशवंतराव चव्हाण : प्रतिवेदन म 8 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख है। परन्तु मैं किसी विशेष आंकड़े से अपने आप को वचनबद्ध नहीं करना चाहता हूं क्योंकि लागत के घटने, बढ़ने तथा बदलने की सम्भावना है।

श्री बासप्पा एक नौसैनिक अड्डे के लिये कौनसी सुविधायें आवश्यक हैं? क्या यह सुविधायें गोआ में उपलब्ध हैं?

श्री यशवंतराव चव्हाण : ये तो बहुत व्यापक मामले हैं और प्रतिवेदन में इन पर निश्चय ही विचार किया गया होगा। इस अवस्था में मैं इन पर ब्योरेवार विचार नहीं कर सकता हूं।

पाकिस्तानी विमानों को श्रीलंका में उतरने की सुविधा

+

*274. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच उड़ान करने वाले पाकिस्तानी विमानों को श्रीलंका सरकार द्वारा श्रीलंका के हवाई अड्डों पर उतरने की सुविधा दिये जाने की ओर आकर्षित किया गया है ताकि वे भारत के ऊपर उड़ान न करें और फलस्वरूप इन उड़ानों पर भारत का कोई नियंत्रण न रहे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने श्रीलंका सरकार से आश्वासन मांगा है कि वह माल ले जाने वाले विमानों और यात्री विमानों को उस देश पर उड़ान करने की अनुमति देगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या आश्वासन मांगा है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) सरकार को यह मालूम है कि मई 1965 में एक पाकिस्तानी विमान पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वपाकिस्तान जाते समय रास्ते में श्रीलंका में उतरा था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तान विमानों को श्रीलंका में उतरने की अनुज्ञा देने के लिये श्रीलंका सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं, श्रीलंका सरकार को पूरा अधिकार है कि वह चाहे तो अनुमति दे अथवा न दें।

श्री हेम बरुआ : अेक अथवा कई बार पहले जब पाकिस्तान अपने विमान उड़ा रहा था तथा अपने सनिकों को विमानों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान भेज रहा था तो हमने इस पर आपत्ति की थी और इस आपत्ति के फलस्वरूप यह समाचार छपा था कि श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तानी विमानों को श्रीलंका से होकर पूर्वी पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी है। यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने श्रीलंका सरकार को बता दिया है कि यह मैत्री की कार्यवाही नहीं है?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने श्रीलंका सरकार से कुछ नहीं कहा है और न ही उसे कोई विरोध पत्र भेजा है। श्रीलंका सरकार को एक सार्वभौम सत्ताधारी राज्य होने के रूप में विदेशी विमानों को वहां उतरने की अनुमति देने तथा अनुमति वापिस लेने का पूरा अधिकार है।

श्री हेम बरुआ : शायद उन्होंने मेरे प्रश्न को समझा नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने भी समझा है और मैंने भी। उत्तर भी दे दिया गया है।

श्री हेम बरुआ : प्रश्न यह है कि पाकिस्तानी विमान .....

अध्यक्ष महोदय : वह महसूस करते हैं कि यह एक मैत्री की कार्यवाही नहीं है।

श्री हेम बरुआ : मुझे पूर्ण आशा है कि आप भी यही महसूस करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कहते हैं कि एक सार्वभौम सत्ताधारी सरकार होने के रूप में श्रीलंका सरकार को विदेशी विमानों को वहां उतरने की अनुमति देने तथा न देने का पूरा अधिकार है।

श्री हेम बरुआ : जब हमारे शत्रुओं को अनुमति दी जाती है....

अध्यक्ष महोदय : अब वह तर्क कर रहे हैं। यह एक पृथक प्रश्न है।

Shri Vishwa Nath Pandey : Have the Government of India sought any assurance from the Ceylon Government that no plane carrying military material from West Pakistan to East Pakistan should be allowed to fly *via* Ceylon ?

Mr. Speaker: The hon. Minister has just given the reply that the Ceylon Government has every right as a sovereign State to give permission to the landing of planes of foreign countries if she thinks fit.

\+ **राज्य सूचना मंत्री सम्मेलन**

*275. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हेमराज :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुलशन :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री बागड़ी :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई 1965 में नई दिल्ली में हुए राज्य सूचना मंत्रियों के सम्मेलन ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) से (ग) : 7 मई 1965 को हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में सीमा स्थिति, खाद्य समस्या, राष्ट्रीय एकता, परिवार नियंत्रण आदि विषयों के प्रचार में समन्वय की समस्याओं पर विचार किया गया और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रचार कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए सुझाव दिए गए। एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जा रहा है जिसमें सम्मेलन की मुख्य सिफ़ारिशें और उन पर की गई कार्रवाई दिखाई गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4667/65।]**

श्री दी० चं० शर्मा : विवरण में यह बताया गया है : "सीमान्त क्षेत्रों में रेडियो सुनने की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।"

जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, मनीपुर और आसाम के सीमावर्ती क्षेत्रों में और क्या सुविधायें दी गयी हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जैसा विवरण में बताया गया है, प्रचार कार्य के लिये एक उच्च स्तर समिति बनायी गयी है जिसमें प्रतिरक्षा, वैदेशिक-कार्य, गृह मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, सीमान्त सुरक्षा संगठन और योजना आयोग के प्रतिनिधि हैं। उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है।

श्री दी. चं. शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अतिरिक्त सुविधायें दी गयी हैं। राज्यों के सूचना मंत्री विचार विमर्श में इतना समय व्यतीत करते हैं। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : कुछ नयें स्टेंशन स्थापित किये गये हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रांसमिटर लगाए गये हैं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या ये सिफारिशें राज्य के मंत्रियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिये गये दो अन्तरीम प्रतिवदनों के बारे में बताये जाने के बाद की गयी और यदि उनको इस बारे में नहीं बताया गया तो उनको इन अन्तरीम सिफारिशों के बारे में न बताये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : सम्मेलन 7 मई, 1965 को हुआ था और सूचना निदेशकों की बैठक उसके बाद 8 मई को हुई। अतः एक प्रतिवेदन तो तैयार हो चुका था और वास्तव में उनका विभिन्न रूप से मार्ग-दर्शन किया गया। विभिन्न मदों के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

Shri Yashpal Singh: Has the conference made any such recommendation that much of the Time of A.I.R. is wasted on songs and some programme must be relayed for the development and defence of the country ?

Shrimati Indira Gandhi: There is time for everything.

श्री हेमराज : क्या पंचायतों को दिये गये रेडियो सेटों में से 50 प्रतिशत से अधिक सेट बेकार पड़े हैं क्यों कि राज्य सरकार द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी मरम्मत कराये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ? इस बारे में केन्द्रीय सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : ये आंकड़े इतने अधिक नहीं हैं। यह सच है कि जहां बैटरी से चलने वाले रेडियो सेट हैं, जहां गांवों में बिजली नहीं है, वहां कुछ दिक्कत है। हमें तकनीकी व्यक्ति रखने हैं जो मरम्मत का काम कर सकते हैं। वास्तव में हम ऐसे अध्यापक रखने का भी प्रयत्न कर रहे हैं जिन्हें रेडियो सेटों की मरम्मत की जानकारी हो। स्थिति अब सुधर गयी है।

Shri Onkar Lal Berwa : The rural programme starts at 7.15 p.m. when most of the farmers remain in their farms. Has any suggestion been received to change the timings ?

Shrimati Indira Gandhi : For this purpose, we have Listeners Research Unit. In our listeners forum, farmers themselves tell about the timings and the timings are set accordingly.

Shri Gulshan : Has it come to the notice of the Government that the time for the Panjabi broadcast from the Delhi Station of A.I.R. is comparatively lesser and whether any recommendation was made for an increase in time of broadcast in Panjabi ?

Shrimati Indira Gandhi : When I visited Jullundur, this point was raised. Due to certain reasons we could not make changes in the programmes but now we are looking into it and whatever changes are necessary, they will be made.

श्री रा० बरुआ : क्या पदाधिकारियों को कोई उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था की गयी है ताकि योजना-प्रचार को अधिक क्रियाकारी और व्यावहारिक बनाया जा सके ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जैसा मैंने बताया, सम्मेलन के बाद, पदाधिकारियों, सूचना-निदेशकों की बैठक हुई। उन्होंने और पदाधिकारियों ने जो निर्णय किये, उसके बारे में निरन्तर पत्र-व्यवहार हो रहा है। वे यहां सुझाव भेज रहे हैं और वहां से यहां सुझाव आ रहे हैं।

श्री तुलशीदास जाधव : विवरण में मद संख्या 14 में लिखा है :

"सम्मेलन ने राष्ट्रीय एकता के लिये प्रचार आन्दोलन को क्रियान्वित करने के लिये कुछ विशिष्ट निदेश निर्धारित किये।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि वे विशिष्ट निदेश क्या हैं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : उन्होंने सिफारिश की है कि मौजूदा प्रचार दल इन सब बातों पर विचार करे। लेकिन, वास्तव में तब से सचिवों की एक आपत्कालीन बैठक हुई है और वे मार्ग-दर्शन के सिद्धान्त निर्धारित कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : यह कहा गया है कि प्रमुख कस्बों और नगरों के नागरिक परिषदें बनाई जाये। क्या मैं जान सकता हूं कि ये परिषदें कितने नगरों और कस्बों में बनाई गयी हैं और उनके कृत्य क्या हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : सम्मेलन का उद्घाटन करते समय प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि हर बस्ती में प्रमुख व्यक्तियों की एक नागरिक परिषद हों। हम को बताया जाता है कि उस बस्ती में क्या क्या कठिनाइयां हैं। वहां कोई प्रादेशिक असन्तुलन तो नहीं है, आदि। अतः जैसा माननीय सदस्य समझते हैं, यह कोई उद्देश्यहीन परिषद नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : पिछले सत्र में जब सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो सुविधायें देने के बारे में प्रश्न पूछा गया था तो यही उत्तर दिया गया था कि कार्यवाही की जा रही है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस समिति की, जिसने ग्रामीण क्षत्रों और सीमावर्ती क्षत्रों के बारे में दो विस्तृत प्रतिवेदन दिये हैं, सिफारिशें अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं की गयी हैं और उन्हें सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यदि माननीय सदस्या इन क्षेत्रों का दौरा करें तो उन्हें पता चलेगा कि प्रचार यूनिटों के अतिरिक्त काफी काम किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : सीमावर्ती क्षेत्रों में से महिलाओं को हटाया जाये न कि वहां भेजा जाय।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि आप सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करें ; लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहती हूं।

श्री बूटा सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर सभी ओर पंजाबी भाषा बोली जाती है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार आकाशवाणी के जालंधर केन्द्र को मुख्यत: पंजाबी रेडियो स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : हम इस बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि चीन आसाम, नेपाल, नागालैण्ड, मनीपुर आदि में जनता के लिये उत्तरी सीमान्त के साथ साथ अनेक ट्रांसमिटर स्टेशनों से भारत विरोधी प्रचार का प्रसारण कर रहा है और यदि हां, तो क्या समस्या के इस पहलू पर राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया और यदि किया गया तो इन क्षेत्रों में चीन के प्रचार के विरुद्ध प्रचार करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी अथवा क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे पास पर्याप्त शक्तिशाली ट्रांसमिटर नहीं हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : हमारे पास वे अभी भी नहीं हैं।

श्रीमती इंदिरा गांधी : उनका निर्माण किया जा रहा है। आशा है कि हमें वे शीघ्र मिल जायेंगे।

श्री हेम बरुआ : आसाम, नेपाल, नागालैण्ड और मनीपुर के क्षेत्रों में चीन के प्रचार के विरुद्ध प्रचार करने के लिये आपको अतिरिक्त ट्रांसमिटरों की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो भी ट्रांसमिटर है, उसके जरिये ही हम प्रचार कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रचार किया गया है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि हमने इन सभी सीमा-वर्ती क्षेत्रों में ट्रांसमिटर भेजे है और मौजूदा सामान से जो कुछ भी हो सकता है, हम कर रहे हैं।

श्री जसवन्त मेहता : सामुदायिक रेडियो सेटों सम्बन्धी सिफारिश के बारे में यह बताया गया है कि इस प्रयोजन के लिये कुछ राज्य सरकारों ने कुशल संगठन स्थापित कर दिये हैं। कितने राज्यों ने ये संगठन स्थापित किये हैं और कितनों ने नहीं।

श्रीमती इंदिरा गांधी : दो राज्यों अर्थात् आसाम और राजस्थान ने ये संगठन स्थापित नहीं किये हैं।

श्रीमती अकम्मा देवी : एक सिफारिश यह है कि हर राज्य में एक प्रचार समन्वय समिति स्थापित की जाये। कितने राज्यों ने इस सिफारिश को क्रियान्वित किया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : आसाम और राजस्थान को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों ने ऐसा किया है।

श्रीमती रेणुका राय : ट्रांसमिटरों के प्रश्न के अतिरिक्त क्या विशेषत: दार्जीलिंग और सिक्किम के पूर्वी प्रदेश में चीन और पाकिस्तान द्वारा हाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बांटी गयी पुस्तिकाओं के प्रभाव को विफल बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : हमारे क्षेत्रीय प्रचार युनिटों को सुदृढ़ कर दिया गया है और इस क्षेत्र में हमने प्रचार-कार्य तीव्र कर दिया है।

Shri R. S. Pandey: May I know whether the proposed television programme was discussed in the Conference of State Information Ministers ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मूल प्रश्न टेलीविजन के बारे में नहीं है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय वैवलैंग्थ्स पर कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा चोरी छिपे किये जाने वाले प्रसारणों पर भी ध्यान दिया है और यदि हां, तो इस पर सम्मेलन के क्या विचार थे ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : जहां तक मुझे पता है, इस बारे में विचार नहीं हुआ।

दिवाकर समिति का प्रतिवेदन

+

*276. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : **श्री बृजराज सिंह** :
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री बड़े** :
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री राम सहाय पाण्डेय** :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री छोटे समाचार पत्रों की स्थिति संबंधी दिवाकर समिति के प्रतिवेदन के बारे में 29 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रतिवेदन अब सरकार को दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Vishwanath Pandey: I want to know the time by which the report is likely to be received ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): They said that they would submit the report in the month of August but now they have asked for more time upto the month of November. We have requested them to submit the report by the month of October, if possible. The reason for delay given by them is that certain Members of Parliament who are members of the committee could not take part till the Session is there.

Shri Vishwanath Pandey : Have they submitted any interim report ?

Shrimati Indira Gandhi : No, Sir,

श्रीमती सावित्री निगम : अनेक छोटे छोटे समाचार पत्रों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार उनको कुछ सहायता देने के लिये कुछ कार्यवाही कर रही है क्योंकि अभी भी यह पता नहीं है कि यह समिति अपना प्रतिवेदन कब देगी ? क्या मैं जान सकती हूं कि इतने समय में इन छोटे समाचार पत्रों की सहायता के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : जैसा मैंने कहा, इस समिति का प्रतिवेदन अक्तूबर तक प्राप्त होने की आशा है। इतने समय में जब भी हमारे पास कोई विशिष्ट अनुरोध आता है, हम उसको पूरा करने के लिये भरसक कार्यवाही करते हैं।

Shri R. S. Pandey : Will the language and subject issues be also taken into account while giving help to newspapers? Will the general prestige of the newspaper be also considered?

Shrimati Indira Gandhi : As the law is at present, we cannot do much. But we have pointed out this to the Home Ministry and they are looking into it.

Shri Tulsidas Jadhav: The daily and weekly newspapers in rural areas have to face a great difficulty due to lesser quota of newsprint while big newspapers in cities get more. I want to know whether any step is taken to remove the difficultiess of small newspapers in villages ?

Shrimati Indira Gandhi : Our effort is to help them to the best and give them maximum quota. It is true that they have difficulties.

Shrimati Tarkeshwari Sinha : Certain newspapers are not given quota of newsprint but they publish the newspaper after purchasing the newsprint from the black market. Can any action not be taken against them? Such newspapers should be banned in view of legal position and whether they cannot be banned?

Shrimati Indira Gandhi : It some proof is there, legal action can be taken.

Shri Bhagwat Jha Azad : It has just now been said that no effective action can be taken against the newspapers violating rules and laws as rules and laws are much. I want to know whether it is proposed to make amendments in the rules?

Shrimati Indira Gandhi : Yes, Sir.

Shri Bade : Is it a fact that small newspapers have to face great difficulty in getting foreign exchange? If so, whether the Government have decided to give them certain facilities ?

Mr. Speaker: For what purpose foreign exchange is given to them?

Shri Bade: For newsprint. I have received complaints in this respect.

Shrimati Indira Gandhi: There is quota of foreign exchange. It has, however, no connection with the foreign exchange.

वियत कांग को मान्यता देना

*277. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियत कांग को मान्यता देने के बारे में दक्षिण वियतनाम सरकार को कोई आश्वासन दिया गया है; और

(ख) किस प्रकार के आश्वासन की मांग की गई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण समझौते के लिये हमने अपने प्रयासों और प्रस्तावों में वियत कांग को क्या स्थान दिया है और इस पर सम्बन्धित प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : हमने वियत कांग को कोई स्थान नहीं दिया है। हमने केवल इतना कहा है कि वियतनाम प्रश्न का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिये एन० एल० एफ० से बातचीत करना आवश्यक है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वहां पर हो रहे आक्रमण के बारे में समझौता करने में क्या विभिन्न सरकारों, दक्षिण वियतनाम की सरकार और अमरीका के वियत कांग के प्रति रवैये में कोई परिवर्तन हुआ है? वे इन लोगों से बातचीत करने को तैयार हैं या नहीं?

श्री दिनेश सिंह : अमरीका सरकार ने पहले ही एक प्रस्ताव में यह घोषणा की है कि यदि उत्तरी वियतनाम के शिष्टमण्डल में एन० एल० एफ० को शामिल किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या वियतकांग केवल एक सैनिक संगठन है जो दक्षिण वियतनाम में घुसपैठ करता है और वहां गुरिल्ला युद्ध करता है अथवा यह नियमित संगठित सरकार है जिसका वियतनाम के कुछ भागों पर प्रभुत्व है?

श्री दिनेश सिंह : दक्षिण वियतनाम में आन्दोलन कर रहे व्यक्तियों के दल को बाहरी व्यक्तियों ने वियतकांग नाम दिया है। प्रमुख दल राष्ट्रीय मुक्ति दल (नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट) है। वियत-कांग नाम एन० एल० एफ० ने स्वयं नहीं दिया है बल्कि वहां पर लड़ने वाले सैनिकों ने दिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि दक्षिण वियतनाम में वियत कांग की, उत्तर वियतनाम सरकार और चीन सरकार द्वारा सिपाही भेजकर या शस्त्रास्त्र देकर सहायता की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ने मांग की है कि उत्तर वियतनाम और/अथवा चीन द्वारा दक्षिण वियतनाम में हस्तक्षेप बन्द किया जाना चाहिये जब कि सरकार ने वहां पर कुछ अमरीकी कार्यवाही की आलोचना की है?

श्री दिनेश सिंह : पिछली बार भी माननीय सदस्य ने ऐसा ही प्रश्न पुछा था।

श्री हरि विष्णु कामत : तो क्या हुआ।

श्री दिनेश सिंह : बात यह है कि हम वियतनाम में नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष है और इसलिये हम सामान्य रूप से कुछ नहीं कह सकते। जब कभी कोई विशिष्ट मामला हमारे समक्ष आता है तो हम आयोग के अन्य सदस्यों से परामर्श करके अपनी उपपत्तियां देते हैं। जब हमें कभी यह कहने का अवसर मिलता है कि एन० एल० एफ० अथवा वियत कांग को उत्तर वियतनाम से सहायता मिली है, हमने ऐसा कहा है। लेकिन हम सामान्य रूप से कोई वक्तव्य नहीं दे सकते।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न को गलत समझा गया है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का उल्लेख किया है। यह एक अलग मामला है। मैं ने वहां की सरकार द्वारा कही गई बातों का जिक्र किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि अध्यक्ष होने के नाते हम कोई सामान्य वक्तव्य नहीं दे सकते हैं हालांकि हम यह महसूस करते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : यहां पर सरकार वहां अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से भिन्न है। मैं भारत सरकार द्वारा वक्तव्य देने की बात कह रहा हूं। उनको इससे भ्रम कैसे हो रहा है?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति दल (एन० एल० एफ०) ने वियतनाम का कोई तीन चौथाई भाग हथिया लिया है और यदि दक्षिण वियतनाम में अब कोई समझौता होता है तो वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति दल, जिसको अमरीकी वियतकांग कहते है, को भी निर्णय में एक पक्ष होना होगा क्यों कि दक्षिण वियतनाम में सबसे बडे क्षेत्र पर उनका अधिकार है?

श्री दिनेश सिंह : यह सच है कि जो भी समझौता होगा वह एन० एल० एफ० के परामर्श से ही पूरा होगा। मैं नहीं कह सकता कि उनका कितने क्षेत्र पर अधिकार है लेकिन उनका अधिकार एक बडे क्षेत्र पर अवश्य है।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि हम केवल दक्षिण वियतनाम सरकार को मान्यता देते हैं और हमने कभी खुले रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तथाकथित वियत कांग को मान्यता देने की आवश्यकता पर विचार नहीं किया है ?

श्री दिनेश सिंह : हम दक्षिण वियतनाम की सरकार को मान्यता देते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली टेलीविजन केन्द्र का विस्तार

*278. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीविज़न केन्द्र ने अपने विस्तार का नया कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है;

(ख) बहुत ही कम उपकरणों तथा छोटे स्टूडियों के लिये स्थान की कठिनाइयों को सरकार का कैसे दूर करने का विचार है;

(ग) क्या पश्चिमी जर्मनी के तकनीकी विशेषज्ञों ने, जो भारत की टेलीविज़न संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये कई बार राजधीनी आ चुके हैं, नये स्टूडियों को पूरी तरह सुसज्जित करने का वचन दिया है ; और

(घ) क्या नया स्टूडियों मनोरंजन कार्यक्रम आरम्भ करेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां। 1-6-1965 से, शाम को सप्ताह में चार बार जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा था वह 15-8-1965 के बढ़ाकर प्रति दिन एक घन्टे का कर दिया गया है।

(ख) और (ग) : आकाशवाणी के प्रेक्षागार में एक नया टेलीविज़न स्टूडियो बनाया गया है जिसके लिए सामान पश्चिम जर्मनी सरकार ने दिया हैं। उनके शिल्पिकों ने मशीनों के लगाने में भी सहायता की है। अगले कुछ महीनों में पश्चिम जर्मनी से और मशीने आने की आशा है, इसके बाद इस सेवा को और बढ़ाया जा सकेगा।

(घ) दैनिक टेलीविज़न में मनोरंजन, जानकारी और शिक्षा आदि अनेक किस्म के कार्यक्रम शामिल है।

श्रीलंका में भारतियों को नौकरी पर लगाने के बारे में प्रतिबन्ध

*279. **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्रीलंका सरकार का भारतियों को गैर-सरकारी नौकरियां न दिय जाने के बारे में विधान बनाने का विचार है ;

(ख) क्या इस मामले के बारे में श्रीलंका सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) श्रीलंका सरकार की तरफ़ से इस बात की कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि वह ऐसा विधान बनाने का विचार कर रही है कि जिससे भारतीय को निजी रोज़गार में न लिया जा सके ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Pak High Commissioner at Urdu Conference held in Delhi

280. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Bagri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistan High Commissioner attended the Urdu Conference held in the capital in the month of May last ;

(b) whether it is also a fact that Pakistan had given financial help for holding this Conference; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi N. Menon) (a) : The High Commissioner of Pakistan did not attend this Conference. The Deputy High Commissioner is reported to have attended this Conference on 2nd-3rd May, 1965.

(b) Pakistan had nothing to do, financial or otherwise, with organizing this Conference.

(c) Does not arise.

भारत पाक सीमा पर चीनी

*281. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री दलजीत सिंह :**
श्री महेश्वर नायक : **श्री दे० द० पुरी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि खुलना जिले में भारत-पाक सीमा के दक्षिणी क्षेत्र में चीनी भारी संख्या में आ गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या वे समूचे क्षेत्र की युद्धनीति का अध्ययन करने के लिये सीमा पर आये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) सरकार ने पूर्व पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में, जिनमें भारत की सीमा से लगा खुलना भी शामिल है, चीनी कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की ख़बरें देखी हैं ।

(ख) भारत सरकार इसकी पुष्टि नहीं कर सकती

झरिया राणीगंज कोयला खानों में दुर्घटना

*282. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री कृष्णपाल सिंह :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मई तथा 12 जून, 1965 के बीच झरिया-रानीगंज क्षेत्र में भूचुग्सडीह, पोइ-डीह, भानोरा, चि नाकुरी, राना तथा निनधा कोयला खानों में घातक दुर्घटनाएं हुई थीं;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में कितने खनिक मरे;

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे; और

(घ) ऐसी घोर विपत्तियों को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां, भुचुग्सडीह कोयला खान को छोड़कर।

(ख) पोहडीह, भानोरा, चिनाकुरी और राना कोयला खानों में एक एक और निनधा कोयला खान में दो।

(ग) भानोरा कोयला खान को छोड़कर सभी दुर्घटनाएं छत के गिरने के कारण हुई। भानोरा कोयला खान में दुर्घटना भूमि के नीचे ढुलाई टबोंसे टक्कर के कारण हुई।

(घ) खान अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाए नियमों और विनियमों के उपबन्धों को दृढ़ता से लागू करने के लिए खान निरीक्षणालय द्वारा अचानक निरीक्षण किए जाते हैं। जहां कहीं आवश्यक हो वहां दोषी मेनेजमेंटों के खिलाफ अभियोजन चलाए जाते हैं। खान मज़दूरों में सुरक्षा शिक्षा और सुरक्षा चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक खान सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद स्थापित की गई है।

पत्रकारों तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी-बोर्ड

*283. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री मधु लिमये :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री रामसेवक यादव :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **श्रम** और **रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्रकारों तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्डों ने अपने प्रतिवेदन देने में अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) क्या सभी समाचारपत्रों ने वह अन्तरिम सहायता दे दी है जिसकी मजूरी बोर्डों ने सिफारिश की थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) दोनों मजूरी बोर्डों ने अंतरिम सहायता की मंजूरी के लिए सिफ़ारिशें की हैं।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर जो कि श्रमजीवी पत्रकार अंतरिम सहायता आदेश लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, श्रमजीवी पत्रकारों को अंतरिम सहायता मंजूर करने सम्बन्धी सिफारिशों को लागू करने की प्रगति के बारे में एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–4668/65]**

गैर-पत्रकारों को सहायता देने के बारे में सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है।

"परिणाम के आधार पर भुगतान" योजना

*284. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रामसेवक :
श्रीमती मैमूना सुलतान :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उद्योगों में "परिणाम के आधार पर भुगतान" करने की योजना चालू करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में श्रमजीवी वर्ग की राय मालम की गई है; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है और यह कब लागू की जायेगी ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) से (ग) : इस बारे में एक विस्तृत योजना अभी तैयार करनी है और उसे चालू करने से पहले मजदूरों और मालिकों से विचार-विमर्श किया जायगा ।

जंजीबार में भारतियों को पेंशन का भुगतान

*285. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री जंजीबार में सेवानिवृत्त भारतीय अधिकारियों को पेंशनों का भुगतान करने के बारे में 26 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1031 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): उसके बाद से तंजानिया के अधिकारियों ने यह अधिकार दे दिया है कि बकाया समेत पेंशनों की अदायगी फिर से शुरु कर दी जाए ।

काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र-संघ के प्रेक्षक

*286. **डा० मा० श्री० अणे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर और पाक रक्षित काश्मीर के बीच युद्ध विराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नाम निर्देशित प्रक्षकों के क्या कर्तव्य हैं;

(ख) क्या वे संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय को संबंधित देशों द्वारा अतिक्रमण तथा आक्रमक कार्यवाहियों की नियमित रिपोर्ट देते हैं और क्या रिपोर्ट की प्रतियां भारत तथा पाकिस्तान सरकारों को दी जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन रिपोर्टों को सभा-पटल पर रखने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) संयुक्त राज्यों के प्रेक्षकों का मुख्य कर्तव्य है, भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम समझौते की शर्तों के पालन का परिवीक्षण । उनको अधिकार दिया गया है, कि वह ऐसी मांग करें, कि उन शर्तों के विरुद्ध कोई काम न हो पाए, अथवा उन्हें रद्द कर दिया जाए । अन्त में, उन्हें दोषी पक्ष के विरुद्ध उल्लघन का निर्णय देना होता है । उन्हें इतनी सामर्थ्य प्राप्त नहीं, कि वह अपने निर्णय मनवा पाए ।

(ख) तथा (ग) : मुख्य सैनिक प्रेक्षक अपने निर्णय से उस देश के सैनिक मुख्यालयों को सूचित करता है, जिसके विरुद्ध उल्लंघन के वह, निर्णय हों। समझा गया है, कि मुख्य सैनिक प्रेक्षक न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजता है, परन्तु अब तक मुख्य सचिव ने उन्हें प्रकाशित करना उचित नहीं समझा।

पाकिस्तान के विरुद्ध दिए गए उल्लंघनों के निर्णयों की सूचना के अभाव में, मुख्य सैनिक प्रेक्षक से हमें, प्राप्त होने वाली रिपोर्ट, सभा के पटल पर रखना लोकहित में न होगा।

आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकार

*287. **श्री हेम बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री 5 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 723 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के कर्मचारी-कलाकारों को उत्तम सुविधायें देने तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए और क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जा रहा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि आकाशवाणी से स्टाफ़ आर्टिस्टों की सेवा स्थिति सुधारने के लिए 5 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 723 के उत्तर में बताए कदमों के अतिरिक्त और क्या कदम उठाए गए हैं।

विवरण

भत्ते :

(1) नियमित कलाकारों को पहली अक्टूबर, 1964 से उसी पहाड़ (प्रतिकर) भत्ते की मंजूरी दी गई है जो विभिन्न पहाड़ों पर काम करने वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलता है।

(2) नियमित कलाकारों को 27 मई, 1965 से बच्चों की शिक्षा के भत्ते और बच्चों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की मंजूरी उन्हीं शर्तों पर दी गई है जिन शर्तों पर नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलता है।

अवकाश : नियमित कलाकारों को 15 जन, 1965 से अर्द्ध-वेतन अवकाश/परिवर्तित अवकाश की मंजूरी उन्हीं शर्तों पर दी गई है जिन शर्तों पर सरकार के संविदा अधिकारियों को दी जाती है।

अंशदायी भविष्य निधि : नियमित कलाकारों को 1 अक्टूबर, 1964 से अंशदायी भविष्य निधि की लाभ देने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं; यह इस तिथि से पहले जो उपदान दिया जाता था उसके बदले में है।

सूचना अवधि : यह निर्णय किया गया है कि पांच वर्ष के संविदा के लिये सूचना अवधि बजाय 3 महीने के 5 महीने होगी।

रिक्तियां जिनके लिये विज्ञापन दिये जायेंगे : यह निर्णय किया गया है कि आल इंडिया रेडियो नियमित कलाकारों की सभी रिक्तियों के लिये तुरन्त विज्ञापन देगा और उचित समय में चुनाव पूरा कर लिया जायेगा।

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

*288. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेमराज :
श्री हेडा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र उल्लंघन की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) तथा (ख) : 26-8-65 तक भारतीय अन्तरिक्ष के 10 अतिक्रमणों की रिपोर्टें मिली हैं। यह सभी जम्मू काश्मीर में युद्धविराम रेखा के ऊपर हुए थे। इनमें दो 16 अगस्त को, छह, 23 अगस्त को और शेष दो 26 अगस्त 1965 को हुए थे। सिवाए एक के, जिस हालत में भारतीय भूक्षेत्र में 50 मील तक प्रवेश हुआ, दूसरी हालतों में यह प्रवेश 2 से 9 मील तक विभिन्न था।

(ग) युद्धविरामरेखा के इन उल्लंघनों की शिकायत संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों को कर दी गई हैं। इन उल्लंघनों की रोकथाम के लिए जो अन्य पग उठाए गए हैं, उन्हें प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

भारत-लंका करार की कार्यान्विति

*289. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रविन्द्र वर्मा :
श्री पें० वैंकटासुब्बया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा लंका के अधिकारियों ने लंका में भारतीय उद्भव के राज्यविहिन व्यक्तियों के बारे में दोनों देशों के बीच हुए करार का ब्यौरा तैयार करने का कार्य पुरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त करार को कार्यान्वित करने के लिए कोई आगे कार्यवाही की गई है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : दिसंबर 1964 में कोलंबों में श्रीलंका और भारत के अधिकारियों की बैठक हुई थी और इसमें एक संयुक्त समिति बनाने तथा भारत-श्रीलंका करार को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया भी तय करने का निश्चय किया गया था।

यह संयुक्त समिति जून 1965 में बनाई गई थी और पहली जुलाई 1965 से इसकी पाक्षिक बैठकें होती आ रही हैं। भारत/श्रीलंका की नागरिकता के नोटिस जारी करने, भारतीय प्रत्यावर्तियों द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण करने आदि से संबंद्ध मामलों में प्रारम्भिक उपायों पर विचार किया गया है। आशा है कि भारत/श्रीलंका की नागरिकता के लिए सार्वजनिक नोटिस सितंबर 1965 में जारी किए जाएंगे।

यह देखने के लिए बाद में दोनों सरकारों के अधिकारियों की फिर बैठक होगी कि इस करार पर अमल की दिशा में कितनी प्रगति हुई है।

परमाणु शक्ति का विकास

*290. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान विभिन्न देशों द्वारा, विशेषकर चीन द्वारा परमाणु शक्ति के विकास और चीन के दूसरे अणु विस्फोट तथा विश्वशांति पर उसके प्रभाव के प्रश्न पर चर्चा की थी; और

(ख) इस बारे में संबंधित देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) प्रधान मंत्री इस वर्ष जिन देशों की यात्रा पर गए थे उन सबों में इस बात पर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई थी कि आणविक अस्त्रों के संवर्धन का खतरा और बढ़ गया है। इस विषय पर बातचीत के दौरान आणविक अस्त्र अर्जित करने के चीन के प्रयत्नों पर भी विचार किया गया।

लन्दन में भारतियों के विरुद्ध कू क्लक्स-क्लान संस्था की कार्यवाहियां

*291. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वृजराज सिंह :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दे० द० पुरी :
श्री दाजी :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री तन सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1965 के लंदन के ए० एफ० पी० के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि लेमिंग्टन में 7 जून 1965 को भारतीय समुदाय के नेता श्री धरम सिंह के मकान के सामने के दरवाजे पर एक जलता हुआ क्रास लगा दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि 5 तारीख की रात को कू क्लक्स क्लान की बिरमिंघम शाखा की बैठक में श्री सिंह की गतिविधियों पर विचार किया गया था ;

(ग) क्या भारतीय समुदाय इस घटना तथा अन्य घटनाओं से चिन्तित है और ; और

(घ) क्या लन्दन में भारतीय उच्चायोग ने भारतीयों तथा ब्रिटेन की सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने इस तरह की खबरें अखबारों में देखी हैं'।

(ग) भारतीय समुदाय को इससे चिंता हो गई है ।

(घ) लंदन-स्थित हमारा हाई कमीशन भारतीय समुदाय के सदस्यों से और यूनाइटेड किंगडम सरकार से संपर्क बनाए है । उन्हें यह आश्वासन दिलाया गया है कि ब्रिटिश सरकार इस समस्या को समुचित रीति से हल कर रही है ।

Pak refusal to grant visas for Indian Officials

*292. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shrimati Tarakeshwari Sinha:**
Shri Brij Raj Singh: Shri Madhu Limaye:
Shri Bade: Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistan Government refused to grant visas to the team of 15 officers deputed to inspect the Indian enclaves in East Pakistan during June, 1965; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) During June, 1965, applications of 40 Indian officials were forwarded by the Government of West Bengal to the Pakistan Deputy High Commission, Calcutta, for grant of visas for visiting Indian enclaves in East Pakistan. Out of these, visas have been granted so far to 28 officials. Cases of the remaining 12 officials are still pending with the Pakistan Mission.

(b) The Government of West Bengal have reminded the Pakistan Deputy High Commission in Calcutta several times. In addition, the Government of India have also taken up this matter with the Pakistan High Commission pointing out that such inordinate delays constitute a basic violation of the Agreement of Chief Secretaries, concluded in April 1965. Their reply is still awaited.

प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब की भेंट

*293. **श्री बागड़ी : श्री दलजीत सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री बासप्पा :
श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री श्रीनारायण दास : श्री रा० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन के समय प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां की भेंट हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस में किन-किन विषयों पर बातचीत हुई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख): भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की कोई औपचारिक भेंट नहीं हुई थी। परन्तु चूंकि दोनों ने एक ही सम्मेलन में भाग लिया था इसलिये सम्मेलन की अवधि के दौरान वे एक दूसरे से अवश्य मिले थे।

चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता

*294. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के बारे में भारत ने चीन सरकार को कड़ा विरोधपत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां। भारत सरकार ने इस वर्ष 10 मार्च, 7 अप्रल और 19 जून को चीन सरकार को कड़े विरोध पत्र भेजे थे।

(ख) चीन सरकार की प्रतिक्रिया उनके 17 मई 1965 के नोट में दी गइ है। इसकी एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०–4669/65।]**

भारतीय नौसेना तथा वायुसेना

*295. **श्री हरी विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायुसेना को शक्तिशाली बनाने, उनका विस्तार करने तथा उन्हें आधुनिक बनाने के उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में सरकार को कौन देश सहायता दे रहे हैं; और

(ग) अब तक की गई कार्यवाही तथा विचाराधीन उपायों की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां।

(ख) सहायता मुख्यत : यू० एस० एस० आर०, यू० एस० ए० तथा यू० के० से प्राप्त हो रही है।

(ग) भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायु सेना को सबल बनाने तथा उनके आधुनिकीकरण के लिए अपनाएं गए उपायों की व्यापक रूपरेखा, तथा उपाय रक्षा मंत्रालय के 1964-65 वर्ष के आवेदन में दिए गए हैं, जो सभा के पटल पर रख दिया गया था। नौसेना और वायु सेना के सबलीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए उपाय निरन्तर विचाराधीन रहते हैं। हाल ही में एक प्रतिनिधिमण्डल, कुछ नौसैनिक जहाज खरीदने संबंधी बातचीत करने के लिए मास्को गया है।

लड़ाकू विमानों के लिये अमरीकी सहायता

*296. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 12 अप्रैल, 1965 के **तारांकित** प्रश्न संख्या 836 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० एफ०–24 विमानों का उत्पादन बढ़ाने के लिये पूंजी तथा अन्य सामान देने तथा भारतीय तकनीशनों को अमरीका में प्रशिक्षण देने की सुविधा देने के लिए अमरीका से क्या और कितनी मांग की गई है; और

(ख) इन मांगों पर अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) एच० एफ०-24 का उत्पादन दर बढ़ाने के लिए (क) आवश्यक संयंत्र और मशीनों की अतिरिक्त पदों की प्राप्ति के लिए; (ख) एच० एफ०-24 के निर्माण के लिए जो खाम पदार्थ और संघटक यू० एस० ए० से प्राप्त हो सकते हैं उनकी प्राप्ति के लिए ; और (ग) वैमानिक इंजीनियरी के कई क्षेत्रों में एच० ए० एल० के तकनीकियों की एक संख्या के प्रशिक्षण देने के लिए, यू० एस० अधिकारियों से मांग की गई है।

(ख) यू० एस० सरकार को दी गई आवश्यकताओं की सूची में से कुछ संयन्त्रों और मशीनों की सप्लाई का पहला निवेद यू०एस० अधिकारियों से प्राप्त हो चुका है और उसे स्वीकार कर लिया गया है। अन्य मांगें यू० एस० अधिकारियों के विचाराधीन हैं।

खान अब्दुल गफ्फार खां

*297. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वृजराज सिंह :
श्री बड़े :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हेडा :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री हरि विष्णू कामत :
श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान अब्दुल गफ्फार खां ने, जो आजकल काबुल में हैं, भारत आने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें कोई उपयुक्त निमंत्रण भेजा है; और

(ग) क्या काबुल में भारतीय राजदूतावास ने उनसे सम्पर्क स्थापित किया है और उन्हें बताया है कि भारतीय जनता उनकी शानदार सेवा की बहुत कदर करती है और उसकी यह हार्दिक इच्छा है कि वह एक बार फिर उससे मिलें ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : काबुल में भारत के राजदूत ने खान अब्दुल गफ्फार खां से भेंट की और उन्हें यह संदेश दिया कि वे जिस समय भी भारत आना चाहें उनका हृदय से स्वागत किया जाएगा।

खान अब्दुल गफ्फ़ार खां के प्रति हमारे मन में जो स्नेह है, और भारत की आज़ादी की लड़ाई में और जो देश अब भी परतंत्र हैं उनकी आज़ादी के लिए उन्होंने जो बड़ी-बड़ी कुर्बानियां की हैं, उनके लिए हमारे हृदय में जो श्रद्धाभाव हैं उन्हें सभी जानते हैं और हमने उन्हें एक बार फिर प्रकट किया है।

अल्जीरिया की सरकार को मान्यता

*298. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामपुरे :
श्री कनकसबै :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नल हुआरी बूमदीने के नेतृत्व में अल्जीरिया की क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निश्चय करने में किन बातों का ध्यान रखा गया; और

(ग) उस सरकार के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख): भारत सरकार कर्नल हौरी बूमेदीन के नेतृत्व में अल्जीरियाई सरकार को अल्जीरिया की वैध सरकार के रूप में मान्यता देती है। चूंकि सिर्फ सरकार ही बदली है, इसलिए नई अल्जीरियाई सरकार को औपचारिक मान्यता प्रदान करने का कोई सवाल नहीं उठता।

(ग) अल्जीरिया में भारतीय राजदूतावास, जो नवंबर 1962 स्थापित किया गया था, और भारत में अल्जीरिया का राजदूतावास, जो जनवरी 1965 में स्थापित किया गया था, पहले ही की तरह काम कर रहे हैं।

दिल्ली में बेरोजगारी

992. **श्री राम हरख यादव :**

श्री सरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार राजधानी में इस समय कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं; और

(ग) 1963 के अन्त में कितने व्यक्ति बेरोजगार थे ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : दिल्ली में बेरोजगार लोगों की कुल संख्या मालूम नहीं है। दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 1963–65 के दौरान दर्ज उम्मीदवारों का वर्ष/अवधि के अनुसार ब्यौरा निचे दिया गया है :–

वर्ष/अवधि	वर्ष/अवधि के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या
1963	86,872
1964	1,06,206
1965 (जुलाई)	80,783

Shortage of Postal Forms

993. Shri Hem Raj : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of postal forms in the Post Offices in the Punjab circle at present;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) when this shortage is likely to be made up ?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) No Sir, however there is some shortage only of three forms.

(b) Due to non-supply of full requirements from the Government of India Press.

(c) Action has been taken to print the forms locally; a part of the print order has already been received and the full requirements will be received soon.

पंजाब में टेलीफोन केन्द्र

994. श्री दलजीत सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1965 को पंजाब राज्य में कितने टेलीफोन केन्द्र थे ;

(ख) क्या 1965-66 में उनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो ये किन किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 169.

(ख) जी हां ।

(ग)
1. जलालाबाद
2. शाहकोट
3. लाखनवाली
4. शंकर
5. धरमकोट
6. खूंखीखेरा
7. बरारा
8. इन्द्री
9. तौरू
10. लोहारू
11. बरवाला
12. भीकीविंद
13. गढ़शंकर
14. हरियाना
15. खलारा
16. मजीठा
17. माहिलपुर
18. प्रीतनगर
19. केलोंग

पंजाब में टेलीफोन

995. श्री दलजीत सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1965 को पंजाब राज्य के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन थे ; और

(ख) कनेक्शन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 10,071.

(ख) मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने, नये एक्सचेंज खोलने और ज़मीन के नीचे अतिरिक्त केबल बिछाने के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उपलब्ध साधनों के अनुसार शेष भागों की यथासंभव अधिक से अधिक पूर्ति की जा सके ।

कन्नानूर जिले (केरल) में तार और टेलीफोन की सुविधायें

996. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के इरुटि, भाटानूर, पितेराई और पेरावूर (ज़िला कन्नानूर) में तार सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या केरल के पेरियारम, कारीवालूर, और चेरावथूर (ज़िला कन्नानूर) में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या केरल के कालियासेरी और अनचाराकेन्डी (ज़िला कन्नानूर) में तार तथा टेलोफोन की सुविधायें हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ये सुविधायें कब उपलब्ध हो जायेंगी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तार सुविधाएं इरिटी (इरुटि नहीं) और भाटानूर में उपलब्ध हैं। पिनाराई में तारघर खोलने में घाटा होगा और केवल गारंटी के आधार पर ही उसे मंजूर किया जा सकता है। पेरावूर में तारघर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख) पेरियारम के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घर मंजूर किया जा चुका है। अझीकोडे, कारीवल्लूर तथा चेरूवथूर में सार्वजनिक टेलीफोन घर मौजूद हैं।

(ग) कालियासेरी में तार सुविधाएं मौजूद हैं। इस स्थान पर एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है। अंजेराकेण्डी के लिए तार सुविधाओं की मंजूरी दे दी गई है। इस स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने में घाटा होगा और केवल गारंटी के आधार पर ही उसे मंजूर किया जा सकता है।

(घ) पेरावूर और अंजेराकेण्डी में तार सुविधाएं तथा पेरियारम् और कालियासेरी में सार्वजनिक टेलीफोन घर एक वर्ष के भीतर खोल देने का प्रस्ताव है।

केरल के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

997. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के लोक-निर्माण विभाग के एन० एम० आर० मज़दूर फेडरेशन न 29 दिसम्बर 1964 को केरल सरकार को एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी हां।

(ख) एन० एम० आर० के मज़दूरों की मुख्य मांग निर्वाह खर्च में हुई वृध्दि को ध्यान में रखते हुए उन की मज़दूरी में वृद्धि करनी थी। केरल सरकार ने 6-8-1965 को लोक-निर्माण विभाग के एन० एम० आर० के मज़दूरी के समस्त वर्गों की मज़दूरी में 10 पसे प्रति दिन प्रति मज़दूर के हिसाब से वृद्धि करने के आदेश जारी कर दिये हैं। मेमोरैंडम में उल्लिखित अन्य मागों पर केरल सरकार विचार कर रही है।

इलाहाबाद में आकाशवाणी केन्द्र

998. **श्री राम हरख यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के इलाहाबाद केन्द्र का स्तर पढ़ा कर निदेशक केन्द्र वाला स्तर कर दिया है;

(ख) इससे इलाहाबाद के नागरिकों को क्या सुविधायें मिलेंगी; और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिये नये रेडिओ स्टेशन का निर्माण किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) लखनऊ और इलाहाबाद केन्द्र के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक ही रहेंगे ? किन्तु इलाहाबाद केन्द्र स्थानीय रूचि के और अधिक मूल कार्यक्रम प्रसारित करेगा।

(ग) ट्रासमीटर की शक्ति बढ़ाई जायेंगी और स्टुडियों और कार्यालय के हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए यथासमय एक स्थायी इमारत बनाई जाएंगी।

भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक भूमि का पट्टे पर दिया जाना

999. श्री राम हरख यादव : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेना की फालतू सैनिक भूमि भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी सहकारी समितियों को पट्टे पर देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और ऐसी भूमि कुल कितने एकड़ है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जैसे नीचे (ख) में बताया गया है, एक योजना पहले से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) जिस राज्य में ऐसी भूमि क्षेत्र हों, उनके भूमि संबंधी निर्धारित नियमों के अन्तर्गत आर्थिक अधिकरण और सीमाओं का ध्यान रखते हुये भूमि को उपयुक्त खण्डों में बांटने के पश्चात, रक्षा आवश्यकताओं से अस्थायी तौर पर फालतू भूमि कृषिकार्यों के लिए पट्टे पर दे दी जाती है। प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है :—

(1) भूस्वामियों द्वारा, स्वयं खेती करने के लिए भूमि ले लिए जाने पर विस्थापित मुज़ारे।

(2) भूतपूर्व सैनिकों की सहयोगी समितिएं।

(3) कृषिकों की सहयोगी समितिएं।

(4) भूमि-हीनों की सहयोगी समितिएं।

(5) भूतपूर्व सैनिक।

(6) बिना रोज़गार के पढ़े लिखे युवक, जो मैट्रिकुलेट से कम न हों।

(7) अन्य भूमि-हीन व्यक्ति।

(8) ऐसे मुज़ारे और भूस्वामी जिन के पास भूमि कम से कम निर्धारित भूमि से कम हो।

प्राप्त हुए प्रतिवेदनों के आधार पर स्थानीय राजस्व अधिकारियों से सलाह के पश्चात् सैनिक सम्पत्ति अफसर प्रत्याशित नियतभागियों का एक रजिस्टर रखता है। किसी प्रकार का कोई बण्टन करने से पहले सैनिक सम्पत्ति अफसर संबद्ध नाविक, सैनिक विमान सैनिक बोर्ड को सूचित भी कर देता है। यदि भूतपूर्व सैनिकों की किसी सहयोगी समिति अथवा भूतपूर्व सैनिक से दो मास के अन्दर कोई प्रतिवेदन प्राप्त न हो, तो सैनिक सम्पत्ति अफसर अन्य प्राथमिकताधारियों में भूमि का निपटारा करने का पग उठाता है प्राप्यता तथा रक्षा अवश्यकता के अनुसार घूमि का एकड़ों में माप समय समय पर विभिन्न होता है।

सैन फ्रांसिस्को में फिल्मी समारोह

1000. **श्री राम हरख यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी अक्तूबर में सैन फ्रांसिस्को में होने वाले फिल्म समारोह में क्या भारतीय फिल्में प्रतियोगिता में भेजी जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसमें भाग लेने वाली फिल्मों के नाम क्या ह और उस प्रतियोगिता में उनको पुरस्कार आदि मिलने की क्या संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। इस साल सैन फ्रांसिस्को का नवां वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह, 20 अक्टूबर, 1965 से 31 अक्तूबर, 1965 तक होगा, इसमें फ़ीचर और छोटी फ़िल्मों की प्रतियोगिता न होगी। पर कला और प्रचार या सूचना की फिल्मों की प्रतियोगिता होगी।

(ख) इस समारोह में निम्नलिखित फ़ीचर और डाकुमेंटरी फिल्में भेजी गई हैं :–

फ़ीचर फ़िल्में

(1) संगम––मैसर्स आर० के० फ़िल्म्स, चैम्बूर, बम्बई द्वारा निर्मित।

(2) हकीकत––श्री चैतन आनन्द मैसर्स हिमालय फ़िल्म्स, बम्बई द्वारा निर्मित।

(3) चारुलता––मैसर्स आर० डी० बी० एंड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा निर्मित।

डाकुमेंटरी फ़िल्में

(1) लाहौल और स्पीती––कला श्रेणी।

(2) अपासटल आफ़ दि इंडीस––प्रचार श्रेणी।

(3) एक्सप्लोरेशन आफ़ दि अपर एयर––प्रचार श्रेणी।

(4) आल अंडर हेवन बाई फ़ोर्स––छोटी फ़िल्म।

हमें तो अपनी फ़िल्मों से अच्छी आशा है, पर निणयक लोगों का फ़ैसला क्या होगा यह पहले से नहीं कहा जा सकता।

भारतीय नौसेना पोत 'व्यास' द्वारा विदेशी जहाज़ को बचाना

1001. **श्री रघुनाथ सिंह :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदेशी जहाज़ (माल वाहक) को, जो गत जुलाई में अरब सागर में डूब गया था, भारतीय नौसेना पोत 'व्यास' ने बचाया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और भारतीय नौसेना पोत द्वारा दी गई सहायता का स्वरूप क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) तथा (ख) : 18 जुलाई, 1965 को सूचना मिली थी, कि यूनानी जहाज़रान कम्पनी का एक फ्रेटर जहाज एस० एस० आवरा संकट में था। भारतीय नौसेना के जलपोत व्यास को, जो उस समय बम्बई से मद्रास जा रहा था, आवश्यक सहायता देने के लिए तुरन्त निदिष्ट किया गया था। फ्रेटर माऊंट डेली से परे (कननूर के उत्तर में) लंगर अन्दाज़ पाया गया था और तब तक उसके पहले और दूसरे खावों में पानी भर चुका था।

जलपोत को क्षति तथा खराब मौसमी हालत के कारण एस० एस० आवरा के कप्तान ने उसे त्याग देने का निश्चय कर लिया था। आई० एन० एस० व्यास ने कप्तान और 27 चालक कर्मचारियों को बचा लिया और वह 12 घंटे फ्रेटर के पास ही रहा, जो डूब रहा था। चूंकि और किसी प्रकार की सहायता असंभव थी आई० एन० एस० कोचीन की ओर चल दिया जहां बचाए गए सेविवर्ग को उतार दिया गया। अब तक एस० एस० आवरा डूब चुका है, विध्वस्त हो चुका।

उत्तरी बिहार का विकास

1002. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अपनी हाल की उत्तरी बिहार की यात्रा में प्रतिरक्षा तथा अन्य बातों की दृष्टि से देश के उस भाग के विस्तृत विकास पर जोर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तरी बिहार का कितना, किस तरह और कब तक विकास करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : बिहार के, अपने हाल के भ्रमण में, रक्षा मंत्री ने कहा था, कि बिहार के सीमावर्ती ज़िलों में सड़कों और संचार सुविधाओं का, इस ढंग से विकास होना चाहिए, कि वह जब भी आवश्यकता पड़े, रक्षा, उद्देश्यों से उपयोगी हों उस भ्रमण में सुझाव दिया गया था, कि उत्तरी बिहार में, सड़कों का निर्माण कार्य, सीमासड़क विकास बोर्ड को संभाल लेना चाहिए। सुझाव का निरीक्षण किया जा रहा है।

पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दी

1003. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में जम्मू तथा काश्मीर सीमा पर हुई मुठभेड़ों में पकड़े गये कितने भारतीय युद्धबन्दी पाकिस्तान की हिरासत में हैं तथा कितने पाकिस्तानी युद्धबन्दी भारत में हैं;

(ख) कितने भारतीय युद्धबन्दी भारत वापस आ गये हैं और कितने अभी वहां हैं तथा कितने पाकिस्तानी युद्धबन्दी अभी भारत में हैं; और

(ग) इस सीमा पर पकड़े गये युद्ध बन्दियों की सूचियों का अन्तिम बार आदान प्रदान कब हुआ था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सूचना तुरन्त प्राप्य नहीं है, और इकट्ठी की जा रही है।

(ग) जम्मू कश्मीर में बन्दी बनाये गये सेविवर्ग की अन्तिम अदला बदली 30 अप्रैल 1964 को हुई थी। तब से सेविवर्ग की सूचियों की कोई अदला बदली नहीं हुई है।

Telegraph Offices and Telephone Exchanges in Maharashtra

1004. **Shri D. S. Patil :**

Shri Tulsidas Jadhav:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Telegraph Offices, Telephone Exchanges and Public Call Offices to be set up in Maharashtra State in 1965-66 and their locations ; and

(b) whether the capacity of existing Telephone Exchanges is likely to be increased ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) A statement is laid on the table of the Lok Sabha. [**Placed in the Library. See No. LT-4670/65**.]

(b) Yes.

बिजली का उत्पादन

1005. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तापीय विद्युत केन्द्रों, जल विद्युत केन्द्रों तथा आणविक विद्युत केन्द्रों द्वारा विद्युत के उत्पादन पर होने वाले तुलनात्मक व्यय का कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह संभावना है कि ऐसे स्थानों पर अणुशक्ति द्वारा पैदा की गई बिजली अधिकाधिक सस्ती पड़ने लगेगी, जहां कोयला दूर से आता हो और जलविद्युत उपलब्ध न हों ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख) : जी हां। भारत में तापीय, जल तथा आणविक विद्युत केन्द्रों द्वारा विद्युत के उत्पादन होने वाले तुलनात्मक व्यय का विस्तृत अध्ययन स्वतंत्र रूप से परमाणु उर्जा विभाग ने किया तथा हाल ही में ऐसा ही अध्ययन सरकार द्वारा नियुक्त की गई ऊर्जा सर्वेक्षण कमेटी ने भी किया। इन अध्ययनों से पता लगा कि ऐसे कुछ क्षेत्रों में जहां कोयला दूर से आता हो तथा और जब विद्युत उपलब्ध नहीं, अणुशक्ति द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली अधिकाधिक सस्ती पड़ती है। सन् 1970 तथा 1980 के बीच जब थोरियम को इस्तेमाल करने की प्रविधि विकसित हो जायगी, अणु शक्ति से पैदा की जाने वाली बिजली और साधनों से पैदा की जाने वाली बिजली के मुकाबले में उन क्षेत्रों में भी सस्ती पड़ेगी जो कोयला खानों के समीप हैं।

खनिज पदार्थ विभाग का सर्वेक्षण

1006. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु खनिज पदार्थ विभाग ने यूरेनियम तथा थोरियम निक्षेपों तथा अणु-शक्ति उत्पादन के लिये महत्वपूर्ण अन्य पदार्थों की खोज के उद्देश्य से देश का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) देश में किए गए सर्वेक्षणों से जिन सबसे बड़े युरेनियम भंडारों का पता लगा वे बिहार के सिंहभूम ताम्र क्षेत्र में जादुगुडा, नरवापहाड़, भटीन तथा कैरुआडुंगरी नामक स्थानों में स्थित हैं। जादुगुडा स्थित युरेनियम खानों का, जो इस समय देश में यूरेनियम धातुक का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है, विकास इस प्रकार किया जा रहा है कि उनसे प्रति दिन 1,000 मीट्रिक टन यूरेनियम धातुक निकाला जा सके। अन्य तीन भंडारों का भी विकास किया जा रहा है।

कुल्लू, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हिमालय की शृंखलाओं में यूरेनियम के महत्वपूर्ण भंडारों का पता लगा है। इन भंडारों का सर्वेक्षण जारी है।

सर्वेक्षण कार्यों से भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र तटों पर स्थित रेत के टीलों तथा समुद्र की सतहों में मोनाजाइट के बड़े-भंडारों का पता लगा है। मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्त्रोत हैं। पूर्वी भारत में भी मोनाजाइट के बड़े रेतीले भंडारों का पता लगा है।

इन सर्वेक्षणों तथा इनके परिणामों के बारे में विस्तृत विवरण परमाणु ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित किये जाते हैं। जो संसद के सदस्यों को वितरित की जाती हैं।

फरीदाबाद टेलीफोन केन्द्र

1007. डा० ब० ना० सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरीदाबाद (पंजाब) में स्थापित किये जाने वाले एक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यह केन्द्र जनता के लिए कब खुलेगा;

(ग) टेलीफोन दिये जाने के लिये इस केन्द्र की प्रतीक्षक सूची में इस समय कितने उद्योगपतियों के नाम हैं; और

(घ) नया टेलीफोन केन्द्र खुलने के बाद उन्हें टेलीफोन देने में कितना समय लगेगा ?

संचार विभाग मे उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) अन्तिम चरण में है।

(ख) सितम्बर, 1965 में 1,000 लाइनों का स्वचल केन्द्र खोल दिया जाएगा।

(ग) उद्योगपतियों के लिए अलग से कोई प्रतीक्षा-सूची नहीं रखी जाती। फिर भी इस समय प्रतीक्षा-सूची में आवेदकों की संख्या इस प्रकार है

अपना टेलीफोन योजना—43

अपनेतर टेलीफोन योजना—600

(घ) आशा है कि मार्च, 1966 के अन्त तक लगभग 500 कनेक्शन दे दिये जाएंगें। बढती हुई मांगों को पूरा करने के लिए स्वचल केन्द्र में आगे 1500 लाइनों का विस्तार और करने का प्रस्ताव है।

टेलीफोन केन्द्र, सुन्दरनगर-टाटानगर

1008. डा० ब० ना० सिंह : क्या **संचार** मंत्री 14 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2100 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुन्दरनगर-टाटानगर (सिंहभूम) में टेलीफोन केन्द्र खोलने का काम इस समय किस अवस्था में है :

(ख) केन्द्र कब तक खुल जायेगा;

(ग) इस केन्द्र में टेलीफोन चाहने वालों की सूची में कितने उद्योगपतियों के नाम हैं; और

(घ) उनको टेलीफोन कब तक दे दिये जायेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) प्राक्कलन मंजूर किये जा चुके है और उपस्कर के लिए आदेशपत्र भेज दिये गए हैं। सामान प्राप्त हो रहा है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के भीतर।

(ग) चौदह।

(घ) एक्सचेंज चालू हो जाने के तुरंत बाद ही कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

ठेके पर काम करने वाले मजदूर

1009. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

श्री प्रभात कार :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के संरक्षण के लिये विधान बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस विधान के संसद में कब तक पेश किये जाने की संभावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) प्रस्तावित विधान की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :---

(i) प्रतिष्ठानों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन;

(ii) जहां सम्भव हो वहां ठेका मजदूरों के रोजगार का उन्मूलन और जहां ऐसा सम्भव न हो वहां उनका विनियमन;

(iii) ठेकेदारों को लाइसेंस देना;

(iv) इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किए जाने वाले सलाहकार बोर्डों के परामर्श से अधिसूचना द्वारा प्रक्रियाओं या व्यापारों या किसी प्रतिष्ठान में अन्य काम या ठेका श्रमिकों के वर्ग का निषेध करना;

(v) उचित भुगतानों और कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था के लिए मुख्य नियोजक पर जिम्मेदारी लगाना ।

(ग) सभी विचार-विमर्श और क्रियाविधि औपचारिकता पूरी होनें पर और सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद यथाशीघ्र ।

घरेलू नोकर

1010. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू नौकर की सेवाओं को विनियमित करने के लिये कानून बनाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय घरेलू नौकरों की सेवाओं की दशाओं को विनियमित करने सम्बन्धी विधान से है । इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रान्त के कबालियों द्वारा काश्मीर में अतिक्रमण

1011. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्र चं० बरुआ :
श्री गुलशन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रान्त के कबालियों ने जो काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के पास के क्षेत्रों में लाये गये थे, युद्ध विराम रेखा के साथ के भारतीय गांवों में लूट-मार तथा स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितने छापे मारे हैं; और

(ग) पिछले तीन महीनों में इन छापों में भारतीय पक्ष को जन तथा धन की कितनी हानि हुई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) : जैसा कि सदस्य महोदयों को मालूम है, जम्मू काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जिनमें नियमित और अनियमित पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग और भारवाहक शामिल थे, आतंक फैलाने खाद्य-पदार्थों तथा अन्य चीजों की लूटमार करने, आग लगाने तथा वध करने के कार्य किए है। यह ज्ञात है कि लगभग मई से पाकिस्तान ने सीमावर्ती कोरों के अंशों को युद्ध विराम रेखा के निकट आगे बढ़ाया है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबाईलियों को सदस्य महोदयों द्वारा उल्लिखित किस्म की घटनाओं से सम्यक्तौर पर संबंधित करना, अथवा आक्रमणों के ठीक ठीक विस्तार देना, और जनधन की हानि के विस्तार देना कठिन है।

भारत-कुवैत आर्थिक सहयोग

1012. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और कुवैत की सरकारों ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक नामिका (पैनल) बनाने का निश्चय किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई चर्चा हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्तिम रूप से कोई समझौता हो गया है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मौरीशस में दंगे

1013. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौरीशस में मई, 1965 में दंगो में भारतीय उद्भव के दो व्यक्ति मारे गये तथा अन्य 100 व्यक्ति घायल हुए;

(ख) क्या दंगों के पीछे पीकिंग समर्थक चीनियों का हाथ है और ये दंगे द्वीप में भारतीयों के विरुद्ध किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मई 1965 के दंगों में भारत-मारीशस-मलक एक व्यक्ति मारा गया था। घायलों की ठीक ठीक संख्या मालूम नहीं है।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि ये झगड़े मारीशस में रहने वाले विभिन्न तत्वों के बीच राजनीतिक जातीय और साम्प्रदायिक तनावों के परिणाम-स्वरूप हुए थे और किसी खास सम्प्रदाय के विरुद्ध हुए प्रतीत नहीं होते।

(ग) मारीशस में बसे भारतीय मूल के लोग उस द्वीप के ही नागरिक हैं और उनके हित-कल्याण की चिंता रखना युनाईटेड किंगडम की सरकार का और मारीशस की सरकार का काम है।

व्यावहारिक प्रशिक्षण

1014. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी औद्योगिक संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों के लिये इंजीनियरी तथा गैर-इंजीनियरी दस्तकारियों (ट्रेड्स) का कारखाने में व्यावहारिक (इम्प्लांट) प्रशिक्षण पाना अनिवार्य कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा करने में क्या कठिनाइयां है ; और

(ग) जो व्यक्ति कारखाने में व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने में असमर्थ होते हैं क्या उन्हें डिप्लोमा प्रदान किया जाता है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी नहीं। यह केवल इंजीनियरी व्यवसायों के लिए जरूरी है।

(ख) इतर-इंजीनियरी व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण की अवधि केवल 12 माह है। इन व्यवसायों के लिए कारखानों में व्यावहारिक (इम्प्लांट) प्रशिक्षण की व्यवस्था नही है।

(ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र उन सफल प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाता है जो कारखाने में व्यावहारिक (इम्प्लांट) प्रशिक्षण पूरा कर लें। सम्बन्धित व्यवसाय के लिए मंजूर शुदा उद्योगों में 6 माह तक काम का अनुभव अथवा शिशिक्षु रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना कारखाने में व्यावहारिक (इम्प्लांट) प्रशिक्षण मान लिया जाता है।

लोहे तथा इस्पात उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड

1015. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोहा तथा इस्पात उद्योग मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ): मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट और इस सम्बन्ध में सरकारी संकल्प की प्रतियां 17-8-1965 को सभा की मेज़ पर रख दी गई थी ।

सैनिक फार्मों में खच्चर पालन

1016. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक फार्मों में खच्चर पालने का काम कुछ वर्ष पहले शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन फार्मों में अब तक कितने खच्चर पैदा हुए हैं; और

(ग) उनमें से कितने सेना के काम में लाए जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) खच्चरों का प्रजनन कार्य रिमाउंट तथा वेटेरिनरी कोर में 1956-57 से हो रहा है न कि मिलिट्री फार्म में ।

(ख) 15-7-65 तक 1252 ।

(ग) प्रजनित जवान पशु व्यसक होने के पश्चात् यूनिटों को दे दिये जाते हैं, जब वह चार वर्ष के हो जाते हैं । अब तक 102 व्यस्क जो रिमाऊंट तथा वेटेरिनरी कोर द्वारा प्रजनित किए गए है, सेवा कार्य के लिए यूनिटों को वितरित कर दिये गए हैं ।

नि:शस्त्रीकरण चर्चा में चीन को शामिल करना

1017. श्री हेम बरुआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चीन को नि:शस्त्रीकरण चर्चा में शामिल करने के लिये कोई प्रयत्न कर रहा है, जैसा कि 20 मई 1965 को घाना ने सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख): विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है जिसमें चीन समेत सभी देशों को आमंत्रित किया जाएगा ।

दूसरा सीमेंट मजूरी बोर्ड

1018. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री राम हरख यादव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमेंट मजदूरों को अन्तरिम सहायता देने के लिये दूसरे सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिश स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से लागू की जायेगी; और

(ग) सिफारिश कहां तक लागू की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां। सरकारी संकल्प की प्रतियां 16 अगस्त, 1965 को सभा की मेज़ पर रख दी गई थी।

(ख) 1 जनवरी, 1965।

(ग) बोर्ड की सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही हैं। प्रगति सम्बन्धी रिपोर्टें मंगाई गई हैं।

कच्छ के बारे में ईरान के प्रधान मंत्री का वक्तव्य

1019. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ईरान के प्रधान मंत्री के कराची के समाचार पत्र "डान" में छपे इस वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि कच्छ के झगड़े के मामले में वह पाकिस्तान का समर्थक है; और

(ख) यदि हां, तो ईरान सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख): ईरान-स्थित भारतीय राजदूत ने जो पुछताछ की थी उसके जवाब में ईरान की सरकार ने साफसाफ़ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान के अखबारों में जसी खबर छापी गयी है वैसी कोई बात न तो विदेश मंत्री ने कही है और न प्रधान मंत्री ने।

कीनिया में एशियावासी

1020. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत ने कीनिया सरकार को सूचित कर दिया है कि कीनिया में रहने वाले एशियावासियों को उस देश का नागरिक बन जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे विदेश मंत्री की कीनिया की यात्रा के समय इस विषय पर वहां की सरकार से कोई चर्चा हुई थी;

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय हो गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में बस गए हैं, उनके संबंध में भारत की नीति सर्वविदित है। इसमें संदेह नहीं कि कीनिया सरकार इससे अवगत है।

(ख) और (ग) : नैरोबी में अपनी बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने कीनिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को समुद्र पार बसे भारतीय मूल के लोगों से संबन्धित भारत सरकार की सामान्य नीति समझाई।

(घ) कीनयाई राष्ट्रीयता स्वीकार करने का अंतिम निर्णय करना संबद्ध लोगों पर निर्भय है।

"स्पेस हिवस्लर्स"

1021. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि गुलमर्ग स्थित उच्च स्थल अणु शक्ति प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने अप्रैल-मई, 1965 में 400 अन्तरिक्ष सीटी-ध्वनियां (स्पेस हिवस्लर्स) रिकार्ड की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अनन्य प्रयोग से वैज्ञानिकों को क्या कोई सहायता मिलेगी;

(ग) क्या इससे हमें चांद और दूसरे ग्रहों पर मनुष्य को भेजने में कोई सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो यह लगभग कब तक हो सकेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) बनारस हिन्दु विश्व विद्यालय के वैज्ञानिकों का एक दल अक्तूबर 1963 से गुलमर्ग स्थित उच्च स्थल अणू शक्ति प्रयोगशाला में वायु मण्डलिय सीटी ध्वनियों (हि्वस्लर्स) के बारे में परिक्षण कर रहा है।

(ख) वायु मण्डलीय सीटी ध्वनियां वे ध्वनियां हैं, जो मध्य तथा अधिक ऊंचाई पर रेडियो रिसीवर द्वारा प्रायः बार बार ग्रहण की जाती हैं। इन ध्वनियों का भारत के अधिकांश भागों में इस कारण अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नीची जगहों पर प्रायः नहीं सुनि जा सकतीं। काश्मीर एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां ये ध्वनिया ग्रहण की जा सकती हैं। इन ध्वनियों की उत्पत्ति वायु मण्डलीय बिजली से होती है।

यह अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आयन मण्डल के उस ऊपरि भाग के इलक्ट्रानों के घनत्व के बारे में जानकारी मिलती है जहां सामान्य आयन-मण्डलीय ध्वनियां नहीं पहुंच सकती।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड

1022. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भ० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० पू० ना० खां :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के गोदी मज़दूर बोर्ड के पुनर्गठन किये जाने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कब और किस ने की है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कामगार संघ ने दिसम्बर, 1964 में एक मांग पेश की कि कलकत्ता गोदी मज़दूर बोर्ड का पुनर्गठन होना चाहिये।

(ग) कलकत्ता गोदियों के मजदूर संघों की अंतिम प्रमाणित सदस्य-संख्या प्राप्त होने पर बोर्ड का पुनर्गठन किया जायगा।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेटों का प्रशिक्षण

1023. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमा पर सम्भावित खतरे का सामना करने के लिये राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिये "तैयार रहो" (बी प्रेपयर्ड) योजना तयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना को कब तक कार्य रूप दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) : प्रगाढ सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए और एन० सी० सी० छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर असैनिक रक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए "तैयार रहो" योजनाएं बनाई गई हैं ।

मई 1965 में मुख्य निदेशक एन० सी० सी० ने गर्मियों की छुट्टियों में एन० सी० सी० छात्रों को चार मास के लिए स्वैच्छिक आधा पर सांद्रित सैनिक प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम पुरस्थापित किया था । कार्यक्रम का उद्देश्य था छात्रों को शारीरिक-तौर पर सबल बनाना और उन्हें आधारभूत सैनिक विषयों में शिक्षा देना । प्रशिक्षण सप्ताह में 6 दिन चार घंटे प्रतिदिन दिया गया था । इस चार सप्ताह के पाठ्यक्रम को 210 एन० सी० सी० अफसरों और 28274 छात्रों ने पूरा किया है । योजना का नाम रखा गया था, "तैयार रहो" ।

जुलाई 1965 में एन० सी० सी० छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर, मुख्यत: असैनिक रक्षा में प्रशिक्षण देने के लिए "तयार रहो–11" योजना बनाई गई थी । यह प्रशिक्षण जुलाई से दिसम्बर तक रविवारों और अन्य छुट्टियों में तीन अथवा चार घंटे प्रतिदिन दी जायगी । योजना के अंतर्गत है, अग्नि कांडों का सामना करने, संकट से उबारने और प्राथमिक उपचार में उन एन० सी० सी० छात्रों में से स्थायी दलों में निर्माण, जो "तयार रहो" योजनाओं में से गुज़र चुके है ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

1024. श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री बासप्पा :**

क्या **प्रधान** मंत्री 8 मार्च, 1965 के राष्ट्रीय रक्षा कोष के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 769 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च से 31 जुलाई, 1965 तक राष्ट्रीय रक्षा कोष के केन्द्रीय खाते में कुल कितना नकद धन प्राप्त हुआ ;

(ख) सोने तथा सोने के आभूषणों के रूप में तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के रूप में उपरोक्त अवधि में कितना कितना अंशदान प्राप्त हुआ; और

(ग) इस कोष में से अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) 14,06,748—09 रुपये ।

(ख) सोना तथा सोने के आभषण 10,549.800 ग्राम चांदी तथा चांदी के आभूषण 2,808.900 ग्राम ।

(ग) अभी तक लगभग 33.35 करोड़ रुपये के कुल खर्च की मंजूरी दी गई है, लेकिन वास्तविक व्यय लगभग 28.30 करोड़ रुपय हुआ है ।

संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक पर पाकिस्तानियों का गोली चलाना

1025. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 मई, 1965 को जब संयुक्त राष्ट्र के एक सैनिक प्रेक्षक नौशेरा (जम्मू और काश्मीर) के दक्षिण पश्चिम में युद्ध विराम रखा के पास एक आरक्षी टुकडी (पिकेट) के पास गये थे तब उन पर पाकिस्तानियों ने भारी गोलीबारी की; और

(ख) यदि हां, तो इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) 21 मई, 1965 को, नौशहरा से लगभग 5 मील दक्षिण पश्चिम में यूद्धविराम रेखा के उस पार से हमारी एक चौकी पर पाकिस्तानियों ने मध्यम मशीन गनों, मार्टर तथा हथगोलों से गोलाबारी की । संयुक्त राष्ट्रों का एक प्रेक्षक उस अवसर पर उपस्थित था ।

(ख) युद्ध विराम उल्लंघन के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध संयक्त राष्ट्रों के प्रेक्षको को विरोधपत्र भेजा गया था । मुख्य सनिक प्रेक्षक का निर्णय मालूम नही क्योंकि संशोधित प्रक्रिया के अन्तर्गत वह अपना निर्णय केवल उस पक्ष को ही भेजता है, जिसके विरूद्ध युद्ध विराम के उल्लंघन का निर्णय दिया गया हो ।

उत्तर प्रदेश में हैलीकोप्टर दुर्घटना

1026. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 मई, 1965 को उत्तर प्रदेश के बिलवा गांव (जिला बरेली) के निकट एक सनिक हैलीकोप्टर गिर गया;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) इससे कितनी हानि हुई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय वायु सेना का एक लड़ाकू विमान न कि एक सैनिक हैलिकाप्टर उक्त गांव के पास 12—5—65 को ध्वस्त हो गया था ।

(ख) कोर्ट आव इन्क्वायरी दुर्घटना का ठीक ठीक कारण निर्धारित नही कर सकी । तदपि उसका विचार था कि संभवत: दुर्घटना का कारण सहपक्ष नियंत्रण संहात में खराबी था ।

(ग) विमान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया । विमानचालक सख्त चोटों सहित बच निकला ।

Shoes Supplied to Armed Forces

1027. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that shoes supplied to the Armed Forces in large quantities by the contractors of Kanpur were made of inferior quality of leather and proved unfit;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action Government propose to take in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju): (a) to (c). No, Sir. However, a negligible quantity of 378 pairs of boots ankle (black leather) supplied by a Delhi Firm whose factory is at Kanpur was found to be of sub-standard quality.

The quantity found to be of sub-standard quality is being replaced by the supplying firm at its own cost.

उत्तर प्रदेश के डाकखानों में जमा धन

1028. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न डाकखानों में 'छोटी बचत योजना आन्दोलन' के अन्तर्गत कुल कितना धन जमा हुआ ।

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : 1 जनवरी, 1964 से 31 दिसम्बर, 1964 के दौरान उत्तर प्रदेश के डाकघरों में विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अंतर्गत कुल जमा रक़म 63,24,26,169 रुपये थी ।

अरब देशों में पाकिस्तान द्वारा प्रचार

1029. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब देशों में, विशेषकर सऊदी अरब में, पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले प्रचार का खण्डन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान ने अपनी प्रचार व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया है, मध्य पूर्व में स्थित दूतावासों को कितने अतिरिक्त कर्मचारी दिये गये है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान अरब देशों में जो प्रचार कर रहा है, सरकार उससे पूरी तरह अवगत है । जब और जहां जरूरत होती है, वहां न सिर्फ भारत के पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए बल्कि भारत-विरोधी झूठे और शरारत भरे प्रचार का खंडन करने के लिए भी प्रचार के सभी सम्भव उपलब्ध माध्यमों का उपयोग किया जाता है ।

(ख) कोई नहीं ।

Migration of Muslims from India to Pakistan without Permits

1030. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade :
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Muslim families residing in Mekliganj, a village on the Cooch Behar border, had chalked out schemes for migration to Pakistan secretly with bag and baggage from India during June, 1965;

(b) whether it is also a fact that many families have been successful in migrating to Pakistan secretly along with their entire belongings;

(c) if so, the reasons for which these families migrated without informing Government and without obtaining permits; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) & (b). Government have received no such information. However 30 Muslim families of the Mekliganj border village crossed over the border into East Pakistan towards the last week of April, 1965. This was subsequent to repeated firing by East Pakistan Rifles in the area during March, 1965.

(c) It is believed that the Muslim families crossed over under the instigation of East Pakistan Riflemen and other Pakistani nationals of the neighbouring Pakistani villages across the border.

(d) The Government of India have protested to the Government of Pakistan against such instigation and all necessary steps have been taken to assure the Muslims in border areas of due protection.

कोयला खान श्रमिकों को जूतों की सप्लाई

1031. श्री किशन पटनायक :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1956 के पंचाट के अनुसार प्रत्येक कोयला खान श्रमिक मई, 1965 तक कितने जोड़ी जूतों का हकदार है;

(ख) क्या खनिकों को अपेक्षित संख्या में जूते सप्लाई नहीं किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी रही और पंचाट के उल्लंघन के लिये कौन जिम्मेदार है;

(घ) पंचाट का उल्लंघन करने वाली पार्टी अथवा पार्टियों के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ङ) क्या कुछ मालिकों को, जिन्होंने पंचाट के अनुसरण में रुची इन्डस्ट्रीज को छोड़ कर अन्य विक्रेताओं को जूते सप्लाई करने के आदेश दिये थे, श्रम मंत्रालय ने अपने आदेश रद्द करने के लिये कहा था ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 8 जोड़ी जूतों का ।

(ख) और (ग) : खनिकों को जूते सप्लाई करने में कुछ कमी रही है, जिसके लिये मनेजमेंट और श्रमिक दोनों जिम्मेदार हैं । बहुत से मामलों में मैनेजमेंट श्रमिकों को जूते सप्लाई करने को तयार थी परन्तु श्रमिक जूते लने के लिए आगे नहीं आए क्योंकि उन्हें लागत का 50 प्रतिशत देना पड़ता है ।

(घ) पंचाट के उल्लंघन के लिए मैनेजमेंट और श्रमिक दोनों जिम्मेदार है; अतः इस मामले में पक्षों के विरुद्ध कोई कायवाही करना सम्भव नहीं हुआ ।

(ङ) इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किए गए ।

कोयला खनिकों का आसनसोल स्थित केन्द्रीय अस्पताल

1032. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पानी की भारी कमी के कारण कोयला खनिकों के आसनसोल स्थित केन्द्रीय अस्पताल में कार्य की स्थिति अत्यन्त संकटपूर्ण हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि जलाभाव के कारण मई व जून, 1965 में रोगियों को अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया तथा तपेदिक का नया वार्ड भी नहीं खोला जा सका; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में अस्पताल के लिये पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : पानी की कमी के कारण मई और जून, 1965 में अस्पताल में केवल आपात रोगी दाखिल किए गए। तपेदिक विंग भी काम न कर सका।

(ग) पड़ोस की दो कोयला खानों में उपलब्ध पानी से पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से एक तो प्रति दिन एक लाख गेलन पानी सप्लाई करने के लिए मान गई है। कुछ कुएँ खोदने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि प्रयोगात्मक आधार पर खोदा गया एक उथला कुआं सफल सिद्ध हुआ है।

रूस से मिग विमान

1033. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सेवक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से मिग विमान तीन स्क्वाड्रनों की संख्या में प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब प्राप्त हुए; और

(ग) क्या भारत के लिये उन की उपयुक्तता का परीक्षण कर लिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

(ग) मिग विमानों की एक संख्या 1963 से भारतीय स्थितियों के अन्तर्गत उड़ाने कर रही है, और उन्हें उपयुक्त पाया गया है।

थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर

1034. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे स्थित परमाणु शक्ति संस्थापन ने थर्मो-इलेक्ट्रिक कूलर का उत्पादन आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो कूलर की मुख्य बातें क्या हैं और इसके प्रायोगिक उत्पादन पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां । इस प्रकार के कूलर का आदिरूप तैयार किया जा चुका है तथा इसका उत्पादन विचाराधीन है ।

(ख) थर्मो-इलैक्ट्रिक कूलर का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिये हो सकता है, जिनमें से मुख्य एक है सीरम, वैकसीन आदि का सुदूर गांवों तक ले जाना । इस कूलर में 12 वाट बिजली के द्वारा आधा लिटर द्रव को कम से कम 0° सेंटीग्रेड तक ठंडा रखा जा सकता है । यह कूलरसुवाह्य है, बटरी से काम कर सकता है और इसका वजन पांच किलो से ज्यादा नहीं । यह यूनिट चीजों को गरम करने के काम में भी लाया जा सकता है । आधा लिटर सीरम ठंडा करने वाले कूलर का मूल्य लगभग 400 रुपये होगा । परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में विकसित किए गए कूलर का एक फोटो विस्तृत विवरण के साथ 'न्यूक्लीयर इंडिया' के मई, 1965 के अंक में छपा था, जिसकी प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

सिखों के बारे में पाकिस्तानी प्रसारण

1035. **श्री गुलशन :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान रेडियो यह समाचार प्रसारित करता रहा है कि मई, 1965 में सिखों ने भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रसारण में कुछ सचाई है; और

(ग) इस प्रचार का खण्डन करने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां । पाकिस्तान रेडियो ने यह विचित्र घोषणा की थी और साथ ही यह भी कि इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना बुला ली गई है । इस एकदम झूठे प्रसारण से यह पता चलता है कि भारत के प्रति घृणा के आंदोलन में पाकिस्तान कितना नीच गिर सकता है ।

(ग) प्रमुख सिक्ख नेताओं ने पाकिस्तान के इस बेहूदा प्रचार का खंडन करते हुए जो बयान दिए थे, उनका व्यापक प्रचार किया गया था । भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने भी 18 मई को इस प्रचार का खंडन करते हुए इसे एकदम झूठा बताया था ।

पाकिस्तानियों द्वारा राजस्थान में धावा

1036. **श्री गुलशन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1965 में पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान के कुछ गांवों पर धावा बोला और गांव वालों की सम्पत्ति लूट ली; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सम्पत्ति वापस दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) मई 1965 में पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिकों द्वारा, पाकिस्तानी सिन्ध रेंजर्ज़ की सक्रिय सहायता से, जो एक अधसैनिक दल है राजस्थान पर दो आक्रमण हुए हैं। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने 500 रुपये की भारतीय सम्पत्ति को आग लगाई। एक ऊंट पाकिस्तान ल जाने के अतिरिक्त, उन्होंने कुछ नकदी आभुषणो और वस्त्र, कि जिन का मूल्य नहीं आंका गया है, लूटा।

(ख) पाकिस्तान से उपयुक्त मुआवज़े की मांग की गई है।

जोधपुर में रेडियो प्रसारण सुविधायें

1037. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जोधपुर में रेडियो प्रसारण की अधिक सुविधायें दिये जाने के लिये अभ्यावदन मिला है।

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में दिये गये मुख्य सुझाव क्या हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी हां।

(1) जोधपुर में आकाशवाणी का एक अलग केन्द्र खोला जाए।

(2) भारत-पाक सीमा के एक भाग के लिए जोधपुर से प्रसारण किया जा सकता है।

(ग) जोधपुर, सीमा से केवल 150 मील है, अतः सीमा के वास्ते ट्राँसमीटर लगाने के लिए यह उपयुक्त स्थान नहीं है। तथापि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तगत जोधपुर में उच्च शक्ति का एक ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

1038. श्री कृष्णपाल सिंह : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में देश भर में विभिन्न कोयला खानों में ऐसी कितनी दुर्घटनायें हुई हैं जिनमें लोग हताहत हुए हैं तथा सम्पति की हानी हुई है ;

(ख) इनके क्या कारण थे; और

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) मई और जून 1965 में 29 घातक दुर्घटनाएं हुई जिनमें 300 व्यक्ति मार गये। इनमें मई, 1965 में घोरी कालियरी म हुई मुख्य दुर्घटना भी शामिल हैं जिस में 268 व्यवितयों का जानी नुकसान हुआ। अप्रैल से जून, 1965 के तीन महीनों में 460 गम्भीर दुर्घटनाएं हुई, जिन में 464 व्यक्ति घायल हुए।

(ख) घटनाओं के कारण-वार वर्गीकरण के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दुर्घटनाओं के कारण-वार वर्गीकरण सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	दुर्घटना का कारण	गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या अप्रैल से जून, 1965	घातक दुर्घटनाओ की संख्या मई-जून 1965
1	छत का गिरना	44	16
2	दीवार का गिरना	38	1
3	ढलाई	114	7
4	शैफ्ट में . . .	4	..
5	विस्फोटक पदार्थ	7	1
6	मशीनरी	18	1
7	खान की रेलवे साइडिंग पर . .	5	..
8	बिजली . .	..	1
9	विविध . . .	230	..
10	जांच अधीन	..	2
	कुल जोड़ .	460	29

(ग) खान-अधिनियम, 1952 की धारा 23(2) के अन्तर्गत, ऐसी समस्त दुर्घटनाओं की, जिनसे जानी-नुकसान हुआ हो, जांच अपेक्षित है कि जानी नुकसान न होने पर भी मुख्य "गम्भीर दुर्घटनाओं" की जांच की जाती है। सभी मामलों में, जिन में जांच की जाती है, जिम्मेदारी निश्चित की जाती है। प्रत्येक मामल में दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा चुकी है (उन मामलों को छोड़ कर जहां यह सिद्ध हो कि दुर्घटना एक अपघात थी)। 29 घातक दुर्घटनाओं में से प्रत्येक घटना में की गई कार्यवाही सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4671/65**।]

डाक तथा तार विभाग में चौकीदारों के काम के घंटे

1039. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि सरकार की कल्याण योजना के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों का, जिनमें छोटे कर्मचारी, कार्य प्रभारित संस्थापन तथा दैनिक मजूरी वाले मजदूर भी हैं, कार्य-काल आठ घंटों तक सीमित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जो चौकीदार डाक तथा तार विभाग (सर्किल इंजीनियरी विभाग) को स्थानान्तरित किये गये हैं उनसे 17 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है और उन्हें कोई साप्ताहिक छुट्टी भी नही मिलती;

(ग) यदि हां, तो ऐसा क्यों है और उन्हें समयोपरि भत्ता न देने के क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के काम के घंटे इस प्रकार हैं :-

(i) दफ्तर के कर्मचारी—7 घंटे

(ii) अन्य कर्मचारी—8 घंटे

(iii) दफ्तर के चौकीदार—12 घंटे

(ख) जहां कहीं संभव होता है, सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है। यदि किसी कर्मचारी से अधिक घंटों तक काम लिया जाता है तो उस पर समयोपरि भत्ते के नियम लागू होते हैं।

(ग) यह बात ठीक नहीं है। सभी दावों पर नियमों के अनुसार विचार किया जाता है।

योजना प्रचार

1040. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना प्रचार का काम क्षेत्र-प्रचार अधिकारियों को सौंपा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितना क्षेत्र सौंपा जाता है और उन्हें क्या काम करना होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जा रहा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि विभिन्न क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों के जिम्मे कितना क्षेत्र है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4672/65]**

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी का काम जनता में जा कर योजना के बारे में बताना, राष्ट्रीय एकता का भाव बढ़ाना, और देश की रक्षा के लिए उत्साह पैदा करना है।

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी देश के विभिन्न भागों में, सिनेमा गाड़ियों के द्वारा प्रचार करते हैं। वे सार्वजनिक सभा, सामूहिक विचार विमर्श, और गोष्टियों का आयोजन करते हैं और डाकुमेंटरी और अन्य फिल्में दिखाते हैं। गीत और नाटक और अन्य सांस्कृतिक साधनों का उपयोग भी किया जाता है।

दिल्ली व पटना के बीच ट्रंक काल की सीधी व्यवस्था

1041. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली व पटना के बीच ट्रंक काल की सीधी व्यवस्था हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उस पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में और किन किन शहरों के बीच ट्रंक काल की सीधी व्यवस्था की जायेगी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) इस सेवा का उद्घाटन 20 जुलाई 1965 को हुआ था । अधिकांश दूरी में इसकी व्यवस्था दिल्ली-कलकत्ता सहधुरीय केबल पर की गई है । स्विचिंग उपस्कर तथा पटना-सासाराम केबल लिंक की लागत लगभग 42 लाख रुपये है ।

(ग) निम्नलिखित स्थानों के बीच सीधे डायल करने की प्रणाली चालू करने का कार्य प्रगति पर है ।

दिल्ली—मेरठ

मद्रास—बंगलोर

दिल्ली-अहमदाबाद

दिल्ली-जालन्धर

दिल्ली-सिमला

दिल्ली-श्रीनगर

इनमें से कुछेक सेवाएं इस वर्ष के भीतर—जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है—पूरी नहीं हो पाएंगी ।

नागपुर के निकट सैनिक स्कूल

1042. **डा० मा० श्री० अणे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत जून नागपुर की नगर कांग्रेस समिति द्वारा पास किये गये उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिस में नागपुर के निकट एक सैनिक स्कूल खोलने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने नागपुर के निकट ऐसा स्कूल खोलने के लिये किन्हीं सुविधाओं की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान स्थित भारतीय बस्तियों में भारतीय पुलिस

1043. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारी भारतीय पुलिस के सिपाहियों का पूर्वी पाकिस्तान स्थित भारतीय बस्तियों में 30 कारतूसों से अधिक नहीं ले जाने देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) 9 जुलाई, 1965 को पाकिस्तानी अधिकारियों ने 17 भारतीय अधिकारियों को उतनी-उतनी युद्ध-सामग्री अपने साथ लेकर नहीं जाने दिया था जितनी कि वे ल जा रहे थे ; य भारतीय अधिकारी चिलहाटी की पाकिस्तानी चौकी से होकर दीनाजपुर जिले में कतिपय भारतीय बस्तियों को जा रहे थे । पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें 50–50 गोलियों की बजाय 30–30 गोलियां ले जाने दीं ।

(ख) 14 जुलाई, 1965 को पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया । इसके परिणाम-स्वरूप पूर्व पाकिस्तान सरकार ने 23 जुलाई, 1965 को पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया कि भविष्य में वे ऐसे मामलों में पारस्परिकता का पालन करेंगे ।

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता

1044. **महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गार्डन रीच वर्कशाप के जहाज बनाने के कारखाने का कितना आधुनिकीकरण तथा विस्तार किया गया है;

(ख) इस कार्य में कुल कितना व्यय होना है; और

(ग) विस्तार योजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : बन्दरगाहों तथा नौसेना के लिए आवश्यक छोटे नौयानों के निर्माण की सुविधाओं में उन्नति की गई है और कुछ नए साज़सामान खोलों के कारखाने में 5 लाख की लागत् पर स्थापित किए गए हैं। निपिण्ड संघटन क्षेत्र के लिए स्लिपवे निर्माण सम्बन्धी पदार्थों से काम लेने की सुविधाओं में सुधार करने का विचार है। इन सुविधाओं को प्राप्य करने के लिए लगभग कुल 18 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है जो मार्च 1966 तक प्राप्य होने की आशा है। कम्पनी की जहाजों की मरम्मत करने की क्षमता बढाने के लिए 12000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के समुद्र-गामी जहाजों को ठहराने के लिए एक खुश्क गोदी के निर्माण का भी एक सुझाव है। इस खुश्क गोदी के निर्माण की पूंजी लागत अनुमानतः 2.5 करोड़ रुपये है।

(ग) गार्डन रीच वर्कशाप का आधुनिकीकरण और प्रसार एक प्रगतिशील प्रक्रिया है परन्तु आशा है कि वर्तमान प्रसार सुझावों में अधिकतम 2 अथवा 3 वर्षों में कार्यान्वित हो जाएंगे।

इण्डोनेशिया में भारत विरोधी प्रचार

1045. **श्री दे० द० पुरी :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडोनेशिया में वहां के नेताओं तथा समाचारपत्रों द्वारा भारत के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या इससे हमारे उस देश के साथ राजनयिक सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार ने इंडोनेशिया के साथ सम्बन्धों को सामान्य स्तर जैसा बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इंडोनेशिया के अखबारों में भारत की जो आलोचना की जा रही है, भारत सरकार उसके प्रति सजग है। इंडोनेशिया के कुछ नेताओं ने भी भारत की आलोचना की है।

(ख) और (ग) : इससे दोनों देशों के राजनयिक संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारत सरकार इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छी मित्रता के संबंध रखना चाहती है और इसलिए उसे यह देखकर दुःख हुआ है कि एक मित्र देश के नेताओं ने उसकी अनुचित आलोचना की है। इसलिए, भारत सरकार ने इंडोनेशिया सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया है। सरकार को आशा है कि हमारे दोनों देशों के बीच जो संबंध वर्तमान हैं वे और सुदृढ़ होंगे और वह निरंतर इस दिशा में कार्य कर रही है।

मिलों में उपभोक्ता स्टोर

1046. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में देश में कितने मिलों में उपभोक्ता स्टोर खोले; और

(ख) उनसे कितने कर्मचारी लाभ उठा रहे हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) इस समय देश के 3683 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, जहां 300 या अधिक कामगार काम करते हैं, 2204 उपभोक्ता सहकारी भंडार और उचित मूल्य की दूकानें (1691 उपभोक्ता सहकारी भंडार और 513 उचित मूल्य की दूकानें) काम कर रही हैं। इस के अलावा 129 शाखा-भंडार हैं। अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों से मिलों के बारे में अलग रूप से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सहकारी भंडार प्रतिष्ठान के समस्त कामगरों के लाभ के लिये स्थापित किये जाते हैं। उन कामगरों की संख्या जो वास्तव में अपनी जरूरत की चीजें इन से खरीदते हैं, प्रत्येक भंडार पर अलग अलग समय में भिन्न भिन्न होगी। इस का ब्यौरा प्राप्त करना कठिन है। लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या सदस्यों की संख्या से अत्यधिक होगी।

कुचुनगई कोयला खान

1047. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1965 में (राष्ट्रीय कोयला विकास निगम) के अधीन कुचुनगई कोयला खान में कोई दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुए;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई;

(घ) यदि हां, तो जांच से क्या निष्कर्ष निकला; और

(ङ) क्या उस जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी नहीं। यह खान दुर्घटना के काफी समय पहले से बंद है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यू धूसिक कोयला खान

1048. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता के 13 मार्च, 1965 के पंचाट (1964 की संख्या 48) को, जो न्यू धूसिक कोयला खान के बारे में था, कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ख) क्या सम्बद्ध मजदूर को पुनः काम पर लगा दिया गया है और उस की पिछली मजूरी पूरी दे दी गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

न्यू डगरिया कोयला खान में दुर्घटना

1049. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान विभाग के आदेश पर, मई और जून 1965 में, काला-पहाड़ी कोयला खान और न्यू डगरिया कोयला खान (पश्चिम बंगाल) के कुछ भाग बन्द कर दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या इन कोयला खानों के प्रबंधकों को, खान नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन के दोषी पाया गया; और

(घ) क्या मजदूरों को मुआवजा दिया गया है अथवा उनको कोई दूसरा कार्य दिलाया गया है ?

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) काली-पहाड़ी कोयला खान के कुछ भाग जून 1965 में बन्द कर दिए गए थे और खान निरीक्षणालय द्वारा न्यू डामागोरिया कोयला खान को अप्रैल, 1965 में काम बंद करने के लिए कहा गया था ।

(ख) काली-पहाड़ी कोयला खान के कुछ विभाग हवा का पर्याप्त प्रबन्ध न होने और कोयला-धूल से उत्पन्न खतरों के अपेक्षित उपायों की व्यवस्था न होने के कारण बंद हुए । न्यू डामागोरिया कोयला खान को असंतोषजनक दशाओं के कारण काम बंद करने के लिए कहा गया ।

(ग) जी हां, काली-पहाड़ी कोयला खान ने कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 130 और 136 के उपबन्धों का उल्लंघन किया था । न्यू डामागोरिया कोयला खान के मामले में कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 98 के उप-खण्ड (3) के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ था ।

(घ) कुछ व्यक्तियों को दूसरा रोज़गार दिलाया गया और जहां दूसरा रोज़गार नहीं दिलाया जा सका, वहां चन्द एक को छोड़कर जो मज़दूरी लेने नहीं आए, मुआवजा मज़दूरी दी गई ।

प्रादेशिक सेना

1050. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के बावजूद 31 मार्च, 1965 को प्रादेशिक सेना को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या उसके अधिकारियों को भारमुक्त कर दिया गया है और असैनिक सेवाओं में नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या प्रादेशिक सेना रखने की आवश्यकता का पुनर्विलोकन किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या नियमित सेना अधिकारियों को प्रादेशिक सेना में कायम रखा गया है;

(ङ) क्या प्रादेशिक सेना अधिकारियों को स्वतंत्र कमान दी गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) प्रादेशिक सेना नागरिकों की अंशकालिक एक स्वैच्छिक सेना है जिसकी यूनिटें यथा आवश्यक आधार पर गम्भीर आपात स्थिति के समय नियमित सेना की अनुपूर्ति के समंगी। तदनुसार कुछ यूनिटों को 1962 में, चीनी आक्रमण के समय समंगीकृत किया गया था। जब जब उनकी आवश्यकता न रही उनका असंमगीकरण कर दिया गया, और अन्तिम दल का असमंगीकरण 31 मार्च 1965 को किया गया था।

(ख) प्रादेशिक सेना एक अंशकालिक सेना होने के नाते, उसके अफसर और अवर श्रेणी सैनिक असमंगीकरण पर, स्वभाविकतः अपने अपने असैनिक कार्य पर अन्तरित हो गए।

(ग) जी हां, प्रादेशिक सेना में जो जो त्रुटियां दिखाई दी हैं उन्हें दूर करने और उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

(घ) प्रादेशिक सेना की यूनिटों में कुछ कर्मचारी, जिनमें कुछ अफसर भी शामिल हैं, प्रशासनिक तथा प्रादेशिक सेना के उन अफसरों तथा अन्य श्रेणियों के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किये जाते हैं, जो प्रति वर्ष प्रशिक्षण के लिए आते हैं।

प्रादेशिक सेना की यूनिटों की कार्यदक्षता को ध्यान में रखते हुए रेगूलेशन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रशिक्षण के लिए रिगुलर सेना के कार्मिक तैनात किये जायं।

(ङ) तथा (च) : यदि योग्यता के अनुसार उपयुक्त हों तो प्रादेशिक सेना के अफसरों को प्रादेशिक सेना की यूनिटों में स्वतंत्र रूप से कमान देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय तारघर

1051. **श्री कपूर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि 2 अगस्त, 1965 को, नई दिल्ली के इम्पीरियल होटल में मास्टर तारा सिंह ने एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पाकिस्तानी समाचार पत्रों के सम्वाददाताओं को अपने समाचार पत्रों को सम्मेलन सम्बन्धी ब्यौरा भेजने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय तारघर की सुविधाएं देने से इन्कार कर दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी किसी घटना का पता नहीं चला है। सामान्यतः श्रीलंका, नेपाल तथा पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसी देशों को छोड़कर विदेशों को जाने वाले तारों, जिन्हें विदेश संचार सेवा तथा अन्य सम्बन्धित प्रशासनों के माध्यम से भेजा जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर बुक किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तारघर में स्वीकार किये जाते हैं। पड़ोसी देशों के लिए जैसे पाकिस्तान, नेपाल तथा श्रीलंका के लिए भेजे जाने वाले तार, जो सीधे डाक-तार विभाग द्वारा भेज जाते हैं और शुल्क की घटी अंतर्देशीय दरों पर स्वीकार किये जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तारघर को छोड़कर अन्य तारघरों द्वारा बुक किये जाते हैं। फिर भी पाकिस्तानी प्रेस सम्वाददाता ने केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में, जो कि इम्पीरियल होटल के बहुत पास है, 2 अगस्त, 1965 को कुछ प्रेस तार बुक कराये थे जिनमें उक्त सम्मेलन का ब्यौरा दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रेस सूचना ब्यूरो

1052. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जुलाई, 1965 को गृह-कार्य मन्त्री द्वारा चण्डीगढ़ में बुलाये गये पत्रकार सम्मेलन में प्रेस सूचना ब्यूरों के एक अधिकारी ने सम्वाददाताओं को उस दस्तावेज़ की प्रतियां बांटी थीं, जो पंजाब कांग्रेस के विभिन्न गुटों द्वारा सहमति से स्वीकृत आचार सहित माना जाता है;

(ख) क्या नियमों के अन्तर्गत ऐसा करन की अनुमति है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठते ।

Telegrams

1053. Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether complaints regarding late delivery of telegrams are still being received; and

(b) if so, the steps being taken to improve the position ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati): (a) Yes, but in reduced numbers. The percentage of complaints to the number of telegrams booked in the country during 1962-63 was 0·15. The percentage came down to 0·12 during 1963-64. The figures for 1964-65 are still being compiled.

(b) A statement showing the different steps is separately placed on the table of the Sabha. **[Placed in the Library. See No. LT-4673/65.]**

Speeches of Ministers

1054 Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken for not giving much importance to the Ministers' speeches and tours in the news bulletins and other programmes of the All-India Radio; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Information & Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) and (b). Instructions have been issued to the News Services Division of All India Radio to cover Ministers' speeches in the news bulletins and newsreels only from the point of view of their news value. They have also been advised that the viewpoint and activities of non-officials should also find due place in news bulletins and other items of broadcasts.

Exchange of News between "TASS" and "P.T.I."

1055. Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a proposal for an exchange of news between the Russian News Agency "Tass" and the Indian News Agency "P.T.I." was received from the Government of U.S.S.R. or "Tass"; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). The Press Trust of India is a private organisation not under the control of the Government. The question whether the Press Trust of India and Tass should come to an arrangement for the exchange of news should primarily be decided by themselves after mutual discussion and negotiations. The question of the reaction of Government does not therefore *prima facie* arise. Government generally welcomes contacts between Indian and foreign news agencies for the exchange of news in the interest of a wider flow of Indian news abroad and *vice versa*.

It is understood that the Tass Agency made a proposal to the PTI for a bilateral arrangement to monitor their respective services on the radio beam, but as faras we know no final decision has been taken.

Press Trust of India

1056. Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** the pleased to state the assistance given to the Press Trust of India directly or indirectly by the Central Government?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): No assistance, as such, is given to the Press Trust of India. The Press Information Bureau extends accreditation and other press facilities and the P & T Department has granted certain special communication facilities like wireless reception and teleprinter circuits to the Press Trust of India for the collection/ reception and distribution of internal and foreign news. The All India Radio and the Press Information Bureau subscribe to the news service of the Press Trust of India at prescribed rates.

The amounts due for the year 1965-66 are given below :

All India Radio	Rs. 11·34 lakhs
Press Information Bureau . . .	Rs. 12,000 (including rental of teleprinter machine)

Further, a few other Ministries like the Ministry of External Affairs also subscribe to the news service of the Press Trust of India.

A request from the Press Trust of India for the grant of a loan for the construction of a building on their plot in Parliament Street is under consideration of Government.

Atomic Power Station Under International Atomic Energy Commission

1057. Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Madhu Limaye:
Shri V. B. Gandhi:

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have received any suggestion from Britain or any other country that India should place her atomic power stations under the control of the International Atomic Energy Commission following the reports regarding Britain's offer in the case of her Bradwell Station, and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): (a) No such approach has been made by Britain or any other country to the Government of India.

(b) Does not arise.

तारापुर का अणु शक्ति केन्द्र

1058. श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय-अमरीकी फर्म कुलजियन कार्पोरेशन को, भारत के तारापुर के प्रथम अणु शक्ति केन्द्र के लिये सलाहकार नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म के साथ किये गये करार की शर्तें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) करार की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

देहरादून में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के केडिटों की दुर्घटना की जांच

1059. श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून में राष्ट्रीय छात्र सेना के केडिटों को ले जाने वाले एक सैनिक ट्रक के उलट जाने के कारण 14 केडिट जख्मी हो गये ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है;

(ग) क्या इसकी जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी हां, परन्तु गाड़ी के असैनिक चालक समेत घायल होने वालों की संख्या 29 थी।

(ख) गाड़ी को उसकी क्षमता से अधिक भर लेना, तथा चालक द्वारा गाड़ी का तेज़ चलाना।

(ग) तथा (घ) : जी हां। कोर्ट आफ इन्क्वायरी ने गाड़ी के चालक को, गाड़ी को अधिक तज़ चलाने के लिए और चार कनिष्ट आयुक्त अफसरों को गाड़ी पर व्यक्तियों को चढ़ाते समय त्रुटिपूर्ण परिवीक्षण का दोषी ठहराया है। कोर्ट आफ इन्क्वायरी की कार्यवाही पर कार्य प्रगतिशील है।

खेतिहर मजदूरों पर गोष्ठी

1060. श्री दे० जी नायक :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **श्रम** और **रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में खेतिहर मज़दूरों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो गोष्टी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

[श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) सेमिनार ने अपनी चार समितियों की रिपोर्टें और इन समितियों के अध्यक्ष की संयुक्त रिपोर्ट स्वीकार कर ली। एक विवरण, जिसमें इन रिपोर्टों की मुख्य सिफारिशें दी गई ह, सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4674/65]**

उपग्रहों के माध्यम से संचार

1061. श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने भारत सरकार को उपग्रहों के माध्यम से संचार के लिये इस देश में एक ग्राउण्ड स्टेशन स्थापित करने में सहायता देने के लिये प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई करार कर लिया गया है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Indian Mission in Mongolia

1062. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India proposes to open its Mission in Mongolia; and

(b) if so, when?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) and (b) : The question of establishing a resident mission in Ulan Bator is under consideration. The Indian Ambassador in Moscow is concurrently accredited to the Mongolian People's Republic.

Theft in Post Office in Theatre Communications Building, New Delhi

1063. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri P. L. Barupal :
Shri Mohan Swarup:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the locks of steel almirahs of the Post Office located in the Theatre Communications Building in Connaught Place, New Delhi were found broken in July last ;

(b) if so, the loss suffered due to the theft; and

(c) the number of persons arrested in this connection ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) Yes Sir. The burglary came to light on 2-8-65 when the Sub-postmaster arrived in the morning to open the post office and found the lock of the main door missing.

(b) Rs. 286·90 in cash and a few articles of stock.

(c) No arrest has been made so far. The Police investigations are in progress.

हवाई अड्डों के लिये चैकोस्लोवाकिया से सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण की खरीद

1064. श्री मोहन स्वरूप : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकारन देशमें हवाई अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चैकोस्लोवाकिया से कुछ सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण खरीदने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च होगा; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे उपकरण बनाने के लिये भारत में कारखाना स्थापित करने के निमित्त चैकोस्लोवाकिया ने सहायता देना स्वीकार किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) हवाई अड्डों को प्रकाशित करने का साजसामान के भारत में निर्माण के लिए चकोस्लोवाकिया से एक समझौता किया गया है ।

(ख) व्यय उन हवाई अड्डों की संख्या पर निर्भर है कि जिन में वह साज़सामान लगाया जाना है, और साज़सामान लगाने का काम कुछ समय में हो पाएगा ।

(ग) निर्माण वर्तमान फैक्ट्रियों में किया जाएगा । चैकोस्लोवाकिया ने भारत में इस साज़सामान के निर्माण के लिए स्थापन कार्य में सहायता देना स्वीकार किया है ।

भारतीय फिल्मों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार

1065. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने इस वर्ष भारतीय फिल्मों के लिये नौ अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन फिल्मों ने पुरस्कार जीते हैं उनके नाम आदि क्या हैं; और

(ग) देश में फिल्मों का स्तर ऊंचा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। भारत ने इस साल 9 अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं।

(ख) एक सूची सदन की मेज़ पर रखी जा रही है, जिसमें इस साल अब तक पुरस्कार पाने वाली फिल्मों के नाम दिए हैं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०–4675/65**]

(ग) फिल्मों के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने और बातों के साथ साथ नीचे लिखे कदम उठाए हैं :–

(1) सर्वोत्तम कथा चित्र, वृत चित्र, शिक्षा चित्र और बाल चित्रों को राजकीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

(2) बाल चित्र संस्था को, जो संस्था रजिस्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित है विशेषत: बच्चों के लायक फिल्में बनाने के लिए वार्षिक सहायक अनुदान दिया जाता है।

(3) अच्छी फिल्में बनाने के लिए ऋण देने के हेतु फिल्म वित्त निगम स्थापित किया गया है।

(4) फिल्म निर्माण के विभिन्न अंगों की ट्रेनिंग के लिए भारतीय फिल्म संस्थान स्थापित किया गया है।

(5) फेडरेशन आफ़ फिल्म सोसाइटीज़ और यूनिवर्सिटी फिल्म काउन्सिल को हर साल अधिक से अधिक 8 फ़िल्मों के आयात पर सीमा-शुल्क से छूट दी गई है। फेडरेशन को 1965–66 में 5,000 रुपये का सहायक अनुदान भी मंजूर किया गया है।

योल छावनी (पंजाब) में भूमि अर्जन

1066. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान योल छावनी में कृषकों से बहुत थोड़े मूल्य पर पट्ट पर भूमि ली थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब सरकार ने भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्रवाई आरम्भ कर दी है;

(ग) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या कृषकों की ओर से प्रतिकर के लिये सरकार को कोई अभ्यवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई हुई है।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) योल जिला कांगडा में 765 एकड़ भूमि 1941–42 में 2840.87 रुपये वार्षिक पुनरावृत मुआवजे पर युद्धबन्दियों के शिविर के लिए अधिग्रहण की गई थी।

(ख) तथा (ग) : भूमि फरवरी 1964 को प्राप्त कर ली गई थी।

(घ) तथा (ङ) : पुनरावृत मुआवज़े, तथा उनकी भूमि के मूल्य की अदायगी के लिए कुछ व्यक्तियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुये थे। अधिग्रहण के दिन तक, सम्बधित व्यक्तियोंको पूर्ण पुनरावृत मुआवज़ा दे दिया गया है, जब कि अधिग्रहण मूल्य, भूस्वामियों को देने के लिए, असनिक अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

स्वतन्त्रता दिवस समारोह के लिये भेजे गये निमन्त्रण पत्र

1068. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री चुनी लाल :
श्री साधू राम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1965 को लाल किले पर स्वतन्त्रता दिवस समारोह के लिये विभिन्न वर्गों के आमन्त्रित व्यक्तियों को कुल कितने निमन्त्रण पत्र भेजे गये; और

(ख) क्या सभी आमन्त्रित व्यक्तियों के बैठने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई थी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) 9519।

(ख) (1) मंत्री, योजना आयोग के सदस्य और अन्य संप्रान्त व्यक्ति . . 122
(2) संसद् सदस्य, दिल्ली नगर पालिका के सदस्य, मंत्रियों और संसद् सदस्यों के अतिथि तथा मित्र 1731
(3) राजनयज्ञ 280
(4) असैनिक तथा सैनिक अफसर 2289
(5) समाचार पत्रों तथा प्रचार संस्थाओं के प्रतिनिधि . . . 447
(6) अन्य 4650

(ग) समारोह में भाग लेने के लिये निमन्त्रित लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी।

जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

1069. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 16 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैनेवा में हाल में हुए निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने परमाणु हथियारों के परीक्षणों की निन्दा करने के लिए क्या प्रस्ताव रखे; और

(ख) उन पर सम्मेलन की सामान्य प्रतिक्रिया क्या रही ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हाल ही में, अट्ठारह राष्ट्रों की निःशस्त्रीकरण समिति की जैनेवा में जो बैठकें हुई थीं, उनमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अपना यह प्रयत्न बराबर जारी रखा कि सभी प्रकार के आणविक अस्त्रों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाए। भारत ने इस संधि को व्यापक बनाने का प्रस्ताव किया था ताकि इसके अंतर्गत भूमिगत परीक्षण भी आ सकें; भारत ने यह भी कहा कि जब तक इसे व्यापक न बना दिया जाए तब तक ऐसे सभी परीक्षण बंद रखे जाएं।

(ख) सभी आणविक अस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने के विचार को पर्याप्त समर्थन मिला है। परंतु, भूमिगत परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए परीक्षण प्रतिबंध संधि को व्यापक बनाने के विषय में पश्चिमी राष्ट्रों और सोवियत पक्ष के देशों में कुछ मतभेद थे। अट्ठारह राष्ट्रों की निःशस्त्रीकरण समिति अब भी इस सवाल पर विचार कर रही है।

रूस में भारतीय फिल्म सप्ताह

1070. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस का इस वर्ष अगस्त मास में वहां पर भारतीय फ़िल्म सप्ताह आयोजित करने का विचार था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रस्ताव को कार्य रूप दिया गया;

(ग) उसमें कौन-कौन सी भारतीय फिल्में दिखाई गई;

(घ) उन फिल्मों का चयन किस आधार पर किया गया; और

(ङ) रूस में कौनसी फिल्में सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ङ) : यह निर्णय किया गया है कि भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत 1965-66 म रूस में भारतीय फ़िल्मों का एक समारोह किया जाए। यह समारोह अक्टूबर, 1965 में करने का विचार है। रुस सरकार और भारतीय फ़िल्म उद्योग से परामर्श करके इसकी तफ़सीलें तय की जा रही हैं।

स्थगत प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTETION NOTICES

इम्फाल में खाद्य स्थिति तथा वहां पर गोली चलाया जाना

अध्यक्ष महोदय : मुझे 6 स्थगत प्रस्ताव और कुछ ध्यान दिलाने वाली सूचनायें प्राप्त हुई हैं। ये इम्फाल में खाद्य स्थिति और वहां पर गोली चलाये जाने के बारे में हैं। क्या श्री बागड़ी बता सकते हैं कि सरकार किस प्रकार अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रही है ?

Shri Bagri (Hissar) : The food situation has taken a very serious turn there. The Government shops are unable to cater to the needs of people there. People are starving. This is Centrally administered area and Central Government's representatives there have failed in performing their duty. If proper steps are not taken in time; situation may worsen all the more.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): मुझे इस में कोई भी बात तत्व वाली मालूम नहीं होती। यदि मुझसे स्थिति को स्पष्ट करने के लिये कहा जायेगा तो मैं ऐसा करने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते है सरकार असफल रही है।

श्री नन्दा : ऐसी बात नहीं है। वहां खाद्यान्नों के सप्लाई के बारे में स्थिति ठीक है। मैं तथ्य बता सकता हूं। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। मेरे पास कुछ जानकारी है। यदि पूरा ब्यौरा चाहिये तो वह कुछ समय पश्चात् दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसे कल ले लिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कल प्रातः लूंगा। माननीय गृह-कार्य मंत्री सन्त फतेहसिंह के अनशन के बारे में वक्तव्य देना चाहते थे। वह चाहते हैं कि कुछ समय और दिया जाय। उन्हे और समय देता हूं। यह कब तक हो सकेगा ?

श्री नन्दा : मैं आप को सूचित करूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4664/65**]

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 40 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 10 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2193 की एक प्रति जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में कुछ मदें जोड़ी गई हैं, सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ४६६५/६५**]

नियमों के उल्लंघन के बारे में

RE : BREACH OF RULES

सदस्यों की रिहाई के बारे में सूचना

अध्यक्ष महोदय : मुझे विशेषाधिकारों के उल्लंघन के बारे में एक सूचना मिली है। इस बारे में मैंने निर्णय किया है यह केवल नियमों का ही उल्लंघन है और विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं है। मैंने माननीय गृहकार्य मंत्री से प्रार्थना कि वह मजिस्ट्रेट से पूछें कि श्री बागड़ी और श्री किशन पटनायक की रिहाई की सूचना क्यों नहीं दी गई ? मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि नई दिल्ली के सब-डिविज़नल मेजिस्ट्रेट से दिनांक 27 अगस्त, 1965 का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ है उस में कहा गया है कि श्री बागड़ी संसद् सदस्य को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अन्तर्गत 16-8-65 को गिरफ्तार किया गया था और 21-8-65 को उन्हे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

इस में रिहाई के बारे में सूचना पहले इस लिये नहीं दी कि प्रक्रिया नियमों के साथ लगे फार्मों के बारे उन्हें कुछ ग़लतफह ी हो गई थी और अब यह सूचना भेज दी है। इस विलम्ब के लिये उन्होंने क्षमा याचना की है।

मैं इन फार्मों के बारे गलतफहमी दूर करने सम्बन्धी कार्यवाही करूंगा।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

दूसरा प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं विशषाधिकार समिति का दूसरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

काश्मीर की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : SITUATION IN KASHMIR

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : श्रीमान, 26 अगस्त को हमारी सेना की टुकडियों ने युद्धविराम रेखा पार कर ली है और उड़ी के दक्षिण युद्धविराम रेखा के मोड़ के क्षेत्र में घुस-पठियों और आक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है। इन्हीं स्थानों से वे काश्मीर में दाखिल होते थे। इन्हीं अड्डों पर पाकिस्तान की नियमित सेना उन का संरक्षण करती थी और बड़ी संख्या में वे लोग फिर घुसने वाले थे।

इस कार्य में हमारी सेना को पूरी सफलता मिली है और हम हमारी सेना ने हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया है। यह उन के मार्ग पर है। इस कार्यवाही में हम ने बिडोर तथा अन्य कई चौकियों पर भी कब्जा किया है। हाजी पीर दर्रा युद्धविराम रेखा से सीधे रूप में 5 मील दक्षिण में है, परन्तु पहाड़ी मार्ग से यह बहुत दूर है। इस कार्यवाही में हमारे हाथ बहुत से हथियार और बहुत सा लड़ाई का सामान भी लगा है। हमारी ओर हताहत होने वालों की संख्या बहुत कम है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे साथ जवानों को इन नियोजित और बहादुरी के कार्यों पर बधाई देंगे।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1965

FINANCE (No. 2) BILL, 1965

वित्त मंत्री (ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कतिपय विधियों में आगे संशोधन करने वाले, स्वेच्छा से आय प्रकट करने, भारत में आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने अथवा उसमें रुपभेद करने और कुछ ऐसी वस्तुओं पर, जिनका भारत में उत्पादन अथवा निर्माण किया जाता है, उत्पादन शुल्क बढ़ाने अथवा उस में रूप भेद करने और उत्पादन शुल्क लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्रीमान् जी, मैंने इस विधेयक पुर:स्थापित करते समय उन कारणों का उल्लेख किया था कि जिन की पूर्ति के लिये यह विधेयक लाया गया है। पिछले सत्र में हम ने बहुत सी रियायतों की घोषणा की थी। उन का उद्देश्य बचत को प्रोत्साहन देना और उद्योगों के विकास को बढ़ाना था।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

इस विधेयक के अन्तर्गत स्वेच्छा से आय प्रकट करने की एक और योजना बनायी जा रही है। इस से छिपे धन को बाहर लाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसे उद्योगों को अप्रैल 1965 से 31 मार्च 1970 तक छट 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत कर दी जाय इससे आयात कर से जो बोझ पड़ा है उसमें राहत मिलेगी। प्राथमिकता वाले उद्योगों में कोयला और लिग्नाइट भी शामिल किये जायेंगे।

नये औद्योगिक उपक्रमों को करों से और भी राहत देने का विचार है। पहले दी गई रियायतों की अवधि और बढ़ायी जायेगी। इस विधेयक में आय को स्वेच्छा से प्रकट करने के लिये जो योजना लाई जा रही है वह 31 मार्च, 1966 तक लागू रहेगी। यह 1965 के वित्त विधयक से भिन्न है।

बहुतसा बेहिसबी धन बहुत हालतों में विनियोजित कर लिया जाता है। वह शीघ्र ही मिल नहीं सकेगा। अत: यह व्यवस्था की गयी है कि गत योजना में जो छः मास की अवधि है, उसे बढ़ा कर अब की बार 4 वर्ष कर दिया जाय। इस अवधि में कर का भुगतान किस्तों में इस शर्त पर करने की सुविधा की व्यवस्था की गयी है ताकि देय कर की 10 प्रतिशत राशि मांगने के बाद 35 दिनों के भीतर दे दी जाय। और शेष राशि के भुगतान के लिए उचित प्रतिभूति दी जाय। उस आय को जिसका पता लगा लिया गया है, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत लिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत उसे नहीं लिया जायेगा।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इस से पूर्व ही ऐसे उपबन्ध विद्यमान है जिसके अन्तर्गत सरकार आय पर दोहरे कराधान से राहत दिलाने अथवा सको रोकने के लिए किसी विदेशी सरकार से करार कर सकती है। अब स्थिति यह है कि किसी कम्पनी के मुनाफेपर भी अधिभार लगता है। यह भी है कि कम्पनी (लाभ) अधिभार अधिनियम में संशोधन करने का विचार किया गया है। इसका उद्देश्य भी यही है कि सरकार अधिभार के बारे में भी इस तरह के करार कर सके। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आयात शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव राजस्व के अर्जित करने तथा प्रशुल्क ढांचे को यक्तियुक्त बनाने के लिए किये गये है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संशोधन धन कर अधिनियम तथा दानकर अधिनियम में कुछ संशोधन है।

मशीनों पर बढ़ी हुई शुल्कों के बारे में भी चर्चा है। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत आयात प्रतिस्थापन से आगामी वर्षों में अर्थव्यवस्था को काफी लाभ होगा। मैं सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारा औद्योगिक ढांचा, विशेष इंजीनियरिंग-क्षेत्र में अधिक से अधिक जटिल होता जा रहा है। अत: इस दिशा में आयात नियन्त्रण की नीति लागू की जायेगी। वैसे उसे प्राथमिकता दी जायेगी। इस चीज का ध्यान रखा जायगा कि प्रत्येक अवस्था में ऐसा कोई भी कारण नजर नहीं आता कि हम मशीनरी के निर्यात करने वाले उद्योगों के विकास सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने वाली नीति को प्रोत्साहन देने के साथ साथ किसी राजकीय नीति को भी अपनाये जाने की ओर ध्यान दे।

आज देश में स्थिति यह है कि उपकरण निर्माण करने की क्षमता शिथिल पड़ रही है। पिछले कुछ समय से अधिकतर उपकरणों का आयात ही किया जाता रहा है। सामान्यत: इसका कारण यह है कि तैयार मशीनरी पर उत्पादन शुल्क की दर कम थी। यदि उत्पादन शुल्क की दर में आम वृद्धि कर दी गयी तो मशीनरी के इस प्रकार के आयात को वैसे भी काफी हतोत्साहित होना पड जायेगा। मेरा मत यह है कि प्राशासनिक विलम्बों को दूर करने के अतिरिक्त नई शुल्क दरें लागू करना हमारे ध्येय की पूर्ति करने का अच्छा साधन है।

आम कठिनाइयों के मामले भी विचाराधीन है परन्तु उन सार्थो की कठिनाइयों के बारे में जिनका परियोजनाओं सम्बन्धी कार्य चल रहा है, वित्तीय संस्थाओं को उन पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए। उनके लिए पुरानी दरों के आधार ही उत्पादन शुल्क की वित्तीय व्यवस्थायें चल रही है। विकास छूट की वृद्धि करने से भी काफी सहायता प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। जिस प्रकार मशीनों में है उसी तरह इस्पात निर्माण में आयात स्थानापन्न का महत्व हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

कृषि को हमने सब से अधिक प्राथमिकता दी है। इसके सम्बन्ध में नई शुल्क पद्धति के ढांचे में बता दिया गया है। कई वस्तुओं को शुल्क से मुक्त किया गया है। गन्धक पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया गया था, परन्तु अब इसे इससे मुक्त कर दिया गया है। कृषि उपकरण के लिए दरें 15 प्रतिशत होगी। जबकि साधारण प्रभावी दर 35 प्रतिशत है। इसी तरह से 10 हार्स पावर अथवा इससे कम पावर के डीजिल इंजिनों के उत्पादन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा रहा।

यह भी निवेदन है कि गत फरवरी के बजट का व्यक्तिगत आय कर का ढांचा सरल करने का प्रयास किया गया था। वर्तमान आय व्ययक में आयात प्रशुल्क को सरल बनाया गया और उसका व्यवहारिक आधार निर्माण किया गया है। आगे चल कर समय समय पर इसे और अधिक सरल करने के प्रयास चलते रहेंगे। इस्पात शुल्क के दर में कुछ थोडी सी वृद्धि की गयी है। विशेष रूप से चपटी आकार की वस्तुओं पर, जिनका कि सम्भरण वैसे ही कम है। अलौह धातुओं पर विशिष्ट प्रस्तावित दर, सामान्य लागत बीमा तथा भाड़ा इत्यादि लगा कर दर का 40 प्रतिशत है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई एक कारण है जिसके फलस्वरूप में यह वर्तमान बजट सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि हममें मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था से बचना है, तो इस वर्ष हमें इसपर अधिक राजस्व की अपेक्षा है। पिछले दिनों ऐसी घटनायें भी हुई है जिसमें प्रतिरक्षा की ओर ध्यान देना भी जरूरी हो गया है। उसके लिए भी साधन तुरन्त जुटाने होंगे। हमें उस तरह के सभी साधन जुटाने है जिसकी योजना को अपेक्षा है। हमें ठीक उस प्रकार का ढांचा बनाना है जिसमें आयात के स्थानापन्न तथा निर्यात की वृद्धि को शक्तिशाली ढंग से आगे बढ़ाया जाय। इन सब कारणों को समक्ष रख कर ही मैंने ये प्रस्थापनायें सभा के समक्ष प्रस्तुत की है। सभा को इस पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रंगा (चित्तूर): मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा मत यह है कि इस अनुपूरक आय व्ययक की बिलकुल कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें जो कारण वित्त मंत्री महोदय ने बताये हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। एक कारण यह बताया गया है कि राज्यों को धन देने की आवश्यकता है। मेरे विचार में यह बात बहुत ही आपत्ति जनक है। यह बात संघीय वित्त व्यवस्था तथा राज्यों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के एक दम विपरीत है। मेरा मत यह है कि यदि संघीय सरकार ने कोई अनुदान देना ही हो, तो वह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप होना चाहिए। अथवा यह उन विशिष्ट परियोजनाओं के सम्बध में होनी चाहिए, जो राज्यों को सौंपी गयी है परन्तु उसमें केन्द्र के उत्तरदायित्व का भी अंश है। मेरे विचार में अब इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि जांच की जाये कि वित्त मंत्रालय अपने अधिकारों का प्रयोग किस ढंग से कर रहा है। मेरे मत तो यह है कि ये नवीनतम प्रस्ताव राज्य केन्द्रीय वित्त उत्तरदायित्व को बेकार करके रख दगे। निश्चित बात है कि इन अधिकारों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से किया गया है।

[श्री रंगा]

ऐसा लगता है कि वित्त मंत्रालय का नियन्त्रण बहुत ढीला हो गया है। इस नियन्त्रण के ढीले हो जाने का यह परिणाम हुआ है कि विभिन्न मंत्रालय काफी हद तक फजूल खर्ची करने लग गये हैं। मेरा मत यह है कि यदि प्रत्येक मंत्रालय में 10 से 15 प्रतिशत खर्च कम कर दिया जाय तो लगभग 200 करोड़ रुपय की अतिरिक्त बचत हो सकती है। यदि इसी तरह वित्त मंत्री यह बचत का कार्यक्रम राज्यों में भी चालू करवा सकें तो 100 करोड़ की और बचत हो सकती है। इस तरह कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपये बच सकते है। पांच वर्षों में कुल मिला कर 300 करोड़ की बचत हो सकती है। यदि वित्त मंत्री यह नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा कि वह वित्त मंत्री बनने योग्य नहीं है।

यह दावा भी निराधार है कि बजट से कीमतें नहीं बढ़ेगी। हमने पीछे देखा है कि अधिकांश मामलों में उत्पादन शुल्क तथा आयात शुल्क से मूल्यों में वृद्धि हुई है। यदि मूल्य बढ़ते रहे तो आयात का प्रतिस्थापन कैसे हो सकेगा। अतः इस स्थिति में मूल्यों का बढ़ जाना अनिवार्य है। मूल उद्योगों में, मूल उत्पादों में, और कच्चे माल पर, चाहे वह कृषि में हो या उद्योग में हो, चाहे उनका सम्बन्ध मशीनों के निर्माण से हो, उन्हें उत्पादन शुल्क अथवा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाना चाहिए। कारण यह कि उसका भार उपभोक्ताओं पर ही पड़ने की सम्भावना है। वे लोग पहले ही बहुत दबे हुए है।

इस विधान से आयात किये हुए पूंजीगत माल की लागत काफी अधिक हो जायगी। पूर्जो तथा दूसरे मशीनरी के सामान की कीमत लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। निर्मित वस्तुयें, जो कि आयात की हुई है की कीमत 40 से 50 प्रतिशत तक ऊपर जायेगी। और इसी तरह सभी तरह की देशी चीजों के दाम भी ऊपर हो जायेंगे। स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव निर्वाह व्यय पर होगा और इसमें भी 10 से लेकर 15 प्रतिशत की वृद्धि होनी जरूरी दिखाई देती है। इस तरह लागत मूल्य में नये ढंग से वृद्धि होनी आरम्भ हो जायेगी। अतः यह एक मुद्रा-स्फीति करने वाला उपबन्ध है।

अतः मेरे निवेदन है कि अपने साधनों और चौथी योजना के व्यय में सन्तुलन पैदा करने के बारे में एक मार्ग रह जायेगा। या तो योजना को छोटा किया जाय अथवा इसकी अवधि को बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया जाय। साथ साथ व्यय में भी काफी कमी की जानी चाहिए। सरकारी क्षेत्र में जो परियोजनायें चल रही है उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। इन परियोजनाओं में सरकार को सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार से धन विनियोजन के मामले में अधिक अधिक चुनौती दी जाती है, जिस तरह से वह पहले विनियोजन करती रही है। निर्यातों को बढ़ाने की बजाए, मेरा कहना यह है कि मंत्री महोदय के कहने के अनुसार उच्चतर उत्पादन लागत के कारण इस उपबन्ध का प्रभाव बिलकुल विपरित पडेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल को हटा देना चाहिए। वित्त मंत्री का रिकार्ड बड़ा ही शोचनीय है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की यह भारी भूल थी कि वह इन्हें वापिस ले आये। उन्हें अब लम्बी छुट्टी जाना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिए।

श्री यशपाल सिंह : मुझे अपना संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री यशपाल सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दाजी (इन्दौर) : माननीय वित्त मंत्री ने आठ महीनों में तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। स्पष्ट है कि उन्हें आठ महीनों में तीन बार अपनी नीतियों को बदलना पड़ा। वित्त के मामले में

बहुत भ्रांतिपूर्ण ढंग से काम लिया जा रहा है। तर्क यह दिया गया है कि कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरे यह कि वित्त मंत्री घाटे की अर्थव्यवस्था से बचना चाहते है। तीसरा यह कि चौथी योजना के लिए साधन तलाश करने है इत्यादि। इनमें से किसी में भी कोई सार नहीं है।

मेरा कहना यह है कि इससे रोग का उपचार करने के बजाय उसे बढ़ा दिया जायगा। उन्हें इन नीतियों के फलस्वरूप कीमतें के बढ़ जाने की चेतावनी जरूर कर दी गयी थी। परन्तु वह अपनी नीतियों पर चलत रहें। प्रत्येक बार कीमतें नये शिखरों तक जाते रहे। उन्हें रोकने का एक बार भी प्रभावशाली ढंग से प्रयास नहीं किया गया। अब वह अपने को निर्दोष रूप में सामने लाकर कहते है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वह कहते है कि मुझे 10 करोड़ महंगाई भत्ते का देना पड़ा है। परन्तु यह सारा उनकी अपनी ही गलत नीति का परिणाम है।

सरकार की सारी वित्तीय नीतियां दिवालेपन की नीतियां है। इस समय देश जिस घृणित चक्कर में फंसा है, उसे भंग करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा। इस समय हमें उतने ही खतरनाक आर्थिक संकट का सामना है जितना कि बाहर से आक्रमण का। आश्चर्य यह है कि इन परिस्थितियों में भी नीति वही चल रही है जिनसे मूल्यों के कम होने के स्थान पर बढ़ने की ही सम्भावना है।

प्रश्न यह है कि इन कराधान सम्बन्धी प्रस्तावों का प्रभाव किन पर पडेगा? यह सारा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा क्योंकि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे। 21 अगस्त को बम्बई में भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि उन वस्तुओं पर जिन का आयात किया जाता हैं $2\frac{1}{2}$ गुना मुनाफा कमाया जाता है और कि इस को रोकने में हम असमर्थ हैं। उन्होनें यह भी कहा था कि जबतक सरकार वितरण करने वाली एजेंसी तथा थोक व्यापार पर नियंत्रण नहीं करती तबतक हमें सफलता प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। अतः यह उनका विचार है कि इस से मूल्य बढ़ने की बजाय घटेंगे। जबकि उन्होंने यह स्वयं स्वीकार किया है कि मूल्यों को उस समय भी बढ़ा दिया जाता है जब कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाता है। अतः कराधान के इन नये प्रस्तावों से मूल्य अवश्य बढ़ेंगे। जहां मिट्टी के तेल के मूल्य चढ़ेंगे वहां यातायात भाड़ा बढ़ जायगा तथा निर्माण सामग्री, बल्ब और विद्युत-उपकरणों के मल्य में वृद्धि हो जायेगी। इससे मुनाफे में तो क्या कमी होगी परन्तु इसके विपरित उपभोक्ताओं पर बोझ और भी बढ़ जायगा। अतः मेरे विचार में वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियों पर मूल रूप से विचार किया जाना चाहिये तथा इनमें आमल परिवर्तन किये जाने चाहिये, जिससे इतने भारी मुनाफों में कमी हो तथा उपभोक्ताओं पर कराधान का बोझ कम हो।

चौथी योजना के लिये संसाधनों को जुटानें के लिये क्या उपाय किये जायेंगे। वित्त मंत्री कहते हैं घाटे की वित्त-व्यवस्था नहीं की जायेगी परन्तु एक लक्ष्य को प्राप्त करने के दोही तरीके हैं। एक यह है कि अधिक मुद्रा का परिचालन किया जाये तथा दूसरा यह है कि रूपये के वास्तविक मूल्य को कम कर दिया जाये। इन दोनों तरीकों से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। हालांकि वित्त मंत्री ने इस बात से इन्कार किया है कि रूपये का अवमूल्यन नहीं किया जायेगा। परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्होंने 176 करोड़ रुपयेके कर लगाकर रूपये का मूल्य कम कर दिया है। स्पष्ट है कि चौथी योजना के लिये संसाधन भी इसी प्रकार ही जुटाये जायेंगे। सरकार की इस विचारधारा से दिवालीयापन ही मालूम होता है। वित्त मंत्री द्वारा रखे गये प्रस्तावों से उन्हीं लोगों को लाभ होगा जो बड़े बड़े व्यापारी तथा उद्योगपति हैं और जिन्होंने एकाधिकार स्थापित कर रखे हैं। यह जो कुछ किया जा रहा है यह उन लोंगों के दबाव से किया जा रहा है क्योंकि उनका कहना है कि उत्पादन में वृद्धि तभी हो सकती है जब ऐसा करने से अच्छा लाभ हो। अतः वित्त मंत्री ने उन्हे और रियायतें देने की ठानी है। एक ओर तो सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक एकाधिकार आयोग की स्थापना की है कि बढ़ती हुई असमानता को कैसे दूर किया जाये और दूसरी ओर उन्हीं लोगों को और रियायतें दी जा रहीं हैं जिन्होंने एकाधिकार स्थापित कर रखे हैं। क्या यह दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं? क्या समाजवाद आने का यही रास्ता है? क्या सरकार इसी तरीके से उन पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाना चाहती है जो 27 पसे प्रतिदिन कमाते हैं? उद्योगपतियों को उत्तरोत्तर अधिक रियायतें देने से कोई लाभ नहीं होगा। जबतक समाजवादी ढंग पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक कोई लाभ नहीं होगा और हमारी आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर

[श्री दाजी]

खराब होती जायेगी। यह कहा जा रहा है कि तीसरी योजना की तुलना में चौथी योजना की लागत दुगनी है परन्तु वह यह भूल जाते हैं कि इस बीच में मूल्यों में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा चौथी योजना के पूरा होने तक मूल्य 35 प्रतिशत और बढ़ जायेंगे और इस प्रकार तीसरी योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय में केवल 30 प्रतिशत वृद्धि के लिये यह आयोजन किया जा रहा है।

काले धन के प्रश्न पर पंजीपतियों को प्रलोभन दिये जा रहे हैं। क्या साधारण लोगों को भी ऐसे प्रलोभन दिये जाते हैं। जब लोगों को खाने के लिये नहीं मिलता है तो वह यदि आन्दोलन करते हैं तो उनके विरूद्ध तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिये सरकार तैयार रहती है परन्तु इन पूंजीपतियों से काला धन निकालने के लिये उन के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने की बजाय उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिये जा रहे हैं। इन से कोई लाभ नहीं होते जा रहा है। पिछली बार केवल 40 से 50 करोड रूपये के काले धन की घोषणा की गई हालाकि अनुमान है कि 1500 अथवा 2,000 करोड़ रूपयेका काला धन है। इसको निकालने के लिये कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। बर्ड एण्ड कम्पनी के मामले में केवल एक करोड़ रूपये का जुर्माना किया गया है जोकि काफी नहीं है। ऐसे मामलों में तो लो ों को जेल भजा जाना चाहिये। परन्तु यहां तो जो न्यूनतम जुर्माना किया भी जा सकता है वह भी नही किया जाता है। सरकार द्वारा बरती जाने वाली नर्मी से उत्साहित होकर बड़े बड़े व्यापारी कम बीजक मनाकर पता नहीं कितने रुपयों का कर-अपवंचन करते हैं। ऐसे लोगों के विरूद्ध बहुत ही कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

मुझे यह बताया गया है कि निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक के लेखे में कुछ गड़बड़ है। एक बार यह कहा गया था कि 10 करोड़ से 100 करोड़ रूपये की राशि बिना हिसाब की है। अब हमें बताया गया है कि यह राशि लगभग 70 करोड़ रूपये की है। चाहे यह 70 करोड़ रूपये की है अथवा 90 करोड़ रूपये की, यह बहुत बड़ी राशि है जोकि कम बीजक बनाने तथा अधिक बीजक बनाने की कुचालों के कारण बिना हिसाब की है। इस मामले पर एक उच्च शक्ति प्राप्त जांच समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिये।

छोटे कर्मचारियों को कुछ देने के लिये तो जब कहा जाता है कि तो सरकार कहती है कि इस आपत काल में अतिरिक्त समय भत्ते के लिये नहीं कहा जाना चाहिये। इस प्रकार की दलील दी जाती है और दूसरी ओर सरकार ने संयुक्त सचिवों तथा सचिवों के वेतन क्रमशः 250 रूपये तथा 500 रूपये बढ़ा दिये हैं। पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। प्रशासनिक ढ़ांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। जब तक प्रशासनिक ढ़ांचे को पूर्णतया नहीं बदला जायेगा तब तक हम उन्नति के मार्ग पर अग्रेसर नहीं हो सकेंगे।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित उपचार से रोग उत्तरोत्तर बढ़ता जायेगा और यदि सरकार यही नीति अपनाती रहेगी तो इससे हमारी सारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जायेगी। यह नीति समाजवाद-विरोधी है तथा इससे हम वह लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिसकी सरकार समय समय पर घोषणा करती रही है। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर विचार करे कि सरकार की आर्थिक नीतियों में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये उपभोक्ता, उद्योगों तथा बैंकिंग और ऐसी अन्य संस्थाओं का राष्ट्रीयीकरण कर लेना चाहिये जो कि राष्ट्रीय हित में अपेक्षित है तथा जिनसे अच्छा लाभ हो सकता है, जिससे ऐसे उद्योगों तथा उद्यमों पर नियंत्रण करके आयव्ययक में घाटे को पूरा किया जा सके।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, कितनी दुख की बात है कि उपभोक्ताओं के लाइसेंसों का उपयोग करके आयात की गई वस्तुओं पर काले बाज़ार में 30 से 65 प्रतिशत मुनाफा कमाया जा रहा है। यह मुनाफा उन अपात्र लोगों की जेबों में जा रहा है जो उन वस्तुओं का उपयोग उत्पादक प्रयोजन के लिये नहीं करते हैं। इस मुनाफे का उत्पादन कार्यक्रम तथा उत्पादन लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा इससे केवल व्यापारी ही समृद्ध बनते जा रहे है। 1963–64 में इन

अपात्र लोगों ने लगभग 460 करोड़ रूपये का मुनाफा कमाया था। यह मुनाफा उन लोगों की जेबों में गया है जिन्होंने उन वस्तुओं का उपयोग उत्पादक प्रयोजनों के लिये नहीं किया है, अतः श्री दाजी तथा श्री रंगा द्वारा दिये गये तर्क कि इन मदों से भाव चढ़ जायेंगे, किसी भी तरह से सही नहीं हैं। हमारे समक्ष रखे गये अनुपूरक आयव्ययक में उत्पादन शुल्क तथा आयात शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन प्रस्तावों से उत्पादन लागत तो नहीं बढ़ जायेगी। इस मामले में यह व्यापक परिणाम नहीं निकाला जा सकता है कि आयात शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा अप्रत्यक्ष कर हर हालत में खराब होते हैं। हमें देखना तो यह है कि उत्पादन शुल्कों से उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि होती है जिससे उपभोक्ता तथा मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा। मुद्रास्फीति केवल उत्पादन लागत के बढ़ने से ही नहीं होती अपितु इसका कारण किसी विशेष वस्तु की अधिक मांग भी होता है जिसको कम नहीं किया जा सकता चाहे उस वस्तु पर कितना कर ही क्यों न लगा दिया जाये। आयात की गई वस्तुओं का मूल्य अधिकांशतः अधिक वस्तुओं की अधिक मांग के कारण बढ़ जाता है। जहां तक उत्पादन लागत में वृद्धि का सम्बन्ध है मैं श्री दाजी से पूर्णतया सहमत हूं कि इसको युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिये।

एक बार मंत्री महोदय ने बताया था कि वह विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन-लागत की जांच करने के लिये गम्भीरता से विचार कर रहे हैं परन्तु खेद है कि इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कई गैर-सरकारी अभिकरण विभिन्न प्रमुख उत्पादी वस्तुओं की लागत के सम्बन्ध में जांच करते रहे हैं तथा वह इन आंकड़ों को समय समय पर प्रकाशित करते रहे हैं। हमें या तो इन पर विश्वास करना चाहिये अथवा हमें उनकी इस बात को गलत सिद्ध करने के लिये विश्वसनीय आंकड़े तैयार करने चाहिये कि उपयोगी वस्तुओं पर अत्याधिक उत्पादन-शुल्क लगाने के फलस्वरूप उपभोक्ता बुरी तरह से पिस रहे हैं। उदाहरणार्थ कार उद्योग को ही लिया जाये। इस सम्बन्ध में काफी मतभेद है। निर्माता कहते हैं कि लागत बहुत अधिक है परन्तु सरकार कहती है कि यह बनावटी है। चाहे कुछ भी हो वास्तविकता यह है कि लोगों को उच्च मूल्य देने पड़ते हैं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः चौथी योजना को आरम्भ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में अध्ययन किया जाना चाहिये और पता लगाया जाना चाहिये कि अप्रत्यक्ष करों का उत्पादन-लागत पर कितना प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा दिये गये तर्क काफी हद तक सही प्रतीत होते हैं अतः इस सम्बन्ध में अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिये।

यदि वित्त मंत्री यह समझते हैं कि इन उच्च आयात शुल्कों के लगाने से वस्तुओं की मांग कम हो जायेगी और इसके फलस्वरूप मूल्य कम हो जायेंगे तो मुझे इन प्रस्तावों पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इन आयात शुल्कों के लगाने से भाव और चढ़ जायेंगे क्योंकि इन वस्तुओं की मांग बहुत अधिक है। जब तक इस मांग को नहीं घटाया जायेगा तब तक मूल्यों के कम होने की बात तो एक ओर रही इसके विपरीत इन में वृद्धि होगी और यह सारा बोझ उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इनका निर्यात उद्योग पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि निर्यात योग्य पदार्थों के लिये जो कच्चा माल बाहर से मंगाया जायेगा उनकी लागत बढ़ जायेगी। अतः इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिये।

हम देखते है कि 1956-57 से लेकर 1963-64 में राजस्व में जो 8,000 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है यह सारी राशि राज्यों में व्यय की गई है और चूंकि राज्यों में इस अनुपात से उत्पादन तथा इसके फलस्वरूप इतना लाभ नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिये था। अतः इन संसाधनों से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया है। कोई ऐसा उपाय किया जाना चाहिये जिससे फालतू राजस्व का कुछ हिस्सा आवर्ती खर्च की बजाये पूंजीगत व्यय तथा उत्पादी कार्यक्रमों के लिये अलग रखा जा सके। यदि हम ने 8000 करोड़ रूपये के राजस्व में से 2,000 अथवा 3,000 करोड़ रूपये ही विकास कार्यक्रमों के लिये अलग से रख लिये होते तो हम बचत में 25 से 50 प्रतिशत वृद्धि कर सकते थे। यदि उत्पादन शुल्क में से नहीं तो आयात शुल्क में से तो इसका कुछ हिस्सा विकास कार्यक्रमों के लिये अलग से रखा जा सकता है और इस प्रकार संसाधनों को और बढ़ाया जा सकता है।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

यह एक खेदजनक बात है कि देश में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि जब भी किसी समस्या को सुलझाने के लिये धन की आवश्यकता पड़ती है तो इसको जुटाने के लिये वित्त मंत्री से कहा जाता है। चौथी योजना के लिये सभी राज्यों ने अधिक राशि की मांग की है क्योंकि उनके अनुसार वह इस स्थिति में नहीं हैं कि इसके लिये संसाधन जुटा सकें। प्रत्येक राज्य ने केन्द्र से धन लेने के लिये बढ़ चढ़ कर मांग की है। हम भी यहां संसद में राज्यों का समर्थन करते हैं चाहें उनकी मांग उचित हो अथवा नहीं। राज्यों की मांगों को पूरा करने के लिये वित्त मंत्री कर लगाते हैं तो हम उन पर तरह तरह के दोष लगाते हैं और हम कहते हैं कि उन्होंने मुद्रास्फीति तथा निर्धन लोगों की मुसीबतों में वृद्धि की है। यहां तक कहा जाता है कि ऐसे वित्त मंत्री को हटा दिया जाना चाहिये जैसे कि कोई अन्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से हमारी सभी समस्याओं को सुलझा सकेंगे। अखिरकार संसाधनों में वृद्धि करों को बढ़ाकर, अधिक बचत करके तथा कई अन्य चीज़ों द्वारा ही की जा सकती हैं।

एक माननीय सदस्य : संसाधनों में वृद्धि व्यय कम कर के भी की जा सकती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी हां, ऐसा व्यय को कम कर के भी किया जा सकता है। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसा करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यदि भारत सरकार का खर्च घटाकर आधा भी कर दि‍ जाये तब भी यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी नहीं होगा। जब मैं यह कहती हूं तो मेरा संकेत सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों की ओर नहीं है जो हमेशा कम मुनाफे पर आधारित उद्योग होते हैं। संसार के अन्य देशों में कोयला, इस्पात, यातायात आदि उद्योगों को कम मुनाफे पर आधारित उद्योग कहा जाता है। क्योंकि यह उद्योग लोकोपयोगी उद्योग हैं। अन्य देशों में भी ऐसे उद्योगों से कोई मुनाफा नहीं कमाया जाता है। अत: यदि भारत में भी सरकारी क्षेत्र में इन उद्योगों से कम मुनाफा हो रहा है तो इस में हैरान होने की कोई बात नहीं है। यह लोकोपयोगी उद्योग हैं और हमें इनको बनाए रखना है चाहे इन से मुनाफा हो अथवा नहीं। परन्तु ऐसा कहने से मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि जहां कहीं अपुटता है उसे दूर नहीं किया जाना चाहिये। अदक्षता को दूर करने के लिये तो हर सम्भव कार्यवाही की जानी चाहिये।

मेरा छोटी बचत से गहरा संबंध रहा है। छोटी बचत प्रमाणपत्र खरीदने में लोगों की पहले ही बहुत कम रुचि है क्योंकि यहां पर ब्याज की दर बहुत ही कम है। इसी बात को ध्यान में रख कर 30,000 अथवा 35,000 रुपये तक की बचतों पर प्राप्त होने ब्याज पर कोई कर न लगाने की व्यवस्था की गई थी। परन्तु पिछले बजट में ऐसे ब्याज पर आय कर लगाया गया है। अब यह संशोधन लाया गया है कि ऐसी आय पर कर में कुछ राहत दी जायेगी। इससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिये मरा निवेदन है कि पुरानी व्यवस्था बनी रहनी चाहिये और लोगों को छोटी बचत प्रमाण-पत्र खरिदने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये।

Shri Rameshwar Tantia (Sikar): The Minister of Finance presents his budget every year at the end of February and the traders and industrialists make their programme for the next year accordingly, but one does not know why has he presented his third budget this year. It is not proper to levy additional taxes since they produce a bad effect on the industries. On the one hand you are increasing taxes and on the other the earning capacity of the factories is dwindling. The mills have closed down there. The industries are not getting capital from the market.

The claim of the Finance Ministry that more taxation will reduce inflation and check the rise of prices has been belied . The prices continue to rise. The position in Bengal and Bihar is very serious. Rice and pulses are being sold at

Rupees 1·50 per kilogram. The public is groaning under heavy taxation, which is the cause of increase in prices. The Government should consult advisory and other committees and trade Unions and other institutions. The officers of the Ministry do not find the necessity of consulting others.

The Voluntary Disclosure scheme has been put forward thrice. When the scheme was presented six months ago why sufficient time was not given. The Government should know that such alterations cause harassment to the public.

I would like to say that the incidence of these taxes will be on poor consumers. The taxes are not imposed to increase production. Public sector industries are not functioning properly. As yet they are not earning any profit. It is not proper to post I.C.S. officers as head of the management of factories.

Our economic condition is worse today. Small factories are not getting capital. The Government aid is taken by the big factory owners who employ retired officers for this purpose. The way to increase production is not to impose taxes. There is a limit to bear a burden of taxation.

Shri Bade (Khargone) : It appears, there is no stability in the mind of the Minister of Finance. As Shri Daji said just now, he has changed his policies eight or nine times in a year and he continues to enhance the taxes. These taxes have created an atmosphere of unrest in the country.

The Minister has said that with the increase in taxes, prices will not increase. It is feared that either small industries will perish as a result of increase in taxes or the incidence of taxation will shift to the people. The increase in duty on petrol has resulted in the increase in passenger and goods transport fares.

The Minister has said that he wants the industries to develop and flourish, but such taxes are affecting adversely the small scale industries. As a result of increase in prices of copper the business of utensil manufacturers is coming to an end.

One of the reasons for additional taxation is to meet increasing demand of the States. When Shri Morarji Desai was the Minister of Finance, then it was said that the States should not over draw, but the evil of over draft continues. We should effect economy. There is enough scope for effecting economy.

Another reason of additional taxation given by the Minister is the increase in dearness allowance of Government servants to the tune of Rupees 25 crores consequent upon the increase in dearness. Frequent increase in allowances is not proper since the value of Rupee is lowered thereby. It creates a vicious circle as businessmen increase their prices.

A third reason given by the Minister is that in view of renewed hostilities at a number of points on our borders increase in taxes has become essential. So far as defence expenditure is concerned, there can be no objection to it but it is wrong to say that renewed hostilities had necessitated increase in taxation. You have not been able to prepare correct estimates.

So long as there is corruption, attempts to unearth black money will bear no fruit. People are reluctant to disclose their income because licences and permits could not be obtained without bribe and this expenditure cannot be shown in books of account.

[Shri Bade]

I feel that the planning is defective. The Government should make changes in the Plan. Emphasis should be laid on small industries in order to reduce the cost of production. If the cost of production is not brought down, dearness cannot be checked.

As regards the exclusion of a wholly or substantially wholly religious purpose from the scope of charitable purposes, the Government should see that there are temples, mosques and Gurdwaras which are run as charitable institutions but educational institutions are also attached to them. The educational institutions attached to temples, mosques and Gurdwaras should also get the exemption.

Shri Shiv Charan Gupta (Delhi Saddar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I do not think there is anything bad in presenting the additional budget. Rather, I think, the Government has taken the country into confidence in regard to the latest development in our economic situation.

Hon. Members have forgotten to suggest the ways to improve the food situation. The problem of food production has to be solved. The Minister has taken steps at proper time.

It has been said here that the problem of dearness is becoming acute. The Minister of Finance has also said so. It is strange that, in spite of increase in production prices go on rising. Measures should be adopted to prevent the increase in prices.

Our exports during 1964-65 remained on the level of 1963-64. I would like to have the reason why our export is not increasing. Our exports during April-June this year have declined by about Rupees eleven crores. I would request that this matter should be looked into and enqire the reasons thereof.

In regard to fourth Plan, the Finance Minister has stated that additional taxes worth Rupees 3,000 crores would be realised. The new taxes will give about Rupees 835 crores during a period of five years. I would like to know whether the amount of Rupees three thousand crores included these Rupees 835 crores or not.

I would not say much regarding the imposition of taxes to meet the needs of border security but I would definitely say that we have learnt no lesson from the Chinese attack. Nothing has been done to tone up our intelligence service. It should have been reorganised properly. There is an impression in the country that so far our intelligence service is concerned, it is not up to the mark.

We are prepared for any sacrifice for the defence of the country. There is no such person in the country who would not give as much money as possible for the defence of the country.

The people of Kashmir have presented an example before the country by fighting against the raiders. We should not say that our forces are crossing the cease fire line because the territory of Azad Kashmir is a part of India and, therefore, our forces have gone into our own territory.

Although a department has been set-up with regard to civil defence but so far as the question of actual performance is concerned, we have not made satisfactory progress. The question of civil defence is very important in present circumstances. The question of unity of the country is the foremost question. All other questions are secondary. These matters should not be made complicated by agitations.

श्री अल्वारेस (पंजिम): वित्त मंत्री के वक्तव्य से तथा आर्थिक प्रतिवेदन से ऐसा सुझाव मिलता है कि योजना के आकार की तुलना में उत्पादिकता अधिक महत्वपूर्ण है। जो उन्होंने कहा है उस से यह सन्देह उत्पन्न हो गया है कि सरकार योजना के आकार को कम करने के लिये वातावरण तैयार कर रही है। मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह देश ऐसा कोई सुझाव स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि इस का अर्थ विकास कार्य में कमी से पैदा हुई निराशा होगा। लोग विश्वास करते है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर योजना का इतना आकार होगा जिस से उन्हें जीवन का उच्च स्तर स्थापित करने की आशा होगी। यदि माननीय मंत्री योजना का आकार कम करने के लिये कोई बहाना सोच रहे हैं तो मैं उन्हें बतादूं कि न तो यह सभा और न ही यह देश ऐसा सहन करेगा। निस्संदेह संसाधनों के संग्रह का निगमित क्षेत्र पर काफी भार पड़ता है परन्तु लोगों पर पड़ने वाले भार की तुलना में यह कुछ भी नहीं है।

इसलिए, इन रियायतों को देने में क्या तर्क है। प्रत्येक आयव्ययक में यह बताया जाना चाहिये कि किसी विशेष क्षेत्र के लक्ष्यों के सम्बन्ध में सफलतायें क्या होंगी। पिछले दो आयव्ययकों में वित्त मंत्री ने निगमित तथा व्यापारी क्षेत्र को कई वास्तविक रियायतों दी हैं ।

गत वर्ष आय व्ययक प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री महोदय ने तांबे पर शुल्क लगाया था। उनका कहना था शुल्क से सरकार को आय होने के साथ व्यापारियों का मुनाफा भी कम होगा। किन्तु इसमें सफलता नहीं मिली। व्यापारियों ने बढ़ाये गये शुल्क को तांबे के मूल्य में शामिल कर लिया जिसका भार उपभोक्ताओं को उठाना पड़ा। कुछ प्रस्तावों में वित्त मंत्री महोदय ने कुछ उद्योगों के विकास पर अधिक जोर देने की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हो सकता है सरकार को इससे कुछ राजस्व की प्राप्ति हो किन्तु इस विकास का होने वाले खर्च का भार उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ेगा। गत दस वर्ष में प्रत्यक्ष 242 करोड़ से बढ़कर 693 करोड़ रुपये हुए है और जब कि अप्रत्यक्ष करों को इसी दस वर्ष की अवधि में 431 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1,632 करोड़ रुपये किया गया है। इन आँकड़ों से स्पष्ट हो जाता है अप्रत्यक्ष करों का यह भार उपभोक्ताओं को उठाना पड़ा है।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की रिपोर्टों को देखने से पता लगता है कि अधिक कर लगाने से सरकार द्वारा कम्पनियों को कई रियायतें दिये जाने के बावजूद भी विनियोजित की जाने वाले लाभ के प्रतिशत में कमी हुई हैं।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज बाजार में एकाधिपत्य की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जो समाजवादी समाज के मूल सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। यह संतोष की बात है एकाधिकारवादी तत्वों को रोकने के लिये सरकार ने खाद्य निगम और कृषि मूल्य आयोग स्थापित किये है। मुझे पूर्ण आशा है कि यदि ये दोनों संस्थायें कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इन संस्थाओं को खाद्यान्नों का समाहार करने तथा उनके मूल्य निर्धारित करने का एकाधिकार दिया जाना चाहिये। जिस से मूल्य अन्धाधून्ध रूप से न बढ़ें और चोरबाजारी न हो।

यह खेद की बात है छोटे उद्योगों की उपेक्षा करके बड़े उद्योगों को ही सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते है। छोटे उद्योगों को सदैव कच्चे मालकी कमी, विदेशी मुद्रा की कमी, आदि का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

यह ठीक है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आशाजनक कार्य नहीं कर पाये हैं अत: उनकी आलोचना किया जाना स्वाभाविक है। किन्तु उनका हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य औद्योगिक रूप से उन्नत देशों की तुलना में हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में कम उद्योग हैं। मैं समझता हूं कि सरकार क्षेत्र के उद्योगों को गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा के आधार पर उत्पादन कार्य करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं मिल सकें।

यह सराहनीय बात है कि सरकार ने घाटे की अर्थ व्यवस्था न अपनाने का निश्चय किया है। इसके साथ साथ सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार अपने व्यय में भी कमी करे। आज भुगतान संतुलन की समस्या सभी देशों के सामने है। अमरीका द्वारा भारत पर्यटन व्यय का कुछ भाग पी० एल०

[श्री अल्वारेस]

480 निधि में से पूरा करने का सुझाव देना इस बात का सूचक है कि उसके सामने भी यह समस्या विद्यमान है। सरकार को इसके लिये उन वस्तुओं का निर्यात नहीं करना चाहिए जिसे देश की अर्थ व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाये। आंशिक रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक और एशियाई देशों के एशियाई विकास बैंक इस समस्या को हल करने में सहायक हो सकते हैं। किन्तु इन से पूरी समस्या का हल नहीं होता। अत: वित्त मंत्री अगले सप्ताह जब अमरीका जायेंगे तो उन्हें इस सम्बन्ध में अमरीकी अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए।

कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि वित्त मंत्री महोदय व्यापारी वर्ग को निरंतर रियायतें देते जा रहे हैं। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया जा रहा है। व्यापार संघ से इस बात का संकेत मिला है कि भविष्य में कांग्रेस को चन्दा संस्था के आधार पर नहीं दिया जायेगा। चुनाव लड़ने के लिये चन्दा केवल उन व्यक्तियों को दिया जायेगा जो संसद में व्यापारियों का समर्थन करेंगे। वित्त मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

हम समाजवादी समाज की स्थापना के सिद्धान्त को मान चुके हैं। अत: हमें अपनी आर्थिक नीति भी इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रख कर निर्धारित करनी है। इसके लिये हमें अपनी वित्त नीति में बुनियादी सुधार करने होंगे। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं अत: मेरा उनसे अनुरोध है कि इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये वह अपने अधिकारों का प्रयोग करें।

श्री हेडा (निजामाबाद) : आज देश में कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत आय व्ययक में कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। यद्यपि उन्होंने कहा है कि इन प्रस्तावों से मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी किन्तु यह स्वाभाविक है कर लगाये जाने से मूल्य अवश्य बढ़ते हैं। यह सराहनीय बात है कि वित्त मंत्री महोदय का कहना है कि हमें अपने साधनों के अन्तर्गत ही कार्य करना चाहिये। इसके लिये हमारे सामने दो मार्ग है, घाटे की अर्थव्यवस्था अथवा करापरोपण। मंत्री महोदय ने करों का मार्ग अपनाया है। यह किसी हद तक ठीक है।

यह सराहनीय बात है कि देश में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से संरक्षण प्रशुल्क की व्यवस्था की गई है। इससे देश के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। और हमें अपनी आवश्यकताओं के लिये दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

वित्त मंत्री ने छिपे धन के बारे में स्वयं घोषणा करने की व्यवस्था की है, आरंभ में यह उपाय के जितना सफल होने की आशा थी वह पूरी नहीं हुई। इसमें अनेक कमियां हैं और जब तक वे दूर नहीं की जायेंगी इस दिशा में सफलता की आशा करना व्यर्थ है।

काला बाजार की समस्या बहुत साल नहीं है, हमें इसके लिए कुछ पग उठाने होंगे। कई उद्योग-पति अपना काला धन छिपाने के लिये कृषि क्षेत्र में घुस रहे हैं। इस लिए कि कृषि पर कोई कर नहीं लगता। हमारे रुपये की कीमत विदेशों में कम हो रही है। हमें भारतीय रुपय की प्रतिष्ठा को कायम रखना है। परन्तु वित्त मंत्री बाजार में प्रचलित हालात का ध्यान नहीं कर रहे। अब समय है कि हम उन हालात का सविस्तार अध्ययन करें।

अन्तिम बात आयात के स्थान पर कुछ करना है। इसके लिए बजट में काफी प्रोत्साहन दिया गया है। परन्तु बड़े बड़ व्यापारी इसके विरुद्ध है। वे लोग छोटे छोटे उद्योगों को समाप्त करके अपने एका-धिकार स्थापित करना चाहते हैं। वैसे छोटे उद्योगपति वित्त मंत्री की प्रस्थापनाओं के पक्ष में हैं। मध्यम और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सरकार को इन लोगों को कच्चा माल देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन लोगों को लाइसेंन्स दिये जाने चाहिए। इन लोगों को अपने उपक्रमों में कोई लाभ नहीं हो रहा। यह स्थिति ठीक नहीं, इसका कोई उपचार किया जाना चाहिए। इन शब्दों से मैं बजट प्रस्थापनाओं का स्वागत करता हूं।

श्री काशी राम गुप्ता (अल्वर) : जिस आश्चर्यजनक ढंग से वित्त मंत्री ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये यह एक ऐसी बात है जिसका उदाहरण तो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। उन्होंने एसा किया है, जैसे कि कोई शिकारी शिकार पर झपटता है। वित्त मंत्री से ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी।

सब से पूर्व मैं प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी प्रस्तावों के सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। मेरे विचार में कर बिना किसी वैज्ञानिक ढंग के लगाये जा रहे हैं। इस बारे में ठीक प्रकार से अनुसंधान भी नहीं किया जा रहा। प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा उसका अनुसंधान विभाग बहुत ही आपत्ति जनक ढंग से कार्य कर रहा है। जब वित्त मंत्री महोदय ने बजट के घाटे को पूरा करने की बात कही। तो प्रश्न हुआ कि काला धन निकाला जाय। काला धन निकालने के लिए यह तरीका अपनाया कि जिलों के कोटे निर्धारित कर दिये गये। जिला आय कर अधिकारियों को पूरा अधिकार था कि व जैसे समझे इस कोटे को पूरा करे। यदि उन्होंने ऐसा न किया तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि कई एक निर्दोष छोटे लोगों को भी कष्ट सहन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त यह भी खद जनक बात है कि राजस्थान में खनन उद्योग के बारे में प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नोटिस में लाये गये मामलों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। यह बहुत ही दुःख की बात है। अनुसन्धान निदेशालय भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिससे मामलों को निपटाया जाना सरल हो जाय।

इस सन्दर्भ में आय की सब से बड़ी मद मशीनरी ही हो सकती है। जिन लोगों के पास मशीनरी पहिले ही है उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक लाभ हो सकता है। यह भी है कि तांबे पर शुल्क बढ़ा दिया है। यह भी वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि 10 हार्स पावर के इंजिनों तथा 5 हार्स पावर के इंजनों के लिए वित्तीय सहायता दी जायगी। 5 से 10 हार्स पावर वाली विद्युत की मोटरों पर अधिक कर लगाया जायेगा। यह परस्पर विरोधी बात है। मेरा विचार है कि इस दिशा में जब तक नीति तथा अन्य मामलों में श्रम, वित्त, उद्योग और खनन विभागों के बीच समन्वय नहीं होगा, तब तक स्थिति में सुधार होना सम्भव नहीं। मेरा निवेदन है कि जब भी कोई नया कर लगाया जाय वित्त मंत्री को सम्बन्धित विभागों से परामर्श कर लेना चाहिए। जिन क्षेत्रों में मट्टी के तेल का प्रयोग शुरू हो चुका है, वहां पर कोयले का प्रयोग बहुत कठिन हो गया है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस दिशा में व्यावहारिक पहलुओं का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अन्धाधुन्ध कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

सभा में सदस्यों द्वारा जो सुझाव रखे है, बिना खाते के धन के बारे में, उसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। अधिक कर लगाने के कारण भी कीमतें बढ़ गयी है। स्थिति का सुधार करने के लिए करों में उत्तरोत्तर वृद्धि कोई उपचार नहीं है। परिस्थिति पर काबू पाने के लिए अन्य उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। विरोधी दलों को भ्रष्ट करने से सरकार लोकतंत्र का देश में नाश कर देगी। प्रजातंत्र की व्यवस्था ठीक न हुई तो यह करारोपण का काम भी नहीं चल सकता और इसके बिना लोगों की हालत नहीं सुधर सकती। और यदि हालत न सुधरी तो एक अजीब कुचक्र प्रत्येक क्षेत्र में चल पड़ेगा। उसे रोका जाना चाहिए।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरी): आर्थिक दवालियेपन की बात मुझे बिलकुल पसन्द नहीं आई। हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए प्रत्युत उन्हें पूरी तरह हल करने का प्रयास करना चाहिए।

[**डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं**
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

हमने आर्थिक सिद्धान्तों की बातें खूब सूनी है। मेरा निवेदन यह है कि पश्चिम के उन देशों में, जिन्हें मार्शल योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त हुई है, उनसे हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास किया है, जिसे एक घोषणा युद्ध के फलस्वरूप बहुत भारी हानि उठानी पड़ी है। अतः उनके पास आधारभूत तौर पर इसकी नींव थी। उस पर नया ढांचा निर्माण किया जा सकता था। हमारे पास साधनों की कमी रही है। हमने अपना काय बहुत ही थोड़े तकनीको, विज्ञान तथा औद्योगिक साधनों से चलाया है। हमने मिश्रित अथ व्यवस्था को लिया है।

[श्रीमती शारदा मुकर्जी]

लोक सहयोग और सरकारी नियंत्रण को समन्वित पद्धति को अपनाया है। और यह इतना महान कार्य है जो कि एक ही दिन में सम्पन्न नहीं किया जा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम कठिनाइयां सहन करते रहे हैं। और आवश्यकता हुई तो हम और अधिक कठिनाइयां भी सहन करेंगे। हमें निराश नहीं होना चाहिए। लोगों में डर की भावना नहीं फैलाई जानी चाहिए। सारा दोष और उत्तरदायित्व सरकार पर डाल देने की मनोवृत्ति भी अच्छी नहीं कही जा सकती।

कीमतें बढ़ रही हैं, हमने अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं के लिए खाद्य की व्यवस्था करना है। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां भी हमें परेशान कर रही हैं। ये सब मुख्य समस्यायें हैं जिन्हें हमने हल करना है। यह ठीक ही है कि समय समय सरकार संसद में देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर उस पर पुनः विचार करे। जो अपनी अर्थ व्यवस्था में असन्तुलन महसूस हो उसे कर इत्यादि लगा कर दूर किया ही जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई उद्योग निश्चित ऋण, अधिक वित्त व्यवस्था, कम कराधान इत्यादि के होने पर ही विकसित हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सीमायें हैं। हम अपनी सीमाओं में रह कर भी अपना सुधार कर सकते हैं तथा आधुनिक ढंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक से अधिक कुशलता प्राप्त करने का भी प्रयास कर सकते है। इस प्रकार के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने जो आयात प्रशुल्क का विवरण प्रस्तुत किया है उससे आने वाले समय में अच्छा प्रभाव होगा।

उद्योगों के सम्बन्ध में विकास के लिए बढ़ी हुई छूट से, विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में, लगाये गये आयात शुल्क को प्रभाव हीन बना कर रख देगी। उच्च आयात प्रशुल्क से दो प्रकार का प्रभाव होगा। इससे उन वस्तुओं के आयात पर विपरीत प्रभाव होगा, जिनका कि निर्माण हम भारत में कर रहे हैं। इसी संदर्भ की अन्य बात यह है कि इससे नये उद्योगों, सहायक उद्योगों, उदाहरण के लिए कपड़ा बनाने की मशीनों का उद्योग इत्यादि के लिए बाजार दर की वृद्धि हो जायेगी। यह भी सम्भव है कि आयात की गयी मशीनों द्वारा स्थापित मशीनों आदि के लिए पुर्जों के अधिकतम मूल्य का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। विदेशी मुद्रा, देश के बाजारों के बारे में बहुत अधिक महंगी हो जायेगी।

मेरे विचार में यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार के पास विदेशी मुद्रा के साधनों की कमी है। इस दिशा में मेरा निवेदन यह है कि हमारे उद्योगपतियों को अपना उत्तरदायित्व महसूस करना चाहिये। आयात शुल्कों केवल चुने हुए उद्योगों के लिए प्रयोग करना चाहिए। योजना के लिए प्राथमिकता प्राप्त वस्तुओं का ध्यान रखा जाये तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हो सकता है। सीमेंट, इस्पात इत्यादि उद्योगों को सब से उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह प्रथम अवसर है जब कि योजना पद्धति का बाजार पद्धति का हमने समन्वय प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमने अपने स्थानीय पूंजी का विदेशी मुद्रा पर प्रभाव होगा। ये समन्वय तथा अधिक विकास छूट दर तथा प्रशुल्कों की विभिन्नता की योजना प्राथमिकताओं को प्राप्त करने तथा उन मूल उद्योगों के लिए प्राथमिकतायें निर्धारित करने की अपेक्षा एक अधिक प्रभावकारी साधन सिद्ध होगा। आगे के विकास के लिये यह एक अच्छी नीव होगी।

यद्यपि इन व्यवस्थाओं के लिए हमें काफी कठिन दिनों में से निकलना पड़ेगा। परन्तु दो तीन वर्षों के बाद हालात काफी अच्छे हो जायेंगे। हम मुद्रास्फीति से बच जायेंगे। जब मन्दे की लहर आती है तो मुद्रास्फीति का प्रभाव हर जगह हो जाता है। मेरा निवेदन यह है कि यह अनुपूरक बजट न केवल अधिक राजस्व प्राप्त करने का साधन है, यह एक विनियामिक राजकोषीय ढंग भी है। इसे देश के संकट काल प्रस्तुत किया गया है। इससे हम उन परिस्थितियों का निरिक्षण कर रहे हैं जिससे हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार और जनता का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों को बहुत अधिक अधिकार देने के मुकाबले में यह तरीका अच्छा है।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : चौथी योजना की आवश्यकताओं के कारण तथा वर्तमान आर्थिक स्थिति में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव बहुत ही आवश्यक है। 25 करोड़ की राशि तो केन्द्रीय सरकार के

कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने में ही लग गयी है। 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राज्यों को दी गयी है। कई अपूर्ण योजनायें है जिनके लिए धन चाहिए। इसके अतिरिक्त कीमतें बढ़ रही हैं। खाद्यान्नों की तथा अन्य आवश्यक चीज़ों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा कायम उपाय किये जाने चाहिए। सरकार को यह प्रयत्न भी करना चाहिए कि खाद्यान्नों का संचय न हो, और मुनाफाखोर मनमानियां न कर सके। खाद्यान्नों के वितरण में बहुत गड़बड़ी होती है, अतः वितरण व्यवस्था पर सरकार का कड़ा नियन्त्रण होना चाहिए।

इसी सन्दर्भ में मेरा निवेदन यह है कि मूल्यों को कम करने का सब से अच्छा और प्रभावशाली ढंग तो यह है कि सभी दिशाओं में उत्पादन को बढ़ाया जाय। औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन तो बढ़ना ही चाहिए। देश में उर्वरकों की कमी को दूर करना चाहिए। उर्वरकों के आयात पर देश की 45 करोड़ की बड़ी राशि प्रति वर्ष व्यय हो जाती है। इसका कोई उपचार होना चाहिए। अधिक उर्वरक संयन्त्र स्थापित किये जाने चाहिए। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि चौथी योजना के अन्तगत सरकारी क्षेत्र में तूतीकोरिन में उर्वरक संयन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए।

देश में जन संख्या की वृद्धि भी चिन्ता जनक दर से हो रही है, अतः परिवार आयोजन भी बड़ा आवश्यक पग है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण हमारे सामूहिक विकास और आर्थिक प्रगति में भारी बाधा आ रही है। सरकार विदेशी मद्रा रिजर्व के सम्बन्ध में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही है। आज जो कमी महसूस हो रही है, उसका मुख्य कारण यह है कि निर्यात की स्थिरता तो ठीक है, परन्तु आयात भी काफी बढ़ा है। आयात के प्रति उदारतापूर्ण नीति अपनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि निर्यात में वृद्धि की जाय।

चौथी योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। यह योजना 21,500 करोड़ की होगी। 19,000 करोड़ रुपया तो विनियोजन के रूप में होगा और 3,000 करोड़ के आन्तरिक साधन तलाश किये जायेंगे, तब ही जाकर योजना चल सकेगी। यह जो अतिरिक्त विनियोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके, और हमारी अर्थ व्यवस्था आत्मनिर्भर बन सके। सरकार कृषि को सब से अधिक प्राथमिकता दे रही है। औद्योगिक क्षेत्र में भी देश में बनी चीजों को सब से अधिक प्रोत्साहन दिया जायेगा। सरकार का इसके लिए दृढ़ संकल्प है कि मुद्रास्फीति को रोका जाय।

सेलम इस्पात संयन्त्र के बारे में मेरा निवेदन है कि इस के लिए आंग्ल अमरीकी व्यापार सहयोग समवाय ने यह सिफारिश कर दी है कि इसे सेलम लगाया जाय। और संयन्त्र मध्यम आकार का इस्पात संयन्त्र होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि चौथी योजना के अन्तर्गत कम से कम मध्यम दर्जे का कारखाना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को मद्रास सरकार की सहायता करनी चाहिए।

अब मैं बजट प्रस्थापनाओं की ओर आता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि कृषि सम्बन्धी मशीनरी के लिए आयात शुल्क की 15 प्रतिशत की कम दरे, हल्के डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क में कमी, और 10 हार्स पावर के स्थिर डीजल इंजिनों पर विद्यमान उत्पादन शुल्क को हटाने के कारण कृषकों को इन बजट प्रस्तावों से बहुत लाभ होगा।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि वित्त विधेयक में बहुत से अधिनियमों में संशोधन करने की बात कही गयी है। विधेयक में लेखा बाह्य तथा छिपे हुए धन और आय की घोषणा का समय 19 अगस्त 1965 से बढ़ा कर 31 मार्च 1966 तक कर दिया गया है। इस अवधि में ईमानदारी से घोषणा कर देने वाले को कोई दंड नहीं दिया जायगा। यह बात स्वागत योग्य है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने जो संशोधन रखा है उसका उद्देश्य इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित करना है। हमें लोगों की राय जाननी चाहिये।

अब सरकार की नीति है कि देश में घाटे की अर्थव्यवस्था लागू न की जाये। अब जो ये नये कर लगाये जा रहे हैं इस से जनसाधारण की कठिनाइयों में वृद्धि होगी। पहले बहुत कर लगे हुए हैं। एक अर्थशास्त्री

[श्री स० मो० बनर्जी]

ने कहा है कि भारत में विश्व के सभी देशों से अधिक कर लगे हुए हैं। यह कहा जा रहा है कि ये कर देश की सुरक्षा के लिये व्यवस्था करने और चौथी योजना के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये लगाये जा रहे हैं। हमारी पहले की योजनायें सफल नहीं हुई हैं। पहली योजना में देहात में लोक ऋणी हो गये। दूसरी योजनाओं में बेरोजगारी बढ़ी और तीसरी योजना में खाद्यान्नों की स्थिति संकटमयी हो गई। अब चौथी योजना के लिये और करों की व्यवस्था की जा रही है। मैं समझ नहीं पाता कि इस में कितनी सफलता मिलेगी। जनसाधारण की कठिनाइयों में कोई अन्तर आने की आशा नहीं है।

मूल्यों को स्थिर रखने में सरकार असफल रही है। इन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। सरकार ने कर्मचारियों के भत्ते में महंगाई के साथ साथ वृद्धि नहीं की है। इस पर हमें बहुत खेद है।

सरकार ने खाद्यान्नों के उचित वितरण के लिये एक भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना की है। ऐसे निगम अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं चलाते। इस के अध्यक्ष वैसे तो वेतन के रूप में केवल एक रूपया लेते हैं परन्तु वह दो महीनों में यात्रा भत्ते के रूप में 48,000 रूपया ले चुके हैं। इस निगम के लिये 3,000 रुपये महीने के किराये पर एक इमारत ली गई है। देश में खाद्यान्नों की स्थिति इतनी शोचनीय है, परन्तु इस निगम में लोकधनका अपव्यय किया जा रहा है। देश में भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

मैं राष्ट्रीयकरण का समर्थन करता हूं। परन्तु इन उपक्रमों का संचालन कुशलतापूर्वक होना चाहिये। ऐसा देखा गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदों पर सरकार के सेवानिवृत्ति-प्राप्त बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाता है। वे लोग तकनीकी जानकारी नहीं रखते। इस प्रकार वे उपक्रमों को सुचारू रूप से चलाने योग्य नहीं होते। मैं चाहता हूं कि लोगों का चयन उन की योग्यता के अनुसार होना चाहिये। सरकार को आम बीमे का राष्ट्रीकरण कर लेना चाहिये। बड़े खेद की बात है कि रूबी जनरल इन्शोरेन्स क० की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी गयी है। यह सब श्री बिड़ला के हित के लिये किया जा रहा है। मैं समझ नहीं सका कि धनी लोग करों का भुगतान नहीं करते जब सामान्य आय वाले नियमित रूप से करों का भुगतान करते हैं।

सरकार को बैंकों का राष्ट्रीकरण करना चाहिये। यदि बैंकों, आम बीमे, विदेशी तेल कम्पनियों और आयात तथा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीकरण कर लिया जाये तो सरकार को 167 करोड़ या 176 करोड़ रूपया उपलब्ध हो जायेगा सरकार को लोगों की कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये और उन का जीवन स्तर ऊंचा करने की कोशिश करनी चाहिये।

रोजगार दिलाने की स्थिति में कोई सुधार नही हुआ है। बल्कि इसमें हालत पहले की अपेक्षा खराब हुई है। दिल्ली में 12 जून से रोज़गार दिलाने का एक पखवाड़ा मनाया गया था, परन्तु खेद है कि इस से लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। देश के अन्य भागों में भी ऐसी ही स्थिति है।

मेरा सरकार से नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि वह आज की गम्भीर स्थिति पर विचार करे और वर्तमान समस्याओं को सुलझाये। अभी पिछले दिनों बिहार, गोरखपुर तथा मनीपुर में जो कुछ हुआ उससे सरकार को सबक लेना चाहिये। नहीं तो देश में भयंकर स्थिति खड़ी हो जायेगी। सरकार को अपने खर्चे में कमी करनी चाहिये और ये कर नहीं लगाने चाहिये। यहां पर विधि मंत्री ने कहा था कि वित्त-मंत्री के 1942 से मैसर्ज टी०टी० कृष्णमाचारी एण्ड कं० से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह नहीं मानता। 1955 में एक जर्मन फर्म ने मैसर्ज टी०टी० कृष्णमाचारी अन्ड कंपनी को एक पत्र में श्री कृष्णमाचारीको धन्यवाद किया है। मैं इस पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखने को तैयार हूं। विधि मंत्री को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जो तथ्यों पर आधारित न हो।

श्री जोकिम अल्वा (कनारा) : आज अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में रुपये की स्थिति पर बहुत बातें कही जा रही हैं। परन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिय कि विश्व की अन्य मुद्राओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन बातों का ध्यान रख कर ही हमें आलोचना करनी चाहिये। रूस की मुद्रा की कीमत बढ़ गई है।

'न्य स्टेट्समैन' के 13 अगस्त, 1965 के अंक में श्री मेलकॉलम मेगरिज का एक अत्यन्त रोचक लेख छपा है। इस में ब्रिटेन के बारे में बहुत कुछ है। इस में ब्रिटेन की 1931 की स्थिति का वर्णन है। आज हमारी मुद्रा की भी वसी ही स्थिति है। आज हमारे देश को अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है। हम अपने संसाधनों का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे। हमें अपनी अर्थ व्यवस्था में ठीक सुधार करना है। एकाधिकार की प्रवृत्ति को समाप्त करना है।

हमारे सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमें ऐसे काम में आत्मनिर्भर होना होगा और अन्य देशों को सहायता के लिये नही बुलाना होगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिये और बूढ़े सेवा-निवृत्ति-प्राप्त लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिये।

हमें रूपये की स्थिति में सुधार करने के लिये देश के कुछ एक एकाधिकार वाले लोगोंपर नियन्त्रण करना होगा। ये लोग धनी से बड़े धनी बनते जा रहे हैं। यह उचित नहीं है।

जो लोग अवैध रूप से लाखों रूपये कमा रहे हैं उन के तो नाम तक प्रकाशित नहीं किये जाते। परन्तु मामूली अपराध करने वालों के नाम समाचार पत्रों में छप जाते हैं। सरकार को अपनी नीति तथा कानून में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिये। सरकार अब भी बड़े बड़े लोगों को रियायतें दे रही है। सरकार को बड़े लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहिये। यह देश के हित में नहीं है।

हमारे देश टाटा और बिड़ला जैसे लोक सभी एकाधिकारी लोगों पर नियन्त्रण करना होगा। देश की निर्धन जनता के कल्याणके लिये आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।

देश के नौपरिवहन में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र को इस सम्बन्ध में और कार्य करना चाहिये। सरकार की समाचार पत्रों में विज्ञापन सम्बन्धी नीति बहुत दोषपूर्ण है। इस से बड़े बड़े समाचार पत्रों को ही लाभ हो रहा है। इस बारे में नियमों में आवश्यक परिवर्तन होना चाहिये।

सरकार होटलों की स्थापना कर रही है। इस बारे में हमें विदेशियों की सहायता या सहयोग नहीं लेना चाहिये। हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमारा अशोक होटल बहुत अच्छी प्रकार कार्य कर रहा है। हमें उस से और लाभ उठाना चाहिये। हमें एक बड़ा आवास विकास कार्यक्रम बनाना चाहिये। मैंने रूस में विशाल भवन देखे हैं। हमें भी वैसे भवन बनाने चाहियें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

हमें अपनी कृषि में भी सुधार करना है। यह सब से अधिक महत्व का काम है। देश को मज़बूत और शक्तिशाली इसी के द्वारा बनाया जा सकता है। यह ठीक है हम में त्रुटियां हों परन्तु हमें अब सचेत होना होगा। हमारे वित्त मंत्री बहुत योग्य व्यक्ति हैं। मुझे आशा है वह देश के हितों की ओर ध्यान देंगे।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुपुरक बजट की लोग आलोचना कर रहे है क्योंकि इसे अकस्मात ही प्रस्तुत किया गया है। परन्तु मैं इस से सहमत नहीं हूं। यदि राजस्व सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो इस के लिये कुछ अर्धोपाय करने ही पड़ेंगे। वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा है कि कुछ बेईमान व्यापारी निर्यात की गई कुछ वस्तुओं में, जिनकी अत्यधिक आवश्यकता है, काफी मुनाफाखोरी कर रहे हैं। वे लोग अलोह-धातुओं तथा अन्य वस्तुओं के बारे में एक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जैसे कि इन वस्तुओं का अभाव हो और इस प्रकार वे चोर बाज़ार में काफी मुनाफा कमाते हैं। यदि सरकार इन वस्तुओं पर कर लगाकर उनके मुनाफे में से कुछ हिस्सा ले लेती है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। यदि यह लोग ईमानदारी से काम करते तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार ऐसे कराधान सम्बन्धी प्रस्ताव न करती। कुछ भी हो यदि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो हमें यह कड़वे घूंट पीने ही पड़ेंगें। हमें वस्तूओंके उपभोग को नियंत्रित करना पड़ेगा अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती है। करों संबंधी इन नये प्रस्तावों से केवल मुनाफाखोर ही क्षुब्ध होंगे।

[श्री के० दे० मालवीय]

मुझ पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान कठिनाइयों में भी हम एक ऐसी आमल रूप से परिवर्तित राजकोषीय नीति अपना सकते हैं जिससे अन्ततोगत्वा और शीघ्र ही अपने देश में एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सके। हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को अपनाने में जितनी देर करेंगे, भविष्य में हमें उतनी ही अधिक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अपरिहार्य है अतः मुद्रास्फीति हमारी प्रधान समस्या नहीं है। जब तक हमारी अर्थव्यवस्था का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता तब तक हमें मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ेगा। हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि वस्तुओं का उत्पादन करने की तथा निर्यात-आयात व्यापार के सम्बन्ध में एक संतोषजनक तस्वीर अपने समक्ष रखनी है तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मुद्रा का परिचालन संतोषजनक रूप से किया जाये। परन्तु ऐसा कोई भी वित्त जादूगार नहीं है जो इस बात का आश्वासन दे सके। अतः हमें यह देखना है कि हमारा उत्पादन कार्यक्रम चलता रहे इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। उत्पादन कार्यक्रम को चालू रखने के लिये दो बातें आवश्यक हैं। एक बात यह है कि पर्याप्त धन जुटाया जाये तथा दूसरी बात यह कि उत्पादन बढ़ाने के लिये हर सम्भव कार्यवाही की जाये। एकाधिकार तथा लगभग एकाधिकार को समाप्त कर के धनी व्यक्तियों के हाथों में जमा होने वाली बहुतसी राशि को रोका जा सकता है परन्तु अभी तक हमने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है।

हमारे कांग्रेसी नेता तथा मंत्रीगण हमेशा यह कहते रहे हैं कि लोगों की आय में जो इतनी असमानता है इसे दूर करना पड़ेगा। परन्तु खेद है कि इस सम्बन्ध में हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। धनी तथा निर्धन लोगों के बीच उतनी असमानता अब भी है जितनी पहले थी। धन आज केवल कुछ ही लोगों के हाथों में है। इन लोगों की संख्या 300, 400 अथवा 1,000 से अधिक नहीं है। देश में पैदा होने वाले अनाज तथा हमारी सारी अर्थव्यवस्था पर इन लोगों का ही नियंत्रण है। परन्तु हमने इस स्थिति का अन्त करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है।

मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की आयव्ययक सम्बन्धी इस नीति से अर्थव्यवस्था की वर्तमान परिस्थितियों में व्यय को सीमित नहीं किया जा सकता है। इससे केवल कुछ सीमित हद तक ही लाभ हो सकेगा। इस समस्या का वास्तविक हल वितरण तथा उधार पर नियंत्रण करना है। इस सम्बन्ध में एक दृढ़ नीति अपना कर ही देश के धनी लोगों में मितोपभोग की आदत डाली जा सकती है जिससे एक ऐसा वातावरण तथा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक भावना उत्पन्न हो जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिले। आज स्थिति यह है कि धनी लोग वस्तुओं का अधिक उपयोग कर रहे हैं परन्तु निर्धन लोग जिन वस्तुओं का थोड़ा बहुत उपभोग करना भी चाहते हैं तो वह उन्हें मिलती ही नहीं है। जब तक हम नियंत्रिण वितरण प्रणाली को नहीं अपनाते हैं, जब तक हम उपभोग को दृढ़ता से विनियमित नहीं करते हैं तथा जब तक हम बड़े उद्योगपतियों को अपने इतने अधिक संसाधनों तथा अन्य शक्तियों का त्याग करने के लिय बाध्य नहीं करते हैं तब तक न ही उत्पादन में कोई वृद्धि होने की आशा है और न ही मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। वित्त मंत्री द्वारा नया विनियोजन करने के लिये कर छूट प्रमाणपत्रों के बारे में प्रस्तावित उपायों से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जब तक कि हम एकाधिकार तथा लगभग एकाधिकार जमाने की प्रवत्तियों को नहीं दबायेंगे तथा एक कार्यकुशल वितरण प्रणाली नहीं अपनायेंगे तब तक हम इस सम्बन्ध में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

जीवन बीमा निगम जैसी विभिन्न संस्थाओं से उधार उन उद्योगपतियों को मिलता है जिन के पास पहले काफी धन है और इस प्रकार वही बराबर धनी बनते जा रहे हैं। यह धन उन बहुसंख्यक लोगों को नहीं मिलता है जो हैं तो बहुत प्रतिभाशाली परन्तु हैं निर्धन। जब तक हम यह आशा बांधते रहेंगे कि इस पद्धति से हम उत्पादन बढ़ा सकेंगे यह केवल मूर्खता ही होगी।

आज हमारे समाज में उन लोगों का सम्मान होने लगा है जो बातूनी हैं जो इधर उधर से काम निकालने में चतुर हैं। ऐसी स्थिति में केवल वे लोग ही समृद्ध बनते जा रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में आज केवल कुछ ही लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं अतः यह एक पूंजीवादी लोकतंत्र है न कि समाजवादी लोकतंत्र।

इन थोड़ेसे पूंजीवादियों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है। जब तक कि हम इस समस्या को दृढ़ता से नहीं सुलझायेंगे तब तक हम किसी भी दिशा में उतनी उन्नति नहीं कर सकेंगे जितनी कि आज करने की आवश्यकता है।

जहां तक खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने का सम्बन्ध है, मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि जब तक वास्तविक उत्पादकों को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा और जब तक वित्त मंत्री आयव्ययक में प्रोत्साहन देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकेगी। उनको अत्यावश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिलनी चाहिये। उनको उधार सम्बन्धी सुविधायें दे कर जब तक उन्हें बनियों के शिकंजे से नहीं छुड़ाया जाता तब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है। ऐसा तभी किया जा सकता जब बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया जाये। बैंकों के राष्ट्रीकरण के प्रश्न को केवल कुछ ही समय के लिय स्थगित किया जा सकता है परन्तु एक न एक दिन इनका राष्ट्रीकरण करना ही पड़ेगा। जब तक इनका राष्ट्रीकरण नहीं किया जायेगा तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था से ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और इस ही निर्यात से हमारी आय में वृद्धि हो सकती है।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, हम एक ऐसी पद्धति में विश्वास रखते है जोकि मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से विख्यात है और जिसमें व्यक्ति को पहल करने की अनुमति दी जाती है तथा अव्यवस्था भी नहीं फैलने दी जाती है। श्री दाजी ने सुझाव दिया कि जब तक साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतया नहीं अपनाई जाती तब तक हम अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। रूस में यह अर्थव्यवस्था असफल रही है। न ही श्री रंगा द्वारा सुझाई गई निर्बाध उद्यम पर आधारित अर्थ-व्यवस्था को भी अपनाया जा सकता है।

इस में कोई संदेह नहीं है कि हमारी विदेशी मुद्रा में काफी कमी हो गई है, यद्यपि इस स्थिति को सुधारने के लिये किये गये उपायों से इस स्थिति को और बिगड़ने से रोक दिया गया है। परन्तु जहां तक मुद्रास्कीति के इतना अधिक बढ़ जाने का प्रश्न है, इस में कोई सन्देह नहीं है कि पिछले छः महीनों में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस के विपरित स्थिति और भी बिगड़ गई है। अतः वित्त मंत्री को इसे सुधारने के लिये कुछ उपाय करने पड़ रहे हैं जो कि अच्छे हैं, फिर भी मैं चाहती हूं कि कुछ मामलों में और व्यापक उपाय किये जाने चाहिये थे। मुझे आशा है कि वह इस तथ्य से अवगत हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि इससे मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या कल अपना भाषण जारी रख सकती हैं। अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेंगे।

---

*राज्य परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा लिया जाना

*CENTRAL TAKE-OVER OF STATE PROJECTS

श्री मि० सु० मूर्ति (अनकापल्ली) : इस महीने की 19 तारीख को मेरे माननीय मित्र, श्री हेम बरुआ तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गये इस प्रश्न का, "कि क्या राज्य योजना में से कुछ बहुत बड़ी परि-योजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र में लेने के लिये कोई प्रस्ताव है," उत्तर वित्त मंत्री ने, "जी, नहीं।" में दिया था। परन्तु मैंने अब सुना है कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान नहर परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत लाना चाहती है।

---

*आधे गंटे की चर्चा।

*Half-an-Hour Discussion.

[श्री मि० सू० मूर्ति]

इस सम्बन्ध में आन्ध्रप्रदेश सरकार पिछले 4 वर्षों से कहती आ रही है कि नागार्जुन सागर परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में लिया जाना चाहिये तथा इसके लिये वित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा जुटाया जाना चाहिये। यह परियोजना 1955-56 में चालू की गई थी और इसका मूल प्राक्कलन 90 करोड़ रुपये था। परन्तु सीमेंट, इस्पात जैसे निर्माण सामग्री तथा मजूरी में वृद्धि हो जाने के कारण इसका प्राक्कलन बढ़ कर लगभग 140 करोड़ रुपये हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह इस चालू रख सके। यदि राज्य सरकार इस परियोजना के लिये इतनी भारी राशि की व्यवस्था करती है तो इस से शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्रों के लिये बहुत ही कम राशि की व्यवस्था की जा सकेगी। इसका परिणाम यह निकलेगा कि यातायात, संचार सेवा तथा विद्युत योजनायें पिछड़ जायेंगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर, 1963 में इसी लिये तो केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि सभी क्षेत्रों के साम्य विकास को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र सरकार को राज्य क्षेत्र की सभी परियोजनाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया था कि दीर्घकालीन परियोजनाओं से 10 अथवा 15 वर्षों तक कोई लाभ नहीं होगा। अतः इससे राज्य में अन्य क्षेत्रों को हानि होगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। राज्यों को न केवल ऐसी परियोजनाओं के लिये ही वार्षिक व्यय ही जुटाना पड़ता है उन्हें इसके अतिरिक्त लिये गये ऋणों का ब्याज भी चुकाना पड़ता है। अतः केन्द्रीय सरकार अधिक अच्छी स्थिति में है कि वह ऐसी परियोजनाओं को अपने हाथ में ले ले। इस संदर्भ में तथा दिसम्बर, 1963 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किये गये निर्णयों के आधार पर ही आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया था कि नागार्जुन सागर परियोजना व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा जुटाया जाना चाहिये।

1962 तक केन्द्रीय सरकार नागार्जुन सागर परियोजना के निर्माण के लिये ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी के लिये धन देती रही है, परन्तु यह एक विचित्र बात है कि अब उसने ब्याज लेना भी आरम्भ कर दिया है जब कि यह परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है और न ही इससे राज्य सरकार को कोई लाभ होना आरम्भ हुआ है। केन्द्र द्वारा जुटाये जाने वाले संसाधनों में से अब लगभग 6 करोड़ रूपये पहले ही काट लिये जाते हैं। इस प्रकार आन्ध्र प्रदेश सरकार को बहुत भारी बोझ पड़ता है और इससे अन्य क्षेत्रों को भी हानि उठानी पड़ती है।

1964-65 में वित्त मंत्री ने 400 करोड़ रूपये का आवण्टन किया था और 900 करोड़ रूपये और दने का इस शर्त पर वचन दिया था कि एक विशेषज्ञ दल इस बात का अध्ययन करेगा। मैं नहीं जानता हूं कि इस बात पर विचार करने के लिये कोई विशेषज्ञ दल वहां पर गया है कि नहीं। केन्द्र द्वारा इस के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है।

जहां तक की ब्याज की दर का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार बहुत ऊंची दर पर ब्याज ले रही है। 1955-56 में यह दर 3 प्रतिशत थी। 1964-65 में इसे बढ़ा कर $5\frac{1}{4}$ प्रतिशत कर दिया गया है जबकि परियोजना के पूरे हो जाने के पश्चात इस पर हुए सारे व्यय का केवल 2 प्रतिशत ही लाभ होगा। इस ऋण को लौटाने में आन्ध्र प्रदेश सरकार को और 40 वर्ष लगेंगे और इस हिसाब से इसे केन्द्र को 150 करोड़ रूपये तो मूल के रूप में देने पड़ेंगे तथा 170 करोड़ रूपये ब्याज के रूप में देने पड़ेंग। ऐसा करना केन्द्रीय सरकार के लिये सर्वथा अनुचित है।

आखिरकार यह एक राष्ट्रीय परियोजना है न कि आन्ध्र प्रदेश की परियोजना। आन्ध्र राज्य कमी वाले क्षत्रों के लिये अब भी 8 लाख मीट्रिक टन चावल दे रहा है और इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात वह और 50 लाख मीट्रिक टन चावल दे सकेगा जो कि सारे देश की आवश्यकताओं के लिये काफी होगा। इससे हम वह काफी विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे जो आज हमें खर्च करनी पड़ रही है। अतः

यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के लिये स्वयं धन जुटाये और इसको स्वयं क्रियान्वित करे ।

इस समस्या का दूसरा पहलू यह है कि चौथी योजना में इस परियोजना के लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था करनी है जो कि राज्य सरकार नहीं कर सकती है क्योंकि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन हैं । चूंकि इस परियोजना से सारे देश को लाभ पहुचना है अत: इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना माना जाना चाहिये और इसे केन्द्रीय क्षेत्र में रखा जाना चाहिये । इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं को भी केन्द्रीय क्षेत्र में लिया जाना चाहिये । उदाहरणार्थ राजस्थान नहर को भी केन्द्रीय क्षेत्र में लिया जाना चाहिये, जैसे केन्द्रीय सरकार भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी निगम, हीराकुड आदि परियोजनाओं के लिये पहले धन जुटाती रही है ।

इन परिस्थितियों में आन्ध्र प्रदेश सरकार की तत्कालीन समस्या यह है कि या तो वह इस परियोजना को जारी रखे तथा अन्य विकास कार्यों को ठप कर दे अथवा इस परियोजना को बीच में छोड़कर अन्य विकास कार्यों को पूरा करे । इस गम्भीर स्थिति पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिये तथा केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये तथा केन्द्रीय सरकार को यह परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र में ली जाये तथा इसके लिये अपेक्षित राशि की व्यवस्था की जाये ।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): किसी भी परियोजना को जिसका प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, केन्द्र द्वारा वित्तपोषण के उद्देश्य से अथवा वैसे ही केन्द्रीय क्षेत्र में नहीं लिया जा रहा है और न ही कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है । इस प्रश्न को पहले कई बार उठाया गया है । दूसरी तथा तीसरी योजना में जब ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को चालू किया गया था तो कई मुख्य मंत्रियों ने इन के लिये वित्त की व्यवस्था करने में कठिनाई व्यक्त की थी कि यदि वह किसी विशेष परियोजना के लिये धन लगाते हैं तो उससे अन्य क्षेत्रों को हानि उठानी पड़ती है । नागार्जुन सागर परियोजना भी इसी प्रकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और यह राष्ट्र के हित में है कि इसे जल्दी क्रियान्वित किया जाये । अन्य राज्यों में भी ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनायें हैं जिन के बारे में उन्होंने मांग की है कि इन्हें केन्द्र को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये ।

राजस्थान नहर परियोजना देश में अन्य परियोजनाओं से सर्वथा भिन्न प्रकार की है । वास्तव में देश में ऐसी कोई परियोजना नहीं है । राज्य सरकार को इस क्षेत्र का विकास आरम्भ से ही करना है जब कि अन्य राज्यों में सिंचाई की तथा अन्य सुविधायें पहले ही विद्यमान हैं और इन क्षेत्रों की तुलना में उस क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य करना है और वहां पर राज्य सरकार का दायित्व भिन्न प्रकार का है । वास्तव में प्रस्ताव यह किया गया है कि इस परियोजना की क्रियान्वित राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किये गये अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किये गये एक स्वायत्त प्राधिकार द्वारा की जायेगी इस प्राधिकार में केन्द्रीय मंत्रालयों को भी प्रातिनिधित्व दिया जायेगा । वित्तपोषण तथा अन्य प्रबन्धों के बारे में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच एक समझौता अभी किया जाना है । नवीनतम प्राक्कलन के अनुसार नागार्जुन सागर परियोजना पर 139-53 करोड़ रूपये खर्च होंगे और इस के लिये केन्द्र ने 100 प्रतिशत ऋण दिया है । यदि सरकार इस परियोजना को अथवा किसी अन्य परियोजना को अपने क्षेत्राधिकार में ले लेगी तो इस स्थिति में सम्बन्धित राज्य को केन्द्र से उतनी सहायता नहीं दी जायेगी । जितनी कि अब दी जा रही है । सहायता में उसी लिहाज़ से कटौती कर दी जायेगी । अत: किसी परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में ले लेने से उस राज्य को कोई वित्तीय लाभ नहीं होगा । प्रश्न केवल प्रशासनिक, तकनीकी तथा अन्य प्रबन्धों के करने का रह जाता है जिससे कि परियोजना को यथा सम्भव न्यूनतम समय में क्रियान्वित किया जा सके । इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने स्वयं विचार किया है और इसीलिये नागार्जुन सागर परियोजना के लिये चालू वर्ष में 4 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है । इस परियोजना के लिये अतिरिक्त ऋण के रूप में 9 करोड़ रूपये और देने का प्रस्ताव भी वित्त मंत्री के

[श्री० ब० रा० भगत]

विचाराधीन है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि इसको जल्दी क्रियान्वित करने के लिये और धन की आवश्यकता होगी तो उसको भी पूरा किया जायेगा ।

ब्याज की दरों के बारे में वास्तविकता यह है कि देश में ब्याज की दरें बढ़ गई हैं और चूंकि हमें बाहर से ऋण ऊंची दरों पर मिलता है इस लिये हमें राज्यों से भी ऊंची दर लेनी पड़ती है। इसमें साहूकारी का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि जितनी दर केन्द्रीय सरकार को देनी पड़ती है उसी दर के आधार पर राज्य सरकारों से ब्याज लिया जाता है : हम इसमें से कोई मुनाफा नहीं कमाना चाहते हैं। वास्तव में राज्यों द्वारा अन्य साधनों से लिए गये ऋणों पर ब्याज की दर इस केन्द्रीय सरकार द्वारा ली जानी वाली दर से भी अधिक है।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 31 अगस्त, 1965/भाद्र 9, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 31st August, 1965/Bhadra 9, 1887 (Saka).